



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त विधेयक, 2024 के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(जिन खंडों के प्रतिनिर्देश किया गया है वे विधेयक के खंड हैं)

वित्त विधेयक (सं.2), 2024
प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध
प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है), कर राहत के माध्यम से प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार को जारी रखने, करदाताओं के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने और विभिन्न उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। विधेयक, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 ('प्रतिभूति संव्यवहार कर', लघु में एसटीटी) का अध्याय 7, वित्त अधिनियम, 2016 ('समकारी उद्ग्रहण') का अध्याय 8 तथा बेनामी संपत्ति(प्रतिषेध) संव्यवहार अधिनियम, 1988(बेनामी अधिनियम) का भी संशोधन करता है।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से, संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं:-

- (क) आयकर की दरें;
- (ख) विनिधान तथा नियोजन के संवर्धन के उपाय;
- (ग) सरलीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण;
- (घ) कर आधार/परिवर्जन रोध को गहन और विस्तृत करना;
- (ङ) कर प्रशासन;

प्रत्यक्ष कर

क. आयकर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2024-25के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय की बाबत आयकर की दरें

निर्धारण वर्ष 2024-25के लिए कर के प्रति दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आयकर की दरों को या तो अधिनियम की विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 115खकक या धारा 115खकख व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुंब एओपी (सहकारी सोसाइटी से भिन्न)/बीओआई/ एजेपी के लिए 115खकग और सहकारी सोसाइटीयों के लिए धारा 115खकघ या धारा 115खकड.) या विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनिर्दिष्ट धाराओं में या पहली अनुसूची में कर की दरों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 115खकक या 115खकख या 115खकग या 115खकघ या धारा 115खकड. में उपबंधित दरें वहीं होंगी जो पहले से ही अधिनियमित है। इसी प्रकार निर्धारण

वर्ष 2024-25के लिए “अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजन के लिए, ‘वेतन’ से स्रोत पर कर कटौती और कतिपय दशाओं में सदैव कर के प्रभार्य के लिए वित्त अधिनियम 2023 के लिए पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित दरें अब पहली अनुसूची का भाग 1 बन जाएंगी। भाग III अब निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए लागू होंगे ।

(1) धारा 115खकग के अधीन कर की दरें-

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या ना हो या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड () में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम व्यक्ति को निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान करना होगा -

कुल आय (₹)	दर
3,00,000 तक	शून्य
3,00,001 से 6,00,000 तक	5 प्रतिशत
6,00,001 से 9,00,000 तक	10 प्रतिशत
9,00,001 से 12,00,000 तक	15 प्रतिशत
12,00,001 से 15,00,000 तक	20 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

2. धारा 115खकग की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार जब तक किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है, ऊपर उल्लिखित दरें लागू होंगी। अतः अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरें व्यतिक्रम दरें हैं।

3. अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में, निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर संघ के प्रयोजनों के लिए, संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या न, या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) पचास लाख से अधिक है किंतु ऐसे आयकर की 10 प्रतिशत की दर पर एक करोड़ रूपए से अनधिक है;

(ii) जिसकी कुल आय(जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु ऐसे आयकर की 15% की दर पर दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है; और

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय अपवर्जित है) ऐसे आयकर की 25% की दर पर दो करोड़ से अधिक है;

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु ऐसे आयकर की पंद्रह प्रतिशत की दर पर उपरोक्त खंड(iii) के अधीन नहीं आता है।

3.1 उस दशा में जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू हैं तथा कुल आय में आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से किसी आय को कुल आय में सम्मिलित करती है, आय की इस भाग के संबंध में आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3.2 और, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम तथा धारा 115खकग की उपधारा 1क के अधीन जिसकी आय कर प्रभार्य है, आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3.3. ऐसे मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाएगी।

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1 के अधीन कर की दरें

(क). व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग (1) का पैरा क आयकर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:-

- (i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii)में जो वर्णित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम

न्यायिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-1 को कोई पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:-

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है-

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,-

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

ये वही दरें हैं जो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लागू की गई हैं।

(ख) सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों की दशा में आयकर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में निर्दिष्ट किया गया है। वे (10,000 रुपये तक 10 प्रतिशत 10,001 रुपये और 20,000 रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 30,000 रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत अपरिवर्तित रहेंगी)

(ग) फर्म

फर्मों की दशा में आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के पैरा ग में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 1 के पैरा घ में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

(ड.) कंपनियां

कंपनियों की दशा में आयकर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ड. में निर्दिष्ट की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 की दरों के मुकाबले अपरिवर्तित रहेंगी। देशी कंपनी की दशा में आयकर की दर कुल आय का 25 प्रतिशत होगी यदि पूर्व वर्ष 2021-22 की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रूपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी दशाओं में आयकर की दर कुल आय का 30 प्रतिशत होगी।

2. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में आयकर की दर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वही रहेंगी जो विनिर्दिष्ट हैं।

(2) आयकर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए आयकर की रकम पर अधिभार की दर वही होगी जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्दिष्ट है। और अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(1क) के अधीन उस व्यक्ति के लिए जिसकी आय कर प्रभार्य है, ऐसे व्यक्ति की आय या संकलित आय पर 37 प्रतिशत की दर से अधिभार (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभान्श के माध्यम से आय या आय अपवर्जित है) 5 करोड़ से अधिक होने पर लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में सीमांत अधिभार 25 प्रतिशत तक है।

(3) सीमांत राहत-

जिन मामलों में अधिभार अधिरोपित करना प्रस्तावित है, उन सभी मामलों में सीमांत राहत का भी उपबंध किया गया है।

(4) शिक्षा उपकर-

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" इस तरह संगणित आयकर की रकम पर 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित है इसमें सभी मामलों में जहां लागू होता है अधिभार सम्मिलित है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024-25 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान धारा 193, 194क, 194ख, 194खख , 194घ, 194ठखक ,194ठखख, 194ठखग और 195 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं ।

2. उन धाराओं के लिए जो स्रोत पर कर की कटौती की दर विनिर्दिष्ट करते हैं, अधिनियम की सुसंगत धाराओं के उपबंधों के अनुसार कर में कटौती जारी रहेगी।
3. यह प्रस्तावित है कि देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी के मामले में अन्य आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती 40 प्रतिशत से 35 प्रतिशत कम की जाएगी।
4. यह प्रस्तावित है कि अनिवासी के लिए पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें नीचे सारणी के अनुसार होंगी:

क्रम सं	आय	23-07-2024 से पहले होने वाले अंतरण के लिए/टीडीएस की दर	23-07-2024 को या उसके पश्चात् होने वाले अंतरण के लिए/ टीडीएस की दर
(1)	धारा 115ड. में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	12.5%
(2)	धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	23-07-2024 को या उसके पश्चात् होने वाले अंतरण पर खंड लागू नहीं होता

(3)	धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 1 लाख 5 हजार रुपये अधिक होने पर	10%	12.5%
(4)	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(धारा 10 के खंड(33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं होने पर)	20%	12.5%
(5)	धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी	15%	20%

(5) उपरोक्त के अलावा, दरें समान रहेंगी चूंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजन के लिए वित्त अधिनियम, 2023 की पहली अनुसूची के भाग 2 में वे विनिर्दिष्ट हैं।

(6) संघ के प्रयोजनों के लिए आयकर की रकम का अधिभार वही होगा जैसा वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्दिष्ट है।

(2) शिक्षा उपकर

“स्वास्थ्य शिक्षा उपकर भारत में अनिवासी व्यक्तियों के मामले में, जिसमें देशी कंपनी से भिन्न कंपनी सम्मिलित है,जहां लागू हो अधिभार सहित आयकर की 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित होता रहेगा।

III. “वेतन” से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, “अग्रिम कर” की संगणना और वित्त वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के दौरान विशेष मामलों में आयकर प्रभार।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान “वेतन” से या अधिनियम की धारा 194त के अधीन की कटौती की दरें और निर्धारिती की सभी श्रेणियों के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय “अग्रिम कर”की संगणना के लिए विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट किया गया है । यह दरें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उन आय पर कर लगाने के लिए भी लागू होती है, जिन मामलों में त्वरित निर्धारण किया जाना है, उदाहरण के लिए, अनिवासियों को भारत में होने वाले नौवहन मुनाफे का अनंतिम निर्धारण, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छे लोगों के लिए,जो कर से बचने के लिए संपत्ति स्थानांतरित करने की संभावना रखते हैं, कम अवधि के लिए

गठित निकायों का आकलन, आदि । पिछले वर्ष से कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त भाग III में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैं-

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति ।

निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी, यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(1क) के अधीन उपबंधित दरें, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कुल आय के संबंध में, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से सिवाय), या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या न, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के कर संदाय अवधारण करने के लिए व्यतिक्रम के रूप में लागू होंगी:-

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रु तक	शून्य
2.	3,00,001 रु. से 7,00,000 रु. तक	5%
3.	7,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक	10%
4.	10,00,001 रु. से 12,00,000 रु. तक	15%
5.	12,00,001 रु. से 15,00,000 रु. तक	20%
6.	15,00,000 रु. से उपर	30%

2. तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा (6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, भाग III की पहली अनुसूची में यथा उपबंधित दरें लागू होंगी।

3. विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -III के पैरा क में आयकर की निम्नलिखित दरें उपबंधित की जाती हैं:-

- (i) प्रत्येक व्यष्टि (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) से भिन्न या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टिकों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट

प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैरा लागू होता है) आयकर की दरें निम्नानुसार हैं:-

2,50,000 रुपये तक	शून्य
2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है, -

3,00,000 रुपये तक	शून्य
3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है,-

5,00,000 रुपये तक	शून्य
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

4. इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंधों (धारा 111क, 112 और 112क के अधीन पूंजी लाभ सहित) पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को निम्नलिखित दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,-

क. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

ख. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

ग. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है

लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

घ. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;

ड. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन खंड(ग) और (घ) के अधीन कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से लागू होगा;

4.1 परंतु कुल आय में अधिनियम की धारा 111क ,112 और अधिनियम की धारा 112क के अधीन लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय भी सम्मिलित है, की दशा में,तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4.2 परंतु यह और कि केवल कंपनियों के सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

4.3 और, जहां कोई व्यक्ति जिसकी आय अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य है, आय पर 37 प्रतिशत की दर पर अधिभार या ऐसे व्यक्ति की आय का सकलन (अधिनियम की धारा 111, धारा 112तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम द्वारा आय के सिवाय) पांच करोड़ से अधिक होना, लागू नहीं होगा । ऐसे मामलों में अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्बंधित कर दिया जाएगा । और, ऐसे व्यक्तियों की दशा में अध्याय 12 या अध्याय 12-क के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय पर आय पर अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्बंधित रहेगा ।

5. अधिभार के मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाती है ।

ख. सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों के मामले में, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ख में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है । ये दरें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेगी । ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ से अधिक नहीं है, के मामले में आयकर की राशि पर सात प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया

जाएगा । ऐसी सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसकी कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है, अधिभार की दर बारह प्रतिशत से उद्ग्रहित होना जारी रहेगी ।

2. अधिभार की दशा में सीमांत राहत उपबंधित है ।

3. कतिपय शर्तों का समाधान करने पर, भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी को धारा 115खकघ के उपबंधों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का विकल्प है । ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा और अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 115खकघ के अधीन 1 अप्रैल, 2023 को या के पश्चात् स्थापित एक नई विनिर्माण सहकारी सोसाइटी, जिसने 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया है तथा कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती प्राप्त नहीं करती है, निर्धारण वर्ष 2024-25 से 15 प्रतिशत की रियायती दर पर कर संदाय का विकल्प ले सकेगी । ऐसे कर पर अधिभार 10% होगा ।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है । यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्दिष्ट है । आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा । तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ से अधिक है ।

घ.स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है । यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्दिष्ट है । आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा । तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय-कर पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रूपए से अधिक है ।

ड.कंपनीयां

कंपनीयों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर पूर्व वर्ष 2022-23 का कुल आवर्त या सकल प्राप्त चार सौ करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और जहां कंपनीयां धारा 115खक रीजीम में रहना जारी रखती हैं। अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी तथापि घरेलू कंपनियों के पास अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन, इनमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर, कराधान के लिए विकल्प होगा। धारा 115खकख में कर की दर 15 प्रतिशत है और धारा 115खकक में 22 प्रतिशत है। दोनों दशाओं में अधिभार 10 प्रतिशत है।

2. देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी की दशा में कर की दरें वहीं हैं जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

3. किसी देशी कंपनी की दशा में (अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115 खकख के अधीन कराधान के लिए विकल्प लिया है से भिन्न) सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से कम है। यदि देशी कंपनी (उनके सिवाय जिन्होंने अधिनियम की धारा 115खकक तथा 115 खकख के अधीन कराधान का विकल्प लिया है), से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

4. देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनाधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है।

5. यह प्रस्तावित है कि विनिर्दिष्ट निधि (धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड(ग) में निर्दिष्ट) की आय पर संगणित कर/ अग्रिम कर पर, जो अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रभावी है, अधिभार लागू नहीं होगा।

6. सभी मामलों में अधिभार में सीमांत राहत उपबंधित की गई है।

7. अन्य मामलों में, (जिनके अंतर्गत धारा 92गड. की उपधारा (2क), 115थक, 115द या 115नक या 115नघ भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

8. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सभी मामलों में "आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर चार प्रतिशत की दर से उद्गृहित किया जाता रहेगा । ऐसे उपकरणों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

[खंड 2,37 और पहली अनुसूची.]

कर व्यवस्था में कर-दाताओं के लिए मानक कटौती और परिवार पेंशन से कटौती में वृद्धि

आय-कर अधिनियम की धारा 16 के खंड (झक) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि "वेतन" शीर्षक के अधीन आय की संगणना करने से पूर्व पचास हजार रुपए या वेतन की रकम, जो भी कम हो, की कटौती की जाएगी ।

2. इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 57 के खंड (झझक) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि परिवार पेंशन की प्रकृति की आय के मामले में, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने से पूर्व ऐसी आय के तैंतीस एवं एक-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि या पंद्रह हजार रुपए, जो भी कम हो, की कटौती की जाएगी ।

3. कर-दाताओं (विशेष कर वैतनिक करदाता) को नई व्यवस्था में जाने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित करने के उद्देश्य से धारा 16 के खंड (झक) के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में जहां आय-कर की संगणना अधिनियम की धारा 115 खकग की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन की जाती है, वहां इस खंड के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानों "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे ।

4. धारा 57 के खंड (झझक) में भी एक परंतुक अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में जहां आय-कर की संगणना अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन की जाती है, वहां इस खंड के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा मानो "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किए गए थे ।

5. ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2025-26 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे ।

[खंड 10 और 24]

धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम नियोजक अभिदाय के लिए गैर-सरकारी नियोजकों तथा उनके कर्मचारियों की कटौती के रूप में अनुज्ञात रकम में वृद्धि:-

अधिनियम की धारा 36, शीर्षक कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ के अधीन आय की संगणना करने के दौरान अनुज्ञात अन्य कटौतियों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 80 गगघ में यथा निर्दिष्ट उक्त धारा की उपधारा 1 का खंड कथन करता है कि पेंशन स्कीम के लिए किसी नियोजक द्वारा अभिदाय के माध्यम से निर्धारित के रूप में संदत कोई राशि, जो कर्मचारी के खाते में, उतनी सीमा तक होगी जो पूर्व वर्ष में कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक नहीं होती है, नियोजक को कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

2. अधिनियम की धारा 36 की उपधारा के खंड (ivक) का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे नियोजक को अनुज्ञात कटौती के रूप में नियोजक के अभिदाय की रकम, के विस्तार तक, पूर्व वर्ष में कर्मचारी के वेतन को 10% से 14% बढ़ाया जा सके।

3. धारा 80 गगघ केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम के अभिदाय के संबंध में कटौती का व्यौहार करती है। धारा 80 गगघ की उपधारा (2) कथन करती है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी के खाते में कोई अभिदाय जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा, जो पूर्व वर्ष में कर्मचारी के वेतन से अधिक नहीं होती है-

(क) 14% (जहाँ ऐसा अभिदाय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा), और

(ख) 10% (जहाँ ऐसा अभिदाय किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाएगा)।

4. अधिनियम की धारा 80 गगघ की उपधारा (2) का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहाँ ऐसा अभिदाय किसी अन्य नियोजक द्वारा किया जाता है (जो न केंद्रीय सरकार न राज्य सरकार है), कर्मचारी को कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो कर्मचारी के वेतन के 14% से अधिक नहीं होगी। यह उस दशा में बढ़ाई जा रही है, जहाँ अधिनियम की धारा 115 खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी का वेतन कर प्रभार्य है।

5. संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होंगे।

[खंड 12 और 25]

ख. विनिधान और नियोजन के संवर्धन के उपाय

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को कर प्रोत्साहन

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) एक क्षेत्राधिकार है जो कि अप्रवासी और प्रवासी को भारतीय रुपयों को छोड़कर किसी भी मुद्रा में वर्तमान नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अधिनियम के अधीन आईएफएससी में स्थित इकाइयों को कई कर छूट प्रदान की गई है।

2. आईएफएससी से संचालन की ओर अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इसमें निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है :-

(क). धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) की मद 1 को निर्दिष्ट निधियों की परिधि का विस्तार करने के लिए संशोधन किया जाएगा, जो उक्त धारा के अधीन छूट का दावा कर सकते हैं, जिसमें आईएफएससी में खुदरा निधि और विनिमय व्यापार निधि सम्मिलित है। निर्दिष्ट निधियों में अब एक न्यास या एक कंपनी या एक सीमित दायित्व भागीदारी या एक निकाय या निगम के रूप में भारत में स्थापित या निगमित निधियां शामिल होंगी जिन्हें खुदरा योजना या विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और इसके अधीन विनियमित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 के अधीन बनाया गया है और ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो विहित की जा सकती है।

(ख). आईएफएससी ने मान्यता प्राप्त समाशोधन निगमों द्वारा कोर समाधान गारंटी निधि की निर्दिष्ट आय को धारा 10 के खंड (23ड.ड.) के स्पष्टीकरण में "मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम" देने का प्रस्ताव है और "विनियम" की परिभाषा में संशोधन करके छूट देने का प्रस्ताव है। "मान्यता प्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन" की परिभाषा में अब आईएफएससीए अधिनियम 2019 के अधीन बनाए गए आईएफएससीए मार्किट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन विनियम 2021 के विनियमन 2 के उपविनियमन (1) के खंड (द) में परिभाषित मान्यता प्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन शामिल होंगे। "विनियमों" की परिभाषा में अब आईएफएससीए (मार्किट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन विनियम 2021 शामिल होंगे।

(ग). अधिनियम की धारा 68 में यह उपबंध है कि जहां किसी पिछले वर्ष के लिए अनुरक्षित निर्धारिती की पुस्तकों में कोई राशि जमा की गई पाई जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण नहीं है, निर्धारण अधिकारी की राय में इस प्रकार जमा की गई उस संतोषजनक राशि पर पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के रूप में आयकर लगाया जा सकता है

(i) वित्त अधिनियम, 2023 ने धारा 68 के उपबंधों में संशोधन किया है कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी भी राशि की प्रकृति और स्रोत, चाहे ऋण या उधार के रूप में, या किसी निर्धारिती की पुस्तकों में जमा की गई कोई अन्य दायित्व को केवल तभी समझा जाएगा जब धन का स्रोत भी लेनदार या प्रवेश प्रदाता के हाथों में बताया जाता है। तथापि, लेनदार के हाथ में स्रोत को संतोषजनक ढंग से समझाने का अतिरिक्त दायित्व तब लागू नहीं होगा जब लेनदार सुव्यवस्थित विनियमित इकाई है, अर्थात् यह एक वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) या वेंचर कैपिटल कंपनी (वीसीसी) सेबी के साथ पंजीकृत है। तदनुसार धारा 68 धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण में वीसीएफ/वीसीसी को परिभाषित करने के लिए है।

(ii) यह भी प्रस्तावित है कि सेबी के साथ पंजीकृत वीसीएफ के लिए छूट उन वीसीएफ को दी जाएगी जो आईएफएससीए द्वारा विनियमित है। अतः इसमें आईएफएससी में वीसीएफ सम्मिलित करने के लिए धारा 10 खंड (23चख) के स्पष्टीकरण में वीसीएफ की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है

(घ). अधिनियम की धारा 94ख एक अप्रवासी द्वारा जारी किए गए किसी भी ऋण के संबंध में ब्याज खर्च की कटौती पर प्रतिबंध लगाती है जो उधारकर्ता का संबद्ध उद्यम है। यह किसी भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो उधारकर्ता है। यदि ऐसा व्यक्ति ब्याज या समान प्रकृति के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक का कोई व्यय करता है, जो कि “व्यवसाय या पैसे के लाभ और प्राप्ति” के अधीन देय आय की गणना में कटौती योग्य है, तो कटौती योग्य ब्याज तीस प्रतिशत की सीमा तक सीमित होगा। ब्याज, करों, मूल्य ह्रास और परिशोधन से पहले इसकी कमाई का ताकि एक कारपोरेट इकाई के कम पूंजीकरण से बचा सके। वर्तमान में इस धारा के प्रावधान बाहर की कंपनियों या विदेशी कंपनियों के स्थायी प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता जो बैंकिंग या बीमा या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऐसे वर्ग के व्यवसाय में लगे हुए हैं जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। अब यह प्रस्तावित है कि इस धारा के प्रावधान आईएफएससी में स्थित वित्त कंपनियों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम 2021 के विनियमन 2 के उपविनियमन (1) के खंड (ड.) में परिभाषित किया गया है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है और ऐसी गतिविधियों का संचालन करता है जिन्हें विहित किया जा सकता है।

3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे। तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 के संबंध में और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 4 और 28]

आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन

आय-कर अधिनियम की धारा 56 अन्य स्रोतों से आय के संबंध में है ।

2. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खंड (viiख) अंतःस्थापित किया गया था जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध हो, किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी ऐसे व्यक्ति से जो निवासी है, शेयरों के जारी करने के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, यदि शेयरों के जारी के प्राप्त प्रतिफल ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो ऐसे शेयरों के लिए ऐसे उचित बाजार मूल्य से अधिक प्राप्त प्रतिफल "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक अधीन आय-कर के लिए प्रभावी होगा ।

3. सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के उपबंधों को विलुप्त किया जाए । उक्त विनिश्चय के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के उपबंध निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू नहीं होंगे ।

4. इस संशोधन को तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होगा ।

[खंड 23]

अनिवासी द्वारा घरेलू क्रूज पोत परिचालन का संवर्धन

भारत में क्रूज पोत परिवहन उद्योग के संवर्धन के लिए कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। भारत में क्रूज पोत परिवहन के वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने और भारतीय पर्यटकों में क्रूज पोत परिवहन को लोकप्रिय बनाने के लिए, उद्देश्य है कि भारत को एक आकर्षक क्रूज पर्यटक स्थल बनाया जाए। इस सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत परिचालकों की भागीदारी इस सेक्टर के विकास को बढ़ाएगी और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवसायों तक पहुंच को समर्थ बनाएगी।

2. क्रूज पोत परिवहन के कारबार, जो कि बहु स्तरीय आस्तित्व के रूप में परिचालन कर सकेगा, के लिए स्पष्ट, निश्चित और साधारण संरचना उपलब्ध करने के लिए, निम्नलिखित का प्रस्ताव है। यदि ऐसी विदेशी कंपनी और अनिवासी क्रूज पोत परिचालक की समान नियंत्रि कंपनी है, तब पट्टा किराया से विदेशी कंपनी की आय पर छूट के साथ, क्रूज पोत के परिचालन के कारबार में लगे अनिवासियों(एन आर) के लिए उपधारणात्मक कराधान व्यवस्था लाई जा रही है।

3. इसलिए नई धारा 44खखग के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है, जो इस कारबार से ऐसे क्रूज पोत परिचालक के लाभों और अभिलाभों के रूप में, यात्रियों के भाड़े के कारण, एनआर क्रूज-पोत

परिचालक को प्राप्त/प्राप्य या सदंत/संदेय की सकल रकम का बीस प्रतिशत समझा जाता है। इस धारा की प्रोज्यता विहित शर्तों के अधीन होगी।

4. अनिवासी के पोत कारबार के लिए उपधारणात्मक कराधान से संबंधित धारा 44ख के उपबंध और अधिक क्रूज पोत कारबार को इस प्रकार लागू नहीं होंगे।

5. और, कंपनी जो धारा 44खखग(“पहली कंपनी”) के अधीन उपधारणात्मक व्यवस्था का विकल्प लेती है द्वारा पट्टा किराया सदंत होगा, प्राप्तकर्ता कंपनी के पास छूट प्राप्त होगी, यदि ऐसी कंपनी विदेशी कंपनी है और ऐसी प्राप्तकर्ता कंपनी तथा पहली कंपनी उसी नियंत्री कंपनी के सहायता प्राप्त है। यह किया जाना धारा 10 में नए खंड (15ख) के अंतःस्थापन द्वारा प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त कंपनी तथा नियंत्री कंपनी इस नए खंड के स्पष्टिकरण में परिभाषित की गई है। यह छूट निर्धारण वर्ष 2030-31 से उपलब्ध होगी।

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2025-26 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4,16 और 17]

ग. सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण

धारा 132 के अधीन तलाशी और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामलों में ब्लॉक निर्धारण उपबंधों का पुरःस्थापन

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (“अधिनियम”) की धारा 153क और धारा 153ग के उपबंधों को संशोधित किया गया था जिससे उपबंध किया जा सके कि उक्त उपबंध केवल तारीख 31 मार्च, 2021 को या इससे पूर्व आरंभ की गई अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण कार्यवाहियों और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा को लागू होगा। तलाशी संबंधी निर्धारणों की पृथक् व्यवस्था को समाप्त किया गया था और ऐसे निर्धारणों को पुनर्निर्धारण उपबंधों में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 147, 148, 149, 151 और 151क को भी यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था कि तारीख 1 अप्रैल, 2021 को या इसके पश्चात् आरंभ की गई या की गई तलाशी, सर्वेक्षण या अध्यपेक्षा की दशा में यह समझा जाएगा कि निर्धारण अधिकारी को ऐसी जानकारी है जिससे यह सुझाव मिलता है कि निर्धारिती के मामले में उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या अध्यपेक्षा की गई है या कोई सामग्री अभिगृहीत की गई है या अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण किया गया है, के सुसंगत ठीक पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों के लिए कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है। इसके अतिरिक्त,

यदि निर्धारण अधिकारी को ऐसी जानकारी है जिससे यह सुझाव मिलता है कि आस्तियों के रूप में प्रस्तुत की गई निर्धारण से छुट गई आय पचास लाख रुपए या उससे अधिक की कोटि में आती है या आने की संभावना है, तो धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जा सकती है यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दस वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं ।

2. आय-कर विभाग द्वारा की गई तलाशियां काले धन का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं । तथापि, क्षेत्रीय ताने-बाने से पता चला है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अधिनियम की अधारा 148 के अधीन तलाशी संबंधी निर्धारण की वर्तमान स्कीम के अधीन उद्भूत हो रही हैं । तलाशी के मामलों में समेकित निर्धारणों के लिए किसी विधिक अपेक्षा के अभाव के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां हर वर्ष तलाशी लिए गए निर्धारित के मामले में केवल कालातीत वर्ष का मामला पुनः खोला जाता है । इसके परिणामस्वरूप ऐसी तलाशी के लिए विस्मयकारी निर्धारण किए जाते हैं और परिणामस्वरूप, तलाशी किया गया निर्धारित लगभग दस वर्षों तक तलाशी निर्धारण प्रक्रिया में उलझा रह सकता है । यह समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया है जिससे कर-दाताओं के साथ-साथ विभाग के लिए भी मुकदमेबाजी की लागत बढ़ जाती है । ऐसी अवधि के दौरान, किसी मुद्दे पर विधिक स्थिति में बदलाव हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसी मुद्दे पर भिन्न-भिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न अभिवर्धन हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त, यह संभावना रहती है कि निर्धारित विधिक मुद्दों से ध्यान हटाकर और अप्रकटीत आय को स्पष्ट करने के लिए नया साक्ष्य खोज ले । इसके अतिरिक्त, चूंकि इसमें एक लंबी अवधि अंतर्वलित होती है इसलिए जांच की रूपरेखा के विषय में राय में बदलाव होने की संभावना रहती है । इसके अतिरिक्त, ऐसे विस्मयकारी निर्धारणों के कारण तलाशी के मामलों में समन्वित अन्वेषण व्यवहार्य नहीं रहता है।

3. तलाशी के मामलों के निर्धारण की प्रक्रिया को कम खर्चीला, कार्यकुशल और सार्थक बनाने के लिए ऐसे मामलों के लिए ब्लॉक निर्धारण की स्कीम पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है । इस स्कीम के पुरःस्थापन का मुख्य उद्देश्य तलाशी संबंधी निर्धारणों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाना, तलाशी संबंधी निर्धारणों के दौरान अन्वेषण में समन्वय किया जाना और कार्यवाहियों की बारंबारता में कमी लाना है ।

3.1 अधिनियम के अध्याय 14-ख के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे तलाशी संबंधी मामलों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित उपबंध किया जा सके -

(i) जहां तारीख 1 अक्टूबर, 2024 को या इसके पश्चात् किसी व्यक्ति के मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है, या धारा 132के के अधीन लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजों या अन्य

आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती हैं, तो निर्धारण अधिकारी उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

(ii) 'ब्लॉक अवधि' में उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी, से पूर्व के छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष समाविष्ट होंगे और उसमें उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई थी और अध्यपेक्षा की गई थी, के पहली अप्रैल से आरंभ होने वाली अवधि तथा ऐसी तलाशी या ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख के लिए अंतिम प्राधिकारों की समाप्ति की तारीख सम्मिलित होगी ।

(iii) ब्लॉक अवधि के लिए नियमित निर्धारणों का उपशमन हो जाएगा । ब्लॉक अवधि के लिए एक समन्वित निर्धारण होगा । ब्लॉक निर्धारण पूर्ण होने तक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली अवधि के संबंध में कोई आगे निर्धारण/पुनर्निर्धारण कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(iv) निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की अप्रकटित आय सहित 'कुल आय' का निर्धारण करेगा जिसमें कोई धनराशि, बुलियन, जेवरात या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या कोई खर्च या लेखा बहियों में किसी प्रविष्टि पर आधारित कोई आय कोई अन्य दस्तावेज या संव्यवहार सम्मिलित होंगे, जहां ऐसी धनराशि, बुलियन, जेवरात, मूल्यवान वस्तु, चीज, लेखा बहियों में प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज या संव्यवहार ऐसी पूर्णतः या भागतः आय को प्रस्तुत करते हैं जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रकटित नहीं की गई है या प्रकटीत नहीं की गई होगी या इस अधिनियम के अधीन दावा किया गया कोई व्यय, कटौती या मोक गलत पाया जाता है ।

(v) ब्लॉक अवधि के भीतर आने वाली अघोषित आय, कुल आय का भाग बनाना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गणना की जाएगी, खोज के परिणामस्वरूप मिले साक्ष्य के आधार पर या ऐसी खोज के परिणामस्वरूप सर्वे या खाते की किताबों की मांग या अन्य दस्तावेज या ऐसी अन्य सामग्री या सूचना जो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध है या उक्त अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के अवधि के दौरान उनके ध्यान में आती है ।

(vi) किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में निर्धारण धारा 158खघ के उपबंधों द्वारा शासित होगा, जो यह उपबंध करता है कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अघोषित आय संबंधित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है या उससे संबंधित है जिसकी खोज की गई थी या जिसके खाते की किताबें या अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति का उपयोग किया था । तत्पश्चात् धन, बहुमूल्य धातु आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या संपत्ति या खर्च या खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज या अन्य जानकारी इसमें निहित है । जब्त या अधिगृहीत की गई वस्तुएं ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएगी और निर्धारण

अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धारा 158खग के अधीन कार्यवाही करेगा और तदनुसार उक्त अध्याय के उपबंध लागू होंगे ।

(vii) कर अधिनियम की धारा 113 के अनुसार ब्लाक अवधि के 60 प्रतिशत दर से प्रभार्य लगाया जाएगा । धारा 113 का परंतुक यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया है कि इस धारा के अधीन कर प्रभार्य अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा, यदि कोई हो, जो किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा उद्ग्रहित किया जा सकेगा। तथापि वर्तमान में ब्लॉक अवधि के लिए कर हेतु प्रभार्य आय के लिए कोई अधिभार प्रस्तावित नहीं है।

(viii) निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा अभिनिर्धारित ब्लाक अवधि की अधोषित आय पर शास्ति या आय पर संदेय कर का पचास प्रतिशत लगाया जाएगा । ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी यदि निर्धारण अधिकारी खोज के अनुसरण में विवरणी में अधिघोषित आय और विवरणी के साथ कर का संदाय करता है ।

(ix) खोज किए गए निर्धारिती के ब्लाक निर्धारण के समापन के लिए समय सीमा मास के अंत से बारह मास होगी जिसमें धारा 132 के अधीन खोज करने के लिए प्राधिकरणों के अंतिम या धारा 132क के अधीन मांग निष्पादित की जाएगी । अन्य किसी व्यक्ति के निर्धारण ब्लाक के पूरा होने की समय सीमा मास के अंत से बारह मास होगी जिसमें धारा 158खघ के अनुसरण में धारा 158खग के अधीन नोटिस ऐसे अन्य व्यक्ति को जारी किया गया था । तथापि, निर्धारण अधिकारी को, जब्त किए गए माल की खोज की तारीख से सुपुर्दगी की तारीख की अवधि के संबंध में, लगभग छह मास का अपवर्जन उपलब्ध होगा।

(x) जहां खोज या मांग के परिणामस्वरूप पाए गए साक्ष्य धारा 92गक में निर्दिष्ट कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या विशिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित हैं, पूर्व वर्ष के अप्रैल के 1 दिन से शुरुआत होने वाली अवधि से संबंधित है, जिसमें का अन्तिम प्राधिकरण निष्पादित किया था और उस तारीख को समाप्त हो रहा था जिस पर अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था, ऐसे साक्ष्य को ब्लाक अवधि की कुल आय निर्धारित करने प्रयोजना के लिए नहीं माना जाएगा और ऐसी इस अधिनियम के अन्य अन्य उपबंधों अधीन किए गए निर्धारण में विचार किया जाएगा ।

(xi) धारा 158खग की उपधारा (1)के खंड (क) के अधीन नोटिस में खोजे गए निर्धारिती को ब्लाक अवधि के लिए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, साथ ही ब्लाक अवधि के लिए निर्धारण का आदेश भी जारी किया जाएगा या जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त आयुक्त या अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्व अनुमोदन से पारित किया गया ।

(xii) अधिनियम की धारा 144ग के उपबंध उक्त अध्याय के अधीन किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगा ।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 32,43,49,76 और 85]

आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारण तथा पुनःनिर्धारण से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण करना

वित्त अधिनियम 2021 में 1 अप्रैल, 2021 से आयकर अधिनियम 1961(अधिनियम) में आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए प्रक्रिया के संशोधन को प्रभावी किया था। उक्त संशोधन ने अधिनियम में अन्य बातों के साथ धारा 148 तथा धारा 149 का उपांतरण किया था और नई धारा 148(क) को भी पुरःस्थापित किया था।

2. अधिनियम की धारा 148 के विद्यमान उपबंध अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन प्रारंभ करने के नोटिस को जारी करने के लिए प्रक्रिया का उपबंध करते हैं। उपधारा के विद्यमान उपबंध नोटिस के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए 'सूचना' जो गठित की जाए के ब्यौरे का भी उपबंध करते हैं। उक्त धारा यह और उपबंध करती है कि ऐसे मौके भी होंगे जब निर्धारण अधिकारी के पास निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सूचना पहले से ही मानी जाएगी ।

3. अधिनियम की धारा 148(क) के विद्यमान उपबंध अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली कार्यवाही का उपबंध करते हैं जिसके अंतर्गत जांच का संचालन, निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान करना तथा मामले को पुनः खोले जाने से पूर्व आदेश पारित करना भी आता है। उक्त धारा उन परिस्थितियों का भी उपबंध करती है जिनमें ऐसी कार्यवाही लागू नहीं होती है।

4. और अधिनियम की धारा 149 के विद्यमान उपबंध धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा तथा विभिन्न परिस्थितियों के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना का उपबंध करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 157 के विद्यमान उपबंध, अधिनियम की धारा 148 या धारा 149 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्राप्त करना अनिवार्य करता है।

5. इस संबंध में पूर्वोक्त उल्लिखित धाराओं के उपबंधों के बहुनिर्वचनों से उद्भूत विभिन्न न्यायिक पटलों पर बहुतायत मुकदमों में प्राप्त होने से संबंधित बहुत सुझाव प्राप्त हुए हैं। और निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन की कार्यवाहियों में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा को कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

6. अतः पूर्वोक्त उल्लिखित पुनःनिर्धारण उपबंधों को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है। यह अपेक्षा की गई है कि नई प्रणाली कर दाता को कारबार में सुगमता प्रदान करेगी चूंकि इसमें समय सीमा में कमी की गई है जिससे निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य विशेषता निम्न प्रकार से है :-

(i) अधिनियम की धारा 148 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन करने से पूर्व तथा धारा 148(क) के उपबंधों के अधीन इस मामले को उचित अवधारित करते हुए निर्धारिती को नोटिस के साथ धारा

148क की उपधारा(3) के अधीन आदेश की पारित प्रति के साथ जारी करेगा जिसमें ऐसी अवधि जो मास जिसमें ऐसा नोटिस जारी किया गया था के अंत से 3 मास की अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए इस अधिनियम के अधीन उसकी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह निर्धारणीय है कि विवरणी प्रस्तुत के लिए अपेक्षित करता है। और यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन कोई नोटिस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक की निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना हो जो यह दर्शाए कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामलों में कर के लिए प्रभार्य आय को निर्धारण से उन्मुक्त किया गया है।

1 सितम्बर, 2024 को या के पश्चात्, उक्त धारा की उपधारा (2क) के अधीन से भिन्न, धारा 133क के अधीन संचालित सर्वेक्षण से उत्पन्न निर्धारिती के मामले में किसी सूचना को 'सूचना' की परिभाषा से साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है जो सुझाव देता है कि कर प्रभार्य के लिए आय को निर्धारण से बचाया गया है।

उपबंध करन के लिए यह और प्रस्तावित है कि जहां धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन निर्धारण अधिकारी ने सूचना प्राप्त की है, धारा 148 के अधीन कोई भी नोटिस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(ii) यह और प्रस्तावित है कि धारा 148क का प्रतिस्थापन किया जाए जिससे कि यह उपबंध हो सके कि जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह सूचना है जो यह दर्शाती है कि कर के लिए प्रभार्य आय को सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण से बचाया गया है, धारा 148 के अधीन कोई नोटिस जारी करने से पूर्व उसे नोटिस देकर यह कारण पूछा जाए कि सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाए कि धारा 148 के अधीन उसे मामले में नोटिस क्यों न जारी किया जाए और ऐसा नोटिस सूचना के साथ दिया जाए जो यह दर्शाए कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में कर के लिए प्रभार्य आय को निर्धारण से बचाया गया है। तत्पश्चात् उपधारा 1 के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारिती ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा।

निर्धारण अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध माल के आधार पर और उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत उत्तर को ध्यान में रखते हुए यदि इनमें से कोई हो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से आदेश पारित करेगा जिसमें ये अवधारित होगा कि धारा 148के अधीन जारी नोटिस इस मामले में उचित है या नहीं।

और यह प्रस्तावित है कि इस धारा के उपबंध, उसके मामले में किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर के लिए प्रभार्य आय को निर्धारण से बचाने के लिए धारा 135 के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन जहां निर्धारण अधिकारी के पास सूचना है निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होंगे।

(iii) अधिनियम की धारा 148क और धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा अधिनियम की धारा 149 में उपबंधित करना प्रस्तावित निम्नानुसार है:

- सामान्य मामलों में, धारा 148क के अधीन नोटिस जारी नहीं किया जाएगा यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष गुजर चुके हैं। सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् केवल विनिर्दिष्ट मामलों में नोटिस लिया जा सकता है;
- सामान्य मामलों में धारा 148 के अधीन नोटिस जारी नहीं किया जाएगा यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष और 3 मास गुजर चुके हैं। सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष और 3 मास की अवधि के पश्चात् नोटिस लिया जा सकता है केवल विनिर्दिष्ट मामलों में;
- विनिर्दिष्ट मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी की सूचना के अनुसार निर्धारण से बचने वाली आय की रकम 50 लाख या उससे अधिक होना संभाव्य है, धारा 148क के अधीन 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् नोटिस जारी किया जा सकता है किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं;
- विनिर्दिष्ट मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी की सूचना के अनुसार निर्धारण से बचने वाली आय की रकम 50 लाख या उससे अधिक होना संभाव्य है, धारा 148 के अधीन 3 वर्ष और 3 मास की अवधि के पश्चात् नोटिस जारी किया जा सकता है किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष बाद 3 मास की अवधि के पश्चात् नहीं।

(iv) धारा 151 का प्रतिस्थापन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 148क के प्रयोजनों के लिए अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होंगे।

(v) अधिनियम की धारा 152 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 132 के अधीन खोज प्रारंभ की जा चुकी है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण संचालित किया गया है [उपधारा 2क के अधीन से भिन्न] 1 अप्रैल, 2021 को या से पूर्व किंतु 30 सितंबर, 2024 को या से पूर्व धारा 147 से 151 के उपबंध लागू होंगे चूंकि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा उनके संशोधन से पहले से हैं।

(vi) अधिनियम की धारा 152 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 अक्टूबर, 2024 से पूर्व, धारा 148 के अधीन नोटिस जारी किया जा चुका है या धारा 148क के खंड घ के अधीन आदेश पारित किया जा चुका है ऐसे मामलों में निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन धारा 147 से धारा 151 के उपबंधों के अनुसार शासित होगी चूंकि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा उनके संशोधन से पहले से हैं।

7. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 44, 45,46 और 47]

शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा की अवधि से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 275 (इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम') शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा की अवधि का उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, कथन करती है कि शास्ति के अधिरोपण का कोई भी आदेश उस मामले में पारित नहीं किया जाएगा जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश, किसी अपील का, धारा 246 या धारा 246क के अधीन संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील) या आयकर आयुक्त(अपील) या धारा 253 के अधीन अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) को अपील का विषय है, वित्त वर्ष के अवसान के पश्चात् जिसमें कार्यवाहीयां जिनके क्रम में शास्ति अधिरोपण के लिए कारवाई आरंभ की गई है, जो पूर्ण हो चुकी है या यथास्थिति वह मास जिसमें संयुक्त आयकर आयुक्त(अपील) या आयकर आयुक्त(अपील) ने आदेश पारित किया था के अंत से 6 माह में, जिस भी अवधि का बाद में अवसान हो, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अपील अधिकरण में प्राप्त की जाएंगी। उसी प्रकार, उक्त धारा में अन्य 3 स्थानों पर परिसीमा के प्रयोजन के लिए 'प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के कार्यालय में आदेश की प्राप्ति की तारीख' अपील प्राधिकरण द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख के रूप में दी गई है।

2. क्षेत्र संरचनाओं से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त तथा प्रधान आयकर आयुक्त दोनों के कार्यालयों के निर्देश में उक्त धारा में निर्दिष्ट आदेश पर अधिरोपित शास्तियों के लिए दिनों की संख्या की गणना में अस्पष्टता पाई गयी है। अतः अधिनियम की धारा 275 का संशोधन, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख के निर्देश के लोप के लिए प्रस्तावित है।

3. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 83]

प्रतिदायों का मुजरा और विधारित करने से संबंधित उपबंधों में संशोधन

अधिनियम की धारा 245 कतिपय दशाओं में प्रतिदाय का मुजरा और विधारित करने के संबंध में है । वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 241क और धारा 245 को अधिनियम की धारा 245 के एकल उपबंध में समाकलित किया गया है । वर्तमान में, अधिनियम की धारा 245 निर्धारण अधिकारी को प्रतिदाय को (या प्रतिदाय के किसी भाग को) उस कर की मांग के विरुद्ध समायोजित करने के लिए सशक्त करती है जो कर-दाता से बकाया है । इसके अतिरिक्त, जहां प्रतिदाय किसी व्यक्ति से शोध्य हो जाता है किन्तु उसके मामले में निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाही लंबित है, तब निर्धारण अधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन से उस तारीख तक प्रतिदाय को विधारित कर

सकेगा जिस तारीख को निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा होता है । इसके अतिरिक्त, निर्धारिती को अधिनियम की धारा 244क के अधीन प्रतिदाय पर उस तारीख से आरंभ अवधि के लिए, जिस तारीख को ऐसा प्रतिदाय विधारित किया जाता है और उस तारीख की समाप्ति तक जिसको वह निर्धारण/पुनःनिर्धारण किया जाता है, कोई अतिरिक्त ब्याज संदेय नहीं है ।

2. अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) में उपबंधित है कि 'जहां प्रतिदाय के एक भाग का उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन मुजरा किया जाता है, या जहां ऐसी किसी रकम का मुजरा नहीं किया जाता है, और प्रतिदाय उस व्यक्ति पर शोध्य हो जाता है और निर्धारण अधिकारी की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस व्यक्ति के मामले में निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां लंबित हैं, यह राय है कि प्रतिदाय मंजूर करने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह लिखित में लेखबद्ध किए गए कारणों और प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उस तारीख तक के प्रतिदाय को विधारित कर सकेगा जिस तारीख को ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण किया जाता है ।

3. इस उपबंध को पढ़ने मात्र से यह दिखाई पड़ता है कि दो अपेक्षाएं हैं जो निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना अनुमित है । एक यह है कि उसे यह राय बनानी चाहिए कि प्रतिदाय मंजूर करने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और दूसरी यह कि उसे प्रतिदाय को विधारित करने के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने चाहिए । किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्धारण अधिकारी के लिए किसी प्रतिदाय को विधारित करने के लिए लिखित में कारणों को लेखबद्ध करना पर्याप्त है । इस प्रकार, वाक्यांश "यह राय है कि प्रतिदाय मंजूर करने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है" को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, 'निर्धारण 'निर्धारण की तारीख तक' प्रतिदाय को विधारित करने की अवधि अपर्याप्त है क्योंकि मांग स्वयंमेव निर्धारण की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् शोध्य हो जाती है । अतः, प्रतिदाय को विधारित करने की अवधि को उस तारीख से साठ दिनों तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है जिस तारीख को ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण किया जाता है ।

4. निर्धारण या पुनःनिर्धारण की तारीख से आरंभ अवधि के लिए और जिस तारीख तक अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन ऐसा प्रतिदाय विधारित किया जाता है, अतिरिक्त ब्याज का संदाय न करने के लिए धारा 244क में भी पारिणामिक संशोधन आवश्यक है ।

5. यह संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा ।

[खंड 72 और 73]

आय-कर अपीली अधिकरण में अपीलों को फाइल करने के लिए समय-सीमा का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 253 में संयुक्त आय-कर आयुक्त (अपील), आय-कर आयुक्त (अपील), प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त, मुख्य आय-कर आयुक्त, प्रधान आय-कर आयुक्त, या आय-कर आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध आय-कर अपीली अधिकरण (आईटीएटी) के पास अपील फाइल करने के लिए उपबंध अधिकथित किए गए हैं। आय-कर अपीली अधिकरण, आय-कर अपीली अधिकरण में दूसरा अपीली प्राधिकरण है।

2. उक्त धारा की उपधारा (1) में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन पारित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आदेशों का ब्यौरा दिया गया है जिनके विरुद्ध व्यथित निर्धारिती अपीली अधिकरण में अपील कर सकता है। उक्त उपधारा के खंड (क) में यह उपबंधित है कि तारीख 1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व, यथास्थिति, किसी उपायुक्त (अपील) या किसी आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 154, धारा 250, धारा 270, धारा 271, धारा 271क, धारा 271ककख, धारा 271ककग, धारा 271ककघ, धारा 271ज या धारा 272क के अधीन पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती अपील अधिकरण में अपील कर सकता है।

2.1 अधिनियम की धारा 158खचक अधिनियम के अध्याय 14-ख के अधीन उस दशा में ब्लाक अवधि के लिए अघोषित आय पर ब्याज और शास्ति अधिरोपित करने के लिए है जहां अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई है। तथापि, चूंकि इसके प्रति निर्देश को अधिनियम की धारा 253 की धारा (1) में अंतःस्थापित नहीं किया गया है, इसलिए कोई व्यथित निर्धारिती आयुक्त अपील द्वारा पारित किए गए ऐसे शास्ति आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता। तदनुसार उसमें धारा 158खचक के संदर्भ को सम्मिलित करने के लिए धारा 253 की उपधारा(1) के खंड(क) का संशोधन प्रस्तावित है।

3. उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार, आय-कर अपीली अधिकरण को अपीलें उस तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल की जानी होती हैं जिस तारीख को वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किया जाना ईप्सित है, यथास्थिति, निर्धारिती को या प्रधान आय-कर आयुक्त/आय-कर आयुक्त को संसूचित किया जाता है। आय-कर अपीली अधिकरण को अपीलें मुख्य रूप से आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किए गए आदेशों से सृजित होती हैं, जो अब आईटीबीए के माध्यम से सृजित होती हैं। अपीलों के निपटारे के लिए इस नई फेसलेस व्यवस्था में आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा अधिकारिता वाले प्रधान आय-कर आयुक्त को आदेशों का 'पुंज' माहवार/पाक्षिक भेजने की तत्कालीन परिपाटी की बजाय दिन-प्रतिदिन के आधार पर आदेशों को अपलोड किया जाता है। इसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ है कि आय-कर अपीली अधिकरण को अपील फाइल करने की अवधि

की परिसीमा रोजमर्रा के आधार पर समाप्त हो जाएगी जिससे प्रधान आय-कर आयुक्त और निर्धारण अधिकारी के लिए इन्हें ढूँढ पाना कठिन हो जाएगा।

4. पूर्वगामी को देखते हुए धारा 253 की उपधारा (3) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील उस माह की समाप्ति से दो माह के भीतर फाइल की जा सके जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, निर्धारिती को या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित किया जाता है।

5. यह संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

पूत न्यास और संस्थाओं का सुव्यवस्थीकरण

1. पहली व्यवस्था के साथ दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यासों का विलयन

अधिनियम द्वारा छूट के दावे के लिए न्यासों या निधियों या संस्थाओं हेतु दो मुख्य व्यवस्थाएं रखी गई है। पहली धारा 10 के खंड(23ग) के उपखंड(घ)(iv),(v),(vi)v(vिक) के उपबंधों में अंतर्विष्ट है। दूसरी अधिनियम की धारा 11 से धारा 13 के उपबंधों में अंतर्विष्ट है। क्रमशः व्यवस्थाओं के उपबंध, अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण का आवेदन फाइल करने की, शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया जाएगा या वापिस लिया जा सकता है, आदि कार्यवाही अधिकथित करते हैं।

2. जैसा कि दोनों व्यवस्थाएं समान फायदे अनुदत्त करना आशय करतह है, दोनों व्यवस्थाओं की शर्तें, पिछले कुछ वर्षों से पूर्ववर्ती वित्त अधिनियमों द्वारा पंक्तिबद्ध की जा चुकी हैं।

3. कार्यवाहियों के सरलीकरण तथा प्रशासनिक बोझ को कम करने की प्रक्रिया अग्रणित करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि पहली व्यवस्था का सूर्यास्त किया जाए तथा न्यासों, निधियों या संस्थाओं को क्रमिक रीति में दूसरी व्यवस्था को संक्रमणित किया जाए।

4. अतः इस लिए, प्रस्तावित है कि:

- धारा 10 के खंड (24ग) के उपखंड (iv),(v),(vi)v(vिक) के अधीन अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन लेने के लिए आवेदन, तथा जो 1 अक्टूबर, 2024 को या के पश्चात् फाइल किया गया था, पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 1 अक्टूबर, 2024 से पूर्व इन उपखंडों के अधीन फाइल किया गया आवेदन तथा जो लंबित हैं, पहली व्यवस्था स्वयं ही उपबंधों के अधीन प्रसंस्कृत के उपर विचार करेगी।
 - उक्त अनुमोदन की विधिमान्यता तक, धारा 10 के खंड(23ग) के उपखंड(iv),(v),(vi)व(vi)के उपबंधों के अनुसार, अनुमोदित न्यासों, निधियों या संस्थाओं को छूट के फायदे मिलते रहेंगे।
 - तत्पश्चात् दूसरी व्यवस्था के अधीन वह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। संशोधन तदनुसार धारा 12क में प्रस्तावित की गई है।
 - पहली व्यवस्था के अधीन विनिधान के कतिपय पात्र ढग (अर्थात् जो धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है) दूसरी व्यवस्था में, धारा 13 में संशोधन के द्वारा संरक्षित होंगे।
5. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावित होंगे।

[खंड 4,6 और 9]

II. न्यास या संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने में विलंब के लिए माफी देना

न्यास या संस्था जो धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए इच्छुक हैं, को अन्य बातों के साथ, धारा 12क की उपधारा(1) के खंड (कग) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन करना अपेक्षित है।

2. यह नोट किया गया है कि कई बार न्यास या संस्था विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन फाइल करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसी दशा में कोई न्यास या संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में असमर्थ रहते हैं, तो अधिनियम के अध्याय 12ड.ख के उपबंधों के अनुसार अनुवृद्धि आय पर वह कर का दायी बन सकता है। छूट व्यवस्था से न्यास या संस्था के स्थाई निकास की परिस्थिति भी उद्भूत हो सकती है।

3. यह प्रस्तावित है कि प्रधान आयुक्त/आयुक्त आवेदन फाइल करने में विलंब माफ करने में असमर्थ हो सकेंगे तथा ऐसे आवेदन को समय के भीतर फाइल किया माने/ विलंब माफ किया जा सकेगा यदि वह यह समझे इसके लिए युक्तियुक्त कारण है।

4. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

[खंड 6]

III. फंड या संस्थाओं के लिए धारा 80छ के अधीन अनुमोदन की ईप्सा करते हुए आवेदन फाइल करने के लिए समय-रेखा का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 80छ में, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय फंडों या संस्थाओं को दान प्राप्त करने के लिए अनुमोदन देने हेतु उपबंध किया गया है। निर्धारित के हाथों में, अनुमोदित फंडों या संस्थाओं को दान करने पर ऐसे दान हेतु कटौती उपलब्ध है।

2. धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक में धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट खंडों या संस्थाओं के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन फाइल करने के लिए समय-रेखा उपबंधित है। दूसरे, परंतुक में इस पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया अधिकथित की गई है। यह पाया गया है कि कई बार फंड या संस्थान विनिर्दिष्ट समय-रेखा के भीतर आवेदन फाइल करने में असमर्थ रहते हैं। धारा 80छ के अनुमोदन से फंड या संस्था के लिए अनाशियत रूप से बाहर होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

3. अनुमोदन के लिए आवेदनों को फाइल करने हेतु समयरेखा का सुव्यवस्थित करने के लिए पहले और दूसरे परंतुकों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

4. ये संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

[खंड 26]

IV. न्यासों या फंडों या संस्थाओं द्वारा धारा 12कख के अधीन छुट के लिए रजिस्ट्रीकरण या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के लिए ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदनों का निपटारा करने के लिए समय-रेखा का सुव्यवस्थिकरण

न्यासों या संस्थाओं द्वारा धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदनों पर प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उस माह जिसमें आवेदन प्राप्त किया गया था, की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2. इसी प्रकार, धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट फंडों या संस्थाओं के अनुमोदन की ईप्सा करते हुए आवेदनों पर प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उस माह जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

3. बेहतर प्रशासन और मानिट्रिंग के लिए न्यासों या फंडों या संस्थाओं द्वारा किए गए आवेदनों का उस तिमाही की समाप्ति से छह माह में, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, निपटारा करने के लिए समय-रेखा को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है ।

4. इस प्रकार, जहां, यथास्थिति, धारा 12कख या धारा 80छ के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत/अनुमोदित न्यास या फंड या संस्था रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए या जहां रजिस्ट्रीकृत/अनुमोदित न्यास या फंड या संस्था आगे रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करते हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने/आवेदन नामंजूर करने का आदेश उस तिमाही की समाप्ति से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, छह माह की समाप्ति से पूर्व पारित किया जाएगा ।

5. ये संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 7 और 26]

V. छुट-व्यवस्था के अधीन न्यासों का अन्य न्यासों के साथ विलय

जब कोई न्यास या संस्था, जो, यथास्थिति, पहली या दूसरी व्यवस्था के अधीन अनुमोदित/रजिस्ट्रीकृत है, का इनमें से किसी व्यवस्था के अधीन किसी अन्य अनुमोदित/रजिस्ट्रीकृत सत्ता के साथ विलय किया जाता है, तो इस पर कतिपय परिस्थितियों में अभिवर्धित आय पर कर से संबंधित अध्याय 12-ड.ख के उपबंध लागू हो सकेंगे ।

2. यह प्रस्ताव किया जाता है कि कर-दाताओं के लिए अधिक स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करने के लिए वे शर्तें विहित की जाएं जिनके अधीन उक्त विलय पर अध्याय 12-ड.ख के उपबंध लागू नहीं होंगे । इस प्रयोजन के लिए एक नई धारा 12कग अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

3. ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 8]

VI. धारा 10के खंड (23ड.क), खंड (23ड.घ) और खंड (46ख) के निर्देश को धारा 11(7) में सम्मिलित किया जाना

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) में यह अधिकथित है कि धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अप्रयोज्य हो जाएगा, यदि न्यास या संस्था को धारा 10 के खंड (23ग), (23ड.ग), (46) या (46क) के अधीन अनुमोदित/अधिसूचित किया जाता है । ऐसे न्यास या संस्था के पास धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को चालू करने के लिए आवेदन करने का एक बार ही विकल्प

है । इस प्रकार, कोई न्यास या संस्था उन उपबंधों का चयन कर सकते हैं जिनके अधीन वह छुट के दावे के लिए ईप्सा करते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ड.क), खंड (ड.घ) और खंड (46ख) के संदर्भ को सम्मिलित करने के लिए धारा 11 की उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दूसरी व्यवस्था के अधीन आने वाले न्यास धारा 10 के ऊपरउल्लिखित विनिर्दिष्ट खंड के अधीन छुट का दावा करने के लिए समर्थ हो सकें ।

3. ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 5]

पूँजी अभिलाभों के कराधान का सुव्यवस्थिकरण और सरलीकरण

पूँजी अभिलाभों के कराधान को सुव्यवस्थित और सरलीकृत किए जाने का प्रस्ताव है । इस सरलीकरण के तीन घटक हैं । पहला, यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह अवधारण करने के लिए कि क्या पूँजी अभिलाभ अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ है या दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ है 12 माह और 24 माह की केवल दो धारण अवधियां होंगी । सभी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए धारण अवधि 12 माह किए जाने का प्रस्ताव है और सभी अन्य आस्तियों के लिए यह अवधि 24 माह की होगी । तदनुसार, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (42क) में संशोधन का प्रस्ताव है । इस प्रकार, सूचीबद्ध कारबार न्यास की ईकाइया अब सूचीबद्ध इक्विटी के समान पूर्ववर्ती 36 माह के बजाय 12 माह की होगी । बांड्स, डिबेंचर, स्वर्ण के लिए धारण अवधि 36 माह से कम करके 24 माह होगी । असूचीबद्ध शेयरों और संपत्ति के लिए यह अवधि 24 माह ही रहेगी ।

2. दूसरा, अधिनियम की धारा 111क के उपबंधों के अधीन इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख म्युचुअल फंड की ईकाइयों और किसी कारबार की ईकाई पर संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की वर्तमान 15 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि वर्तमान दर बहुत कम है और ऐसी कम दर का फायदा बड़े पैमाने पर उच्च निवल मूल्य वाली व्यष्टियों को हो रहा है । अन्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ पर कर लागू दर पर लगाया जाना जारी रहेगा ।

2.1 सभी प्रवर्ग की आस्तियों के संबंध में अधिनियम की विभिन्न धारा के उपबंधों के अधीन दीर्घकालिक पूँजी लाभ की दर को 12.5 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है । यह दर पहले धारा 112क के अधीन सूचीबद्ध इक्विटी, इक्विटी-उन्मुख फंड की ईकाइयों और कारबार न्यास पर संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए 10 प्रतिशत थी और अन्य आस्तियों के लिए यह दर धारा 112 के अधीन सूचकांकीकरण के साथ 20 प्रतिशत थी । तथापि, धारा 112क के अधीन इक्विटी शेयरों,

इक्विटी-उन्मुख फंड की ईकाइयों और कारबार न्यास पर संदत प्रतिभूति संव्यवहार कर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभों के लिए पहले उपलब्ध छुट, जो ऐसी आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ से आय का एक लाख रुपए तक थी, को बढ़ाकर अभिलाभों की छुट को 1.25 लाख (संकलित) करने का प्रस्ताव है। बांड्स और डिबेंचर के लिए दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के कराधान के लिए दर सूचकांकीकरण के बिना 20 प्रतिशत थी। सूचीबद्ध बांड्स और डिबेंचर के लिए दर को कम करके 12.5 प्रतिशत किया जाएगा। असूचीबद्ध डिबेंचर और असूचीबद्ध बांड्स ऋण दस्तावेज की प्रकृति के हैं और इसलिए उन पर किसी पूंजी अभिलाभ पर कर लागू दर पर अधिरोपित किया जाना चाहिए, चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है।

2.2 इस प्रकार, असूचीबद्ध डिबेंचर और असूचीबद्ध बांड्स पर उन्हें अधिनियम की धारा 50कक के उपबंधों के अधीन सम्मिलित करके लागू दरों पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। धारा 50कक में यह संशोधन तारीख 23 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।

3. तीसरा, 12.5 प्रतिशत की दर के सुव्यवस्थिकरण के साथ-साथ, धारा 48 के दूसरे परंतुक के अधीन उपलब्ध सूचकांकीकरण को किसी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की गणना करने के लिए हटाए जाने का प्रस्ताव है जो वर्तमान में संपत्ति, स्वर्ण और अन्य सूचीबद्ध आस्तियों के लिए उपलब्ध है। इससे कर-दाताओं और कर-प्रशासन के लिए पूंजी अभिलाभों की संगणना करना आसान होगा।

4. प्रवासी और अप्रवासी निर्धारिती के मध्य कराधान में समानता: प्रवासी और अप्रवासी निर्धारिती के मध्य कराधान में समानता लाना, धारा 115कघ, 115कख, 115कग, 115कगक और 115ड. के लिए तत्स्थानी संशोधन धारा 112क के अधीन प्रस्तावित दीर्घकालिक पूंजीलाभ के संबंध में कराधान की दरों का संरेखण किया जा रहा है और धारा 111क के अधीन प्रस्तावित अल्पकालिक पूंजीलाभ की दर से बनाया जा रहा है।

5. इसके अतिरिक्त धारा 196ख और 196ग के अधीन पूंजीगत लाभ की दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए रोके गए प्रावधानों को मूल उपबंधों के साथ संरेखित करने के लिए परिणामी संशोधन किए जा रहे हैं

6. यह प्रस्ताव तुरंत प्रभाव से अर्थात् 23 जुलाई 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है।

[खंड 3,20,21,29,30,31,33,34,35,36,38,63 और 64]

धारा 50कक के अधीन विनिर्दिष्ट म्यूचल फंड की परिभाषा का संशोधन

वित्त अधिनियम, 2023 ने आयकर अधिनियम की धारा 50कक की शुरुआत के माध्यम से बाजार से जुड़े डिबेंचर और विनिर्दिष्ट म्यूचल फंड के लिए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कराधान की विशेष व्यवस्था शुरू की थी। ऐसे मामलों में लाभ पर धारण की अवधि परवाह किए बिना अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाना था। इक्विटी शेयरों में 35 प्रतिशत से अधिक निवेश न करने की आवश्यकता ने अन्य फंडों को भी प्रभावित किया है जो ऋण उन्मुख फंड नहीं हैं, लेकिन इक्विटी शेयरों में 35 प्रतिशत से कम निवेश करते हैं ऐसे फंड जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उनमें विनिमय व्यापार फंड (ईडीएफ, गोल्ड म्यूचल फंड और गोल्ड ईटीएफ शामिल हैं)। फंड ऑफ फंडस (एफओ एफ) के मामले में भी, जहां अंतर्निहित फंड अन्य उपकरणों में निवेश करता है, इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या उन्हें धारा 50कक में परिभाषित विशिष्ट म्यूचल फंड माना जाएगा। इस प्रकार धारा 50कक के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट म्यूचल फंड” को परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों के संदर्भ में किए जा रहे निवेश के अनुपात के बारे में स्पष्टता प्रदान की जा सके और इसमें निवेश आवश्यकताओं को भी स्पष्ट किया जा सके। फंड ऑफ फंडस (एफओएफ) का मामला सामने आया था। स्पष्टता और संशोधन की मांग करते हुए कई हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार धारा 50कक के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अधीन “विनिर्दिष्ट म्यूचल फंड” में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रदान किया जा सके कि विनिर्दिष्ट म्यूचल फंड का अर्थ म्यूचल फंड होगा :

(क) किसी भी नाम से जाना जानेवाला म्यूचल फंड, अपनी कुल आय का 65 प्रतिशत से अधिक ऋण और मुद्रा बाजार उपकरण में निवेश करता है; या

(ख) एक फंड जो उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट फंड की इकाइयों में अपनी कुल आय का 65 प्रतिशत या अधिक निवेश करता है।

धारा 50कक के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अधीन उपरोक्त संशोधनों को 1 अप्रैल, 2026 से प्रभाव में लाने का प्रस्ताव है और यह निर्धारण वर्ष 2026 - 2027 से आगे लागू होगा।

[खंड 21]

स्रोत पर कर कटौती दर का सुव्यवस्थीकरण

0.1% 1% 2% 5% 10% 20% 30% तथा उपरोक्त के बीच विभिन्न अवसीमाओं और बहु दरों के साथ स्रोत पर कर कटौती के विभिन्न उपबंध हैं। करदाता द्वारा कारबार की सुगमता तथा उत्तम अनुपालन में सुधार के लिए, स्रोत पर कटौती की दरों में कमी करना प्रस्तावित है। तथापि, वेतन पर टी डी एस, वर्चुअल डिजिटल आस्तियों पर टीडीएस, लॉटरी आदि/ घुड़दौड़ से जीत पर टीडीएस, जंगम

संपत्ति के अंतरण पर संदाय तथा अनिवासियों को संदाय, संविदायों पर टीडीएस के लिए टीडीएस दर आदि जैसी धाराओं के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. सुव्यवस्थीकरण की टीडीएस दरें निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:-

धारा	वर्तमान टीडीएस दर	प्रस्तावित टीडीएस दर	से प्रभावी
धारा 194घ- बीमा कमीशन का संदाय (कंपनी से भिन्न व्यक्ति होने की दशा में)	5%	2%	01-04-2025
धारा 194घक-जीवन बीमा पॉलीसी के संबंध में संदाय	5%	2%	01-10-2024
धारा 194छ- लॉटरी टिकट के विक्रय पर कमीशन आदि	5%	2%	01-10-2024
धारा 194 ज - कमीशन या दलाली का संदाय	5%	2%	01-10-2024
धारा 194 झख- व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किराये का संदाय	5%	2%	01-10-2024
धारा 194 ड- कतिपय व्यष्टिकों या हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा कतिपय राशियों का संदाय	5%	2%	01-10-2024
धारा 194 ण- ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा ई-वाणिज्य भागीदार को कतिपय राशियों का संदाय	1%	0.1%	01-10-2024
पारस्परिक निधि या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिट के पुनः क्रय के लिए संदाय से संबंधित धारा 194च	लोप के लिए प्रस्तावित		01-10-2024

धारा 194 घ- बीमा कमीशन का संदाय

3) धारा 194 घ के उपबंधों के अनुसार, किसी निवासी को पारिश्रमिक या इनाम के माध्यम से चाहे कमीशन या अन्यथा के माध्यम द्वारा किसी आय के संदाय के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, बीमा कारबार याचित या उपाप्त करने के लिए (जिसके अंतर्गत बीमा पॉलिसियों के चालू रहने, नवीकरण या पुनः प्रवर्तन से संबंधित कारबार भी है) संदेयकर्ता के खाते में ऐसी आय के जमा होने के समय या नकद में उसका संदाय करते समय या बैंक जारी करने द्वारा या किसी अन्य माध्यम द्वारा, जो भी पूर्वतर है, उस पर आयकर की कटौती प्रवृत्त दर पर, जोकि वर्तमान में 5% है, करेगा (कंपनी से भिन्न व्यक्ति होने की दशा में)।

4.) यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194घ के अधीन (कंपनी से भिन्न व्यक्ति होने की दशा में) टीडीएस 5% से 2% घटाया जाए।

5.)संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

धारा 194 घक - जीवन बीमा पॉलीसी के संबंध में संदाय

धारा 194घक के उपबंधों के अनुसार, जीवन बीमा पॉलीसी के अधीन किसी निवासी को राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित रकम से भिन्न, जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलीसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित राशि भी है, संदाय के समय पर, उसमें दी गई आय की रकम पर 5% की दर पर उस पर आयकर कटौती करेगा।

2. यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194 घक के अधीन टीडीएस 5% से 2% पर घटाया जाए।

3. संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 54]

धारा 194 छ- लॉटरी टिकट के विक्रय पर कमीशन आदि

धारा 194 छ के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर, 1991 को या के पश्चात किसी भी व्यक्ति को संदाय के लिए उत्तरदायी होगा, जो लॉटरी टिकटों का भंडारण, क्रय या विक्रय कर रहा है, ऐसी टिकटों पर कमीशन या पारिश्रमिक या इनाम (जिस भी नाम से ज्ञात हो), रकम पर जो पचास हजार रुपये से अधिक है, संदेयकर्ता के खाते में ऐसी आय के प्रत्यय के समय या नकद में ऐसी आय के संदाय के समय पर या बैंक या ड्राफ्ट जारी करने के द्वारा या अन्य किसी मोड द्वारा, जो भी पूर्वतर हो, उस पर 5% की दर पर आयकर कटौती करेगा।

2.) यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194 छ के अधीन टीडीएस 5% से 2% पर घटाया जाए।

3.) संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 56]

धारा 194 ज- कमीशन या दलाली का संदाय

धारा 194 ज के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (यथा विनिर्दिष्ट) नहीं है, जो निवासी को 1 जून, 2001 को या के पश्चात संदाय के लिए उत्तरदायी होगा, कमीशन या दलाली(धारा 194 घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं), संदायकर्ता के खाते में ऐसी आय प्रत्यय करते समय या नकद में ऐसी आय संदत्त करते समय या बैंक या ड्राफ्ट जारी करते समय या किसी अन्य मोड द्वारा, जो भी पूर्वतर हो, उसपर 5% की दर पर आयकर की कटौती करेगा।

2.) यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194 ज के अधीन टीडीएस 5% से 2% पर घटाया जाए।

3.) संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 57]

धारा 194 झख- व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय

धारा 194 झख के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के रूप में (धारा 194 झ के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न) जो निवासी को किराए के माध्यम से कोई आय जो एक मास या पूर्व वर्ष के दौरान मास के भाग के लिए पचास हजार से अधिक संदाय करने का उत्तरदायी है, ऐसी आय के 5% के बराबर रकम पर आयकर की कटौती करेगा।

2.) यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194 झ ख के अधीन टीडीएस 5% से 2% पर घटाया जाए।

3.) संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

(खंड 59)

धारा 194ड- कतिपय व्यष्टिकों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा कतिपय राशियों का संदाय

कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के तौर पर (जिनसे धारा 194ग, धारा 194ज या धारा 194ज के उपबंधों के अनुसार आयकर कटौती अपेक्षित है, से भिन्न) जो किसी व्यक्ति को किसी संविदा के अनुसरण में कोई कार्य करने के लिए राशि (जिसके अंतर्गत किसी कार्य करने के लिए श्रमिकों की पूर्ति भी है) या तो कमीशन द्वारा (धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा के कमीशन के रूप में नहीं) या दलाली या वित्तीय वर्ष के दौरान वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के माध्यम से संदाय के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसी राशि के प्रत्यय के समय या ऐसी राशि नकद में संदेय करते समय या

चैक जारी करने के द्वारा या किसी अन्य माध्यम द्वारा, जो भी पूर्वतर हो, उस पर ऐसी राशि के 5% के बराबर आयकर की कटौती करेगा।

2.) यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194 ड के अधीन टीडीएस 5% से 2% पर घटाया जाए।

3.) संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

(खंड 60)

धारा 194ण- ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा ई-वाणिज्य भागीदार को कतिपय राशि का संदाय

अधिनियम की धारा 194-ण उपबंध करती है कि अध्याय 27-ख के किन्हीं उपबंधों में अंतर्विष्ट के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां माल का विक्रय या ई-वाणिज्य भागीदार की सेवाओं के उपबंध, ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से उसकी डिजीटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफार्म (जिस किसी भी नाम से ज्ञात), द्वारा सुकर बनाए जाएंगे, ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक ई-वाणिज्य भागीदार के खाते में विक्रय या सेवाओं या दोनों की रकम के प्रत्यय के समय या ऐसे ई-वाणिज्य भागीदार को संदाय किसी अन्य माध्यम द्वारा करते समय, जो भी पूर्वतर हो, ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की सकल रकम पर 1% की दर पर आयकर कटौती करेगा।

2.) तथापि, अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि ऑफलाइन संव्यवहार से 0.1% की दर से न्यूनतम टीडीएस प्राप्त होता है(माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर टीडीएस से संबंधित धारा 194थ के अधीन) या 0.1% की दर से स्रोत पर कर संग्रहण (माल के विक्रय से प्राप्ति पर टीडीएस से संबंधित धारा 206ग(1ज) के अधीन) इन उपबंधों में समानता लाने के लिए धारा 194ण के अधीन टीडीएस दर में 1 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत की कमी प्रस्तावित है।

3.) संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

(खंड 61)

धारा 194च - पारस्परिक निधि या यूटीआई द्वारा इकाइयों के पुनः क्रय करने पर संदाय पर टीडीएस

पारस्परिक निधि या यूटीआई द्वारा ईकाई के पुनः क्रय पर टीडीएस के संदाय से संबंधित धारा 194च का लोप प्रस्तावित है, जिस पर 20% का टीडीएस प्राप्त होता है।

2. संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

प्रत्यय के लिए संग्रहित टीसीएस/वैतनिक कर्मचारियों द्वारा कटौती किए गए टीडीएस के दावे में सुगमता

अधिनियम की धारा 192 वेतन आय पर स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (2ख) निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए, उपर्युक्त धारा की उपधारा(1) के अधीन कटौती किए जाने के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय या उस पर कटौती किए गए कर, यदि कोई हो, पर विचार किए जाने का उपबंध करती है।

2. अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कर्मचारियों की वेतन आय पर कटौती किए जाने वाले कर की रकम की संगणना करते समय, संदत्त टीसीएस के प्रत्यय को अनुज्ञात किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कर्मचारियों के लिए नकदी प्रवाह मुद्दों के परिवर्जन में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार, कर्मचारियों की वेतन आय से कर कटौती के प्रयोजन के लिए सभी टीडीएस को हिसाब में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जब टीसीएस आदि को हिसाब में नहीं लिया जाता है तो उसे कर्मचारी द्वारा प्रतिदाय के रूप में दावा किये जाने की अपेक्षा होती है जो अनुपालन प्रक्रिया का परिवर्धन करती है।

3. अनुपालन की सुगमता के लिए, यह प्रस्ताव है कि धारा 192 की उपधारा (2ख) का संशोधन कर, उक्त उपधारा की व्याप्ति का विस्तार कर, अध्याय 17-ख या 17-खख, यथास्थिति के उपबंधों के अधीन कटौती किए गए या संग्रहित किसी कर को धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन कटौती किए जाने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाए।

4. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

(खंड 50)

टीसीएस के सरकारी खाते में विलंब से भुगतान करने के लिए ब्याज दरों का संरेखण

अधिनियम की धारा 206ग एलकोल्टिक मदिरा, वन उपज, स्ट्रैप आदि के लिए व्यापार के व्यवसाय पर स्रोत पर कर (टीसीएस) के संग्रह का उपबंध करती है। धारा 206ग की उपधारा (7) में यह उपबंध है कि जो व्यक्ति कर एकत्र करने में विफल रहते हैं या उसके बाद एकत्र करने पर उसे जमा करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए उस तारीख से एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करना होगा, जिस दिन ऐसा कर संग्रहणीय था। वह तारीख जिस पर कर का भुगतान किया गया था।

2. यह उल्लेख किया गया है कि टीसीएस की विलंब से वसूली/ विलंब से जमा करने पर लागू ब्याज दरें/टीडीएस की विलंब से कटौती /जमा करने से संबंधित धारा 201 की उपधारा (1क) के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। 1.5 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर वहां लागू होती हैं जहां पर कर की कटौती की गई है लेकिन विफलता से जुड़ी गंभीरता के कारण सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया है क्योंकि यह

कटौतीकर्ता को देय कर क्रेडिट से वंचित करता है और समय पर केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचता । यही कठिनाई संग्रहकर्ता को भी उठानी पड़ती है ।

3. कर संग्रहण के बाद सरकारी खाते में संदाय न करने पर लगने वाली साधारण ब्याज की दर को संरेखित करने के लिए धारा 206ग की उपधारा (7) में संशोधन करने का प्रस्ताव है । ताकि स्रोत पर एकत्रित कर का भुगतान न करने पर लगने वाले साधारण ब्याज को निर्दिष्ट किया जा सके । सरकारी खाते में, एक प्रतिशत से डेढ़ प्रतिशत बढ़ाया जाना है । जिस तारीख को ऐसा कर एकत्र किया गया था उस तारीख से जिस तारीख को ऐसा कर वास्तव में भुगतान किया गया है, ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए उस तारीख से ऐसे कर की रकम पर जिस पर ऐसा कर तारीख को संग्रहीत किया गया था जिस पर ऐसा कर वास्तविक रूप से संदत है ।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 को प्रभाव में आएंगे ।

(खंड 70)

फर्म के कार्यरत भागीदारों के पारिश्रमिक की सीमा में बढ़ोतरी को कटौती के रूप में अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 40 ऐसी राशि के लिए उपबंध करती है जो कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में कटौती नहीं की जाएगी। उक्त धारा के खंड (ख) का उपखंड (v) किसी भागीदार को जो कार्यरत भागीदार है, पारिश्रमिक का कोई संदाय करने से अननुज्ञात करने के लिए उपबंध करता है, जो कि भागीदार विलेख के निबंधनों द्वारा प्राधिकृत किया जाता है या के अनुसरण में है तथा ऐसे भागीदार विलेख की तारीख के पश्चात् आने वाली किसी अवधि के संबंध में पूर्व वर्ष के दौरान सभी भागीदारों को ऐसे संदाय की रकम निम्नानुसार संगणित सकल रकम से अधिक होती है।

क	खाता लाभ के प्रथमतया 300000 रु या हानि की दशा में	150000 रु या खाता-लाभ के 90% की दर पर, जो भी अधिक हो
ख	खाता-लाभ के अतिशेष पर	60% की दर पर

2.) यह सीमा कानून में निर्धारण वर्ष 2010-11 से प्रभावी कर दी गई है। अब भागीदार फर्म में कार्यरत भागीदारों की पारिश्रमिक की सीमा का संशोधन प्रस्तावित हैं, जो कि कटौती के रूप में अनुज्ञात है।

यह प्रस्तावित है कि खाता-लाभ के प्रथम 600000 रु या हानि की दशा में पारिश्रमिक की सीमा 300000 रु या खाता-लाभ के 90% की दर पर बढ़ा दी गई है, जो निम्न प्रकार से है:-

क	खाता लाभ के प्रथमतया 600000 रु या हानि की दशा में	300000 रु या खाता-लाभ के 90% की दर पर, जो भी अधिक हो
ख	खाता-लाभ के अतिशेष पर	60% की दर पर

3.) अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (v) के संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

(खंड 14)

माता-पिता के देखरेख में अव्यस्क के टीसीएस के लिए प्रत्यय का दावा

अधिनियम की धारा 206ग शराब, वन उत्पाद, कबाड़ आदि में व्यापार के कारबार पर स्रोत पर कर के संग्रह (टीसीएस) के लिए उपबंध करती है। अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि संग्रहदाता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि माता-पिता) को टीसीएस के प्रत्यय अनुज्ञात करने के लिए अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

2.) उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अधीन प्रेषित निधियाँ अव्यस्क के नाम में प्रेषित की गई होंगी और तदनुसार धारा 206ग की उपधारा (1छ) के अधीन कर संग्रह किया गया होगा। हालांकि, माता-पिता के लिए उनकी कर विवरणी में, ऐसा दावा करने के लिए कोई उपबंध नहीं है।

3.) इसलिए अधिनियम की धारा 206 ग में एक उपबंध के पुरःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि उन मामलों के लिए बोर्ड को नियमों को अधिसूचित करने की अनुज्ञा दी जा सके, जहां संग्रहित कर का प्रत्यय संग्रहदाता से भिन्न व्यक्ति को दिया जाता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस उपबंध का दुरुपयोग न हो, अव्यस्क के टीसीएस के प्रत्यय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जहां अव्यस्क की आय अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1क) के अधीन माता-पिता की आय के साथ जोड़ दी जाए, जो कथन करता है कि व्यष्टिक की कुल आय की संगणना करते हुए ऐसी सभी आय जो उसके अव्यस्क बालक को उद्भव या उद्भूत हुई हो, इसमें सम्मिलित की जाएगी।

4.) संशोधन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे।

(खंड 70)

घ. कर आधार/परिवर्जन रोध को गहन और विस्तृत करना

क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों के लिए घरेलू कंपनी के आय वितरण पर कर

क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों से घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध वित्त अधिनियम, 2013 में पुरःस्थापित किए गए थे जो कि तब की लाभांश वितरण कर स्कीम के अनुरूप है। वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा किए गए संशोधनों से पूर्व किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय के संबंध में आयकर प्रभार्य के अतिरिक्त लाभांश के माध्यम द्वारा वितरित लाभ पर एक कंपनी को लाभांश वितरण कर संदेय करना पड़ता था। लाभांश वितरण कर को वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

2. निर्देश प्राप्त हुए हैं जो कथन करते हैं कि क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों पर चुकाई गई रकम प्राप्तकर्ता के पास कराधेय होनी चाहिए, जो कि लाभांश के कराधान के स्थान पर नई उसी प्रकार की व्यवस्था के अनुरूप हो।

3. दोनो लाभांश के साथ-साथ वापस लिए जाने की पद्धतियां कंपनी को आरक्षित संचित वितरण करने के लिए हैं तथा दोनो की उसी प्रकार माना जाए। इसके अतिरिक्त वहां शेयर धारक जो घरेलू कंपनी द्वारा वापस लिए गए में शेयरधारकों से ऐसी कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों के विस्तार तक अपने शेयरों को देते हैं, के अधिकारों का निर्वापन हुआ है। ऐसे शेयरों के अर्जन की लागत भी किसी रीति में लेखा होना आवश्यक है।

4. इसलिए यह प्रस्तावित है कि घरेलू कंपनी द्वारा उसके स्वयं के शेयर खरीदने के लिए संदत्त राशि शेयरधारक के पास लाभांश के रूप में मानी जाएगी, जो कि ऐसे क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों से प्राप्त हुई थी और लागू दरों पर आयकर प्रभार्य होगा। अन्य स्रोतों से आय अवधारण करने के दौरान ऐसी लाभांश आय के लिए किए गए व्ययों पर कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी। शेयरों के अर्जन की लागत जो वापस लिए गए हैं शेयरधारक के लिए पूंजी हानि के रूप में सृजित होंगे, चूंकि इन आस्तियों निर्वापन हो चुका है। अतः जब शेयरधारकों के पास शेयरों के विक्रय या अन्यथा से कोई अन्य पूंजी अभिलाभ हुआ है, तत्पश्चात् वह सभी शेयरों के अर्जन की मूल लागत का दावा करने का हकदार होगा (जैसे की पूर्व में क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयर जमा अंततः विक्रय किए गए शेयर। यह निम्नानुसार संगणित किया जाएगा-

- (i) वापस लिए गए के अधीन शेयरों के प्रतिफल का धारणा मूल्य (पूंजी हानि की संगणना के प्रयोजन के लिए) शून्य के रूप में;
- (ii) वापस लिए गए पर पूंजी हानि अनुज्ञात करना, प्रतिफल के मूल्य (शून्य) के रूप में संगणित से अर्जन की लागत को घटाना;
- (iii) पूंजी हानि के रूप में इसे अग्रणित करने के लिए अनुज्ञा, जो कि तत्पश्चात् विक्रय पर प्राप्त प्रतिफल से मुजरा की जा सकेगी। तथा उस विस्तार तक पूंजी अभिलाभ को घटाना।

उदाहरण:-

2020 में 40 रु प्रति शेयर की दर पर खरीदे गए 100 शेयर ।

अर्जन की कुल लागत 4000 रु

2024 में 60 रु प्रति शेयर की दर पर क्रय द्वारा वापस लिए गए 20 शेयर

मानित लाभांश के रूप में कराधेय आय 1200 रु

ऐसे वापस लिए पर पूंजी हानि (40*20 रु) 800 रु

2025 में 70 रु प्रति शेयर की दर पर विक्रय किए गए 50 शेयर

पूंजी अभिलाभ (3500-2000) 1500 रु

मुजरा के पश्चात् प्रभार्य पूंजी अभिलाभ 700 रु

5. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 प्रभावी होंगे तथा तदनुसार वापस लिए गए शेयर जो इस तारीख को या के पश्चात् लिए जाते हैं को लागू होंगे।

[खंड 3,4,18,24,39 और 52]

वित्त (सं-2) अधिनियम 2004, के संशोधन द्वारा प्रतिभूति संव्यवहार कर की दरों का पुनर्विलोकन

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में संव्यवहार पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (इसके पश्चात् एसटीटी कहा गया है) का उदग्रहण वित्त(सं.2) अधिनियम, 2004 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। एसटीटी के उपबंधों के अनुसार किसी प्रारंभिक पब्लिक प्रस्थापना या किसी प्रारंभिक प्रस्थापना के संबंध में कंपनी द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, पारस्परिक निधि (साम्या अभिसंस्कृत स्कीम के साथ), बीमा कंपनी या अग्रणी वाणिज्य बैंक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर कर संग्रहण करने के लिए दायी होगी और उसे उस मास के अंत से सात दिन के भीतर जिस मास में एसटीटी संग्रहणित किया गया है, केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को संदाय करेगी। 2004 में इसके पुरःस्थापन के पश्चात् समय-समय पर एसटीटी की दरें पुनर्विलोकित की गई हैं।

2. वर्तमान में, प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय पर एसटीटी के उदग्रहण की दर विकल्प प्रीमियम का 0.0625% है, जबकि प्रतिभूतियों में वायदा के विक्रय पर एसटीटी के उदग्रहण की दर, ऐसे "वायदा व्यापार" की कीमत का 0.0125% है। परिदान व्यापार में साम्या शेयर में विक्रय दोनों संव्यवहारों पर एसटीटी के उदग्रहण की दर 0.1% है, जबकि प्रतिभूतियों में जहां विकल्प का प्रयोग

किया गया है, किसी विकल्प के विक्रय की दशा में, उदग्रहण की दर अंतरस्थ मूल्य (जैसे कि निपटान मूल्य और सौदा मूल्य के बीच अंतर) का 0.125% है और क्रेता द्वारा संदेय है।

3. हाल ही के समय में व्युत्पन्न (वायदा और विकल्प) बाजारों में और स्टॉक एक्सचेंज में, व्यापार के बड़े समानुपात के लिए ऐसे व्युत्पन्न खातों में व्यापार में घातकी वृद्धि हुई है। व्युत्पन्न बाजारों की इस घातकी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर की उक्त दरों को 0.0625% से विकल्प प्रीमियम का 0.1% ,और प्रतिभूतियों में वायदा के विक्रय पर 0.0125% से ऐसे “वायदा व्यापार” के मूल्य के 0.02% बढ़ाना प्रस्तावित है।

4. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी करना प्रस्तावित है।

[खंड 155]

गृह संपत्ति से आय के अधीन आवासीय संपत्ति किराए पर देने से आय की रिपोर्टिंग

आयकर अधिनियम की धारा 28, ‘कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ’ शीर्ष के अधीन आय कर के लिए प्रभार्य विभिन्न प्रकार की आय विहित करती है।

2.) यह देखा गया है कि कुछ करदाता, आवासीय संपत्ति किराए पर देकर उनकी किराए से सृजित आय ‘गृह संपत्ति से आय’ शीर्ष के स्थान पर ‘कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ’ शीर्ष के अधीन रिपोर्ट कर रहे हैं। तदनुसार, वह अपनी गृह संपत्ति की आय गलत आय के शीर्ष के अधीन दिखाकर उनके कर दायित्व में भारी कमी ला रहे हैं।

3.) इसी को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 28 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्वामी द्वारा गृह या गृह का कोई भाग किराए पर देने से हुई आय पर ‘गृह संपत्ति से आय’ शीर्ष के अधीन कर प्रभार्य होगा।

4.) यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2025-26 तथा तत्पश्चात निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

धारा 47 का संशोधन

अधिनियम की धारा 47 कतिपय संव्यवहारों के अपवर्जन का उपबंध करती है, जिसे धारा 45 के अधीन “पूँजी अभिलाभ” के अधीन प्रभार्यता के प्रयोजन के लिए अंतरण के रूप में नहीं माना जाता है।

2.) धारा 47 का खंड (iii) उपबंध करता है कि धारा 45 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपहार या वसीयत या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन पूँजी आस्ति के अंतरण को लागू नहीं होगी।

उक्त खंड का पहला परंतुक विनिर्दिष्ट ईएसओपी के संबंध में खंड के लिए किसी अपवाद को बनाता है।

3.) वित्त अधिनियम, 2012 में, आयकर अधिनियम में धारा 50घ के अंतस्थापन के साथ, उन मामलों में जहां पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणाम के रूप में प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल अभिनिश्चित नहीं हो पाया है या अवधारित नहीं किया जा सकता है, तथा वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 50गक, अनुद्धृत शेयरों के मामले में प्रतिफल के लिए उचित बाजार मूल्य को पूर्ण मूल्य के रूप में उपबंध करने के लिए, जहां प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से न्यून है, राजस्व का उद्देश्य पूंजी अभिलाभ कर के परिवर्जन निष्कासित करने के लिए अधिनियम की परिवर्जनरोधी मशीनरी के उपबंधों को संभालने का है। तथापि, बहुल मामलों में, करदाताओं ने न्यायिक पटल के समक्ष बहस रखी है कि कंपनी द्वारा शेयर के उपहार का संव्यवहार, अभी तक अधिनियम की धारा 47(iii) के उपबंध की दृष्टि से पूंजी अभिलाभ कर के लिए दायी नहीं है। मामला इस प्रकार से मुक्कदमे का मुद्दा बना रहता है, जिससे:-

(क) कर परिवर्जन होता है, और

(ख) भारतीय कर आधार का क्षरण होता है।

4.) और, कोई उपहार, प्रेम और लगाव से दिया गया हो और तदनुसार, यह कि धारा 47 के खंड (iii) का प्रतिस्थापन प्रस्तावित है और इसका परंतुक उपबंध करता है कि धारा 45 में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किसी उपहार या वसीयत या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन पूंजी आस्ति के अंतरण को लागू नहीं होगी।

5.) यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी करना प्रस्तावित है तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगी।

[खंड 19]

भागीदार फर्म के भागीदार द्वारा वेतन, पारिश्रमिक, ब्याज, बोनस या कमिशन के संदाय पर टीडीएस
वर्तमान में भागीदार फर्म द्वारा भागीदारों के वेतन, पारिश्रमिक, ब्याज, बोनस या कमीशन के संदाय पर स्रोत पर कर कटौती के लिए कोई उपबंध नहीं है। अतः यह प्रस्तावित है कि नई टीडीएस धारा 194न अंतः स्थापित की जा सके जिससे वित्तीय वर्ष में 20,000 रु से अधिक सकल रकम के लिए टीडीएस के कार्यक्षेत्र के अधीन, फर्म के भागीदार के किसी खाते (जिसके अंतर्गत पूंजी खाता भी है) में वेतन, पारिश्रमिक, बोनस, कमीशन और ब्याज के संदाय को, लाया जा सके। लागू टीडीएस दर 10% होगी।

2.) अधिनियम की धारा 194न के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

(खंड 62)

अधिसूचित माल पर धारा 206 ग की उपधारा (1च) के अधीन टीसीएस

अधिनियम की धारा 206ग के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, शराब, वन उत्पाद, कबाड़ आदि के व्यापार के कारबार पर स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उपबंध करते हैं। उपधारा (1च) उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति विक्रेता के रूप में, जो मोटरयान जिसका मूल्य दस लाख रु, से अधिक है के विक्रय पर प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय पर, विक्रेता से विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत के बराबर राशि आयकर के रूप में संग्रहित की जाए।

2.) यह देखा गया है कि उच्च शुद्ध मूल्य वाले व्यक्ति द्वारा विलासिता माल पर व्यय में वृद्धि हुई है। ऐसे व्ययों की उचित खोज के लिए और शुद्ध कर को विस्तृत और गहन करने के लिए, धारा 206ग की उपधारा (1च) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे दस लाख से अधिक मूल्य के किसी भी अन्य माल पर टीसीएस भी उदग्रहित किया जा सके, जैसा इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। ऐसा माल विलासिता माल की प्रकृति में आएगा।

3.) ये संशोधन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी।

[खंड 70]

स्थायर संपत्ति के विक्रय पर स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों का संशोधन

अधिनियम की धारा 194-इक में कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण के प्रतिफल के संदाय पर कर की कटौती का उपबंध है ।

2. उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के द्वारा किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ऐसे निवासी को उस राशि का निक्षेप या संदाय करने के समय पर ऐसी राशि के या ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य के, जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि वहां कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल और ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य दोनों पचास लाख रुपए से कम हैं ।

3. यह पाया गया है कि कुछ करदाता इसका यह निर्वचन कर रहे हैं कि संदत्त या निक्षेपित किया जाने वाला प्रतिफल स्थावर संपत्ति के लिए संदत्त कुल प्रतिफल की बजाए प्रत्येक व्यक्तिगत क्रेता के संदाय को निर्दिष्ट करता है ।

4. अतः यदि क्रेता 50 लाख से कम का संदाय कर रहा है, तो किसी कर की कटौती नहीं की जा रही है, भले ही स्थावर संपत्ति का मूल्य और स्टांप शुल्क का मूल्य 50 लाख से अधिक हो । यह विधानमंडल के आशय के विरुद्ध है ।

5. तदनुसार, अधिनियम की धारा 194-झक की उपधारा (2) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां किसी स्थावर संपत्ति की बाबत एक से अधिक अंतरक या अंतरिती है, तब ऐसा प्रतिफल उस स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए सभी अंतरितियों द्वारा अंतरक या अंतरकों को संदत्त या संदेय रकम का योग होगा ।

6. ये संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 58]

प्लवमान दर बचत बांड (एफआरएसबी) 2020 पर स्रोत पर कर कटौती

अधिनियम की धारा 193 में किसी निवासी को प्रतिभूतियों पर ब्याज के द्वारा किसी आय के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध है ।

2. सरकार ने प्लवमान दर बचत (करादेय) बांड (एफआरएसबी) 2020 पुरःस्थापित किए हैं । अधिनियम की धारा 193 के उपबंधों का -

i. प्लवमान दर बचत बांड (एफआरएसबी) 2020 (करादेय) और

ii. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बाबत विनिर्दिष्ट करे,

10 हजार रुपए से अधिक ब्याज के संदाय के समय स्रोत पर कर कटौती को अनुज्ञात करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है ।

3. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 51]

जीवन बीमा कारबार द्वारा दावाकृत व्ययों की कटौती के दुरुपयोग से निवारण

अधिनियम की धारा 44, बीमा कारबार, जिसके अंतर्गत ऐसे कारबार जो पारस्परिक बीमा कंपनी या सरकारी सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, भी हैं, के लाभ और अभिलाभ की संगणना के लिए उपबंध करती है जो कि अधिनियम के अन्य विनिर्दिष्ट उपबंधों के होते हुए भी अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसरण में हो।

2. जीवन बीमा कारबार के लिए लागू पहली अनुसूची के नियम 2 में यह उल्लिखित है कि जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों को निर्धारण वर्ष के आरंभ से पूर्व समाप्त पिछली आंतरिक मूल्यांकन अवधि के संबंध में जीवन बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार किए गए वास्तविक

मूल्यांकन द्वारा प्रकटित अधिशेष या घाटे को समायोजित करके और इसमें सम्मिलित ऐसे अधिशेष या घाटे को अपवर्जित करके जो किसी पूर्ववर्ती आंतरिक मूल्यांकन अवधि में किया गया था, निकाले गए अधिशेष का वार्षिक औसत लिया जाएगा ।

3. यह देखा गया है कि ऐसे दृष्टांत रहे हैं जहां जीवन बीमा कंपनियों द्वारा गैर-कारबार व्ययों का दावा किया गया है और इनको ऐसी कंपनियों की आय में वापस जोड़ने का कोई उपबंध नहीं है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपबंधों का ऐसे व्ययों की कटौती के दावे के लिए दुरुपयोग न हो, जो अन्यथा अधिनियम की धारा 37 के उपबंधों के अधीन ग्राह्य नहीं हैं, अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 2 के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी व्यय को जो किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में धारा 37 के उपबंधों के अधीन ग्राह्य नहीं है, जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों को सम्मिलित किया जा सके ।

4. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-2026 से लागू होगा ।

[खंड 87]

भारत के बाहर विधारित करों को कुल आय की गणना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जाना

अधिनियम की धारा 198 में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती की आय की संगणना के प्रयोजनार्थ अध्याय 17-ख के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई (कर की कटौती) सभी राशियों को प्राप्त हुई आय समझा जाएगा ।

2. यह देखा गया कि कुछ निर्धारिती अपनी कुल आय की गणना के प्रयोजनार्थ भारत के बाहर विधारित करों को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कुल आय को कम रिपोर्ट किया जा रहा था क्योंकि उनकी केवल कुल आय को ही कर के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था । तथापि, वे विदेश में विधारित करों के लिए प्रत्यय का दावा कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप कुल आय में इस आय को सम्मिलित नहीं करने के कारण दोहरी कटौती की जा रही थी किंतु विधारित विदेशी करों का प्रत्यय लिया जा रहा था ।

3. इस मुद्दे के निवारण के लिए, धारा 198 के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 17-ख के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई सभी राशियां और कटौती के द्वारा भारत के बाहर संदत्त आयकर, जिसके संबंध में किसी निर्धारिती को अधिनियम के अधीन संदेय कर के विरुद्ध प्रत्यय अनुज्ञात किया जाता है, निर्धारिती की आय की संगणना के प्रयोजनार्थ प्राप्त आय समझा जाएगा ।

4. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 66]

धारा 194ज के अधीन संदत्त राशियों को धारा 194ग (ठेकेदारों को संदाय) से अपवर्जित करना

अधिनियम की धारा 194ग में ठेकेदारों को जब संदाय किया जा रहा है या किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को प्रत्यय दिया जा रहा है तब संदाय पर एक प्रतिशत की दर से और अन्य मामलों में दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध है। अधिनियम की धारा 194ज पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत पर कर कटौती से संबंधित है जिसमें लागू होने वाली स्रोत पर कटौती की दरें किए जा रहे संदाय की प्रकृति पर निर्भर करते हुए दो प्रतिशत या दस प्रतिशत हैं।

2. धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में "कार्य" को परिभाषित किया गया है जिसमें उन क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट किया गया है कि जिन पर धारा 194ग के अधीन स्रोत पर कर की कटौती लागू होगी। तथापि, ऐसे निर्धारितियों को जिन्हें धारा 194ज के अधीन कर की कटौती करनी चाहिए, अधिनियम की धारा 194ग के अधीन कर की कटौती करने के लिए स्पष्ट रूप से अपवर्जित नहीं किया गया है। इसलिए कुछ कटौतीकर्ता अधिनियम की धारा 194ग के अधीन कर की कटौती कर रहे हैं जबकि वास्तव में उन्हें अधिनियम की धारा 194ज के अधीन कर की कटौती करनी चाहिए।

3. उपरोक्त को देखते हुए, स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किए जाने का प्रस्ताव है कि धारा 194ज की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राशि से धारा 194ग के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनार्थ "कार्य" का गठन न हो।

4. यह संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 53]

उल्लंघन का निपटारा करने के लिए संदत्त की जा रही समझौते की रकमों को अननुज्ञात किया जाना

अधिनियम की धारा 37 में कारबार या पेशे के प्रयोजनार्थ पूर्णतः और अन्नय रूप से खर्च या व्यय किए गए खर्च को अनुज्ञात करने का उपबंध है।

2. धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारित द्वाारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अपराध है या विधि द्वाारा प्रतिषिद्ध है, उपगत किसी खर्च को कारबार या पेशे के प्रयोजनार्थ उपगत किया गया नहीं समझा जाएगा और ऐसे खर्च की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3. धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति "किसी निर्धारित द्वाारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो कोई अपराध है या

विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है”, उपगत खर्च में किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत खर्च भी सम्मिलित है जो भारत में या भारत के बाहर अधिनियमित किसी विधि के अधीन कोई अपराध है या प्रतिषिद्ध ; या किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई लाभ या परिलब्धि प्रदान करने के लिए उपगत किया गया है, चाहे कोई कारबार या पेशा कर रहा है या नहीं और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे लाभ या परिलब्धि को स्वीकार करना किसी विधि या नियम या विनियम या ऐसे व्यक्ति के आचरण को शासित करने वाली विधि के अधीन दिशा-निर्देश के अतिक्रमण में है ; या भारत में या भारत के बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का समझौता करने के लिए उपगत किया गया है ।

4. निपटान रकम विधि के व्यतिक्रम के कारण उपगत और जिसका संबंध उल्लंघन इत्यादि से है और इसलिए व्यवसाय खर्चों के रूप में मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए ।

5. तदनुसार यह प्रस्ताव स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के संशोधन किए जाने के लिए है कि “किसी प्रयोजन के लिए किसी निर्धारिती द्वारा उपगत खर्च जो एक अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषेध है” स्पष्टीकरण 1 अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में शुरु की गई कार्यवाहियों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित होंगे, किसी भी विधि के अधीन जैसा भी वर्तमान में लागू हों, इस संबंध में जैसा भी शासकीय राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करे ।

6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभाव में आने के लिए प्रस्तावित है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होगा

[खंड 13]

आयकर-अधिनियम की धारा 55 का संशोधन

वित्त अधिनियम 2018 से पूर्व, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(38) किसी कंपनी में को साम्या शेयर के तौर पर किसी दीर्घ-कालिक-पूंजी आस्ति या साम्या अभिसंस्कृत निधि की ईकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई जहां संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) के अध्याधीन है, से उत्पन्न लाभ के संबंध में छूट का उपबंध करती है।

2.) छूट का आहरण के साथ, अर्जन या अंतरण के समय पर ऐसे साम्या शेयर पर, जिन पर एसटीटी संदत है, दीर्घकालिक लाभ पर कर लगाने के लिए अधिनियम की धारा 112क के रूप में एक विनिर्दिष्ट उपबंध अंतःस्थापित किया गया था। साथ ही, अधिनियम की धारा 112क के अधीन आने वाली और 1 फरवरी 2018 से पूर्व अर्जित आस्तियों की लागत की संगणना के लिए विशेष क्रियाविधि का उपबंध करने के लिए अधिनियम में धारा 55 के खंड(कग) के उपखंड (2) अंतःस्थापित किया गया था।

3.) अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड(कग) के अधीन धारा 112क में विनिर्दिष्ट आस्ति के अर्जन की लागत निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी:-

(क) और (ख) का उच्चतर, जहां:

(क) अर्जन की वास्तविक लागत

(ख) (i) 31 जनवरी 2018 तक शेयर का उचित बाजार मूल्य, और

(ii) विक्रय पर प्राप्त प्रतिफल के सकल मूल्य, का निम्नतर।

4.) इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड(कग) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड(iii) "उचित बाजार मूल्य" का उपबंध करती है जहाँ किसी ऐसी कंपनी में पूंजी आस्ति साम्या शेयर है जो 31 जनवरी 2018 तक किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है किन्तु अंतरण की तारीख को ऐसे एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गई है या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अंतरण की तारीख को सूचीबद्ध हो और जो ऐसे शेयर, के प्रतिफल में धारा 47 के अधीन संव्यवहार जिन्हें अंतरण नहीं माना गया है के माध्यम से निर्धारित की संपत्ति बन गई है, जो ऐसे एक्सचेंज में 31 जनवरी 2018 को सूचीबद्ध नहीं है। ऐसे मामलों में, "उचित बाजार मूल्य" से ऐसी राशि अभिप्रेत है जो अर्जन की लागत को उसी अनुपात में वहन करती है जो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, और निर्धारित द्वारा धृत पूंजी के प्रथम वर्ष या 1 अप्रैल, 2001 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जो भी बाद में हो वहन, करते हैं। स्पष्टीकरण, शेयर जो अंतरण के समय सूचीबद्ध हैं, के उचित बाजार मूल्य को परिकल्पित करते हुए परिभाषित करता है।

5.) इसके पश्चात्, जैसा कि अधिनियम की धारा 112क की उपधारा (4) द्वारा उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार अर्जन के कुछ मामले को जहां अर्जन के समय एसटीटी संदत्त नहीं किया जा सका था, धारा 112क की प्रसुविधा देने के लिए अधिसूचित करेगी। अधिसूचना के कारण, अर्जन के संव्यवहार, जिन पर कुछ परिभाषित आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय एसटीटी प्रभार्य नहीं है, के लिए एसटीटी के संदाय की शर्त को शिथिल किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप असूचीबद्ध साम्या शेयरों के अर्जन पर एसटीटी का संदाय अपेक्षित नहीं है।

6.) इस शिथिलिकरण के कारण, प्रारंभिक पब्लिक प्रस्थापना, आईपीओ प्रक्रिया के भाग के रूप में विक्रय के लिए प्रस्थापना ओएफएस के अधीन अंतरित साम्या शेयरों के मामले में, जहां अंतरण के समय एसटीटी संदत्त है, अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड(कग) के अधीन अर्जन की लागत के संगणन में कमी उद्भूत हुई है। चूंकि पूर्वोक्त अधिसूचना के माध्यम से अर्जन के समय पर एसटीटी संदाय की शर्त को शिथिल किया गया है, यह धारा 112क के अधीन निर्दिष्ट एक आस्ति बन गई है। अतः अधिनियम की धारा 55 के उपधारा (2) के खंड(कग) के अधीन अर्जन की लागत के अवधारण के लिए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 जनवरी 2018 को एफएमवी(उचित बाजार मूल्य) की संगणना अपेक्षित है। तथापि अंतरण की तारीख को ओएफएस के समय पर साम्या शेयर

असूचीबद्ध है, चूंकि सूचीकरण अंतरण के कुछ दिन पश्चात् होता है तथा इसलिए कुछ करदाता यह बहाना ले रहे हैं कि एफएमवी की संगणना धारा 55 की उपधारा (2) के खंड(कग) के स्पष्टीकरण के केवल पठन पर उसके अंतर्गत नहीं आता है।

7.) सर्वेक्षण परिचालनों में यह पाया गया है कि ऐसे साम्या शेयरों के उचित बाजार मूल्य के अवधारण के लिए एक त्वरित उपबंध की अनुपस्थिति को जाहिर करते हुए विक्रय के लिए प्रस्थापना के माध्यम से अर्जित शेयरों के अंतरण पर कुछ करदाता कुछ मामलों में पूंजी अभिलाभ कर संदाय नहीं कर रहे हैं चूंकि अंतरण की तारीख पर वह अभी भी असूचीबद्ध है जबकि अंतरण पर एसटीटी संदत्त किया जा चुका है तथा इस प्रकार अर्जन की लागत अनअवधारणीय है तथा पूंजी लाभ प्रभाय है।

8.)इसलिए अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (कग) से स्पष्टीकरण के खंड(क) के उपखंड(iii) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंधित किया जा सके कि ऐसे मामले में जहां कंपनी में पूंजी आस्ति एक साम्या शेयर है जो 31 जनवरी 2018 को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या जो शेयर के प्रतिफल में निर्धारिती की संपत्ति बन गया है जो धारा 47 के अधीन संव्यवहार के द्वारा अंतरण नहीं माना गया है, 31 जनवरी 2018 को ऐसे एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है, किन्तु अंतरण की तारीख के पश्चात् ऐसे एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो गया था जहां ऐसा अंतरण असूचीबद्ध साम्या शेयरों के विक्रय से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक पब्लिक प्रस्थापन, "उचित बाजार मूल्य" भी है, से ऐसी रकम जो अर्जन की लागत वहन उसी अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीती सूचकांक के उसी अनुपात में वहन करती है जो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीती सूचकांक और निर्धारिती द्वारा धृत पूंजी के प्रथम वर्ष या 1 अप्रैल, 2001 के लिए लागत मुद्रास्फीती सूचकांक, जो भी बाद में हो, वहन करते हैं।

9. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित समझे जाने के लिए प्रस्तावित है तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

[खंड 22]

ड. कर प्रशासन

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2024

आयकर अधिनियम, 1961, अधिनियम की कार्यवाहियों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील, संबंधित अपील फोरम, जैसे कि ,संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त(अपील), आयकर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, करदाता या विभाग, दोनों द्वारा फाइल करने की क्रियाविधि का उपबंध करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अपील प्राधिकारियों द्वारा अपील के शीघ्र निपटारे किए जाने का प्रयास रहा है। ऐसा एक उपाय 31.01.2020 तक लंबित अपीलों के लिए शुभारंभ की गई प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 था। इस स्कीम को करदाताओं द्वारा उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है और परिणामस्वरूप सरकार के लिए सारभूत राजस्व इकट्ठा किया है।

2. निपटारे की संख्या से अपील के मामलों की अधिक संख्या के कारण विभिन्न स्तरों पर लंबित मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं। पिछले विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 और सीआईटी(ए) स्तर पर बढ़ती लंबितता को ध्यान में रखते हुए, विवादित मुद्दों के निपटान की क्रियाविधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 पुरोस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिक लागत के बिना मुकदमेबाजी में कमी हो ।

3. यह प्रस्ताव है कि यह स्कीम केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगी। स्कीम के लिए अंतिम तारीख भी अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव है।

[खंड 88 से 99]

समकारी उदग्रहण से संबंधित संशोधन के उपबंध-

ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवा से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की रकम पर 2% का समकारी उदग्रहण(ईएल) अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए समकारी उदग्रहण से संबंधित वित्त अधिनियम, 2016 का अध्याय 8 वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था। ई-वाणिज्य परिचालक से अनिवासी अभिप्रेत माल के ऑनलाइन विक्रय या सेवाओं के ऑनलाइन उपबंध या दोनों का स्वामी, परिचालक या डिजिटल प्रबंधन या इलेक्ट्रानिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म प्रदान करता है। निम्नलिखित से प्राप्त या प्राप्य रकम पर अधिरोपित उदग्रहण-

(i) ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा माल के ऑनलाइन विक्रय का स्वामित्व; या

(ii) ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा उपबंधित ऑनलाईन सेवाओं का उपबंध;

(iii) ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा सुकर बनाए गए ऑनलाईन माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंध या दोनो; या

(iv) ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों का कोई समुच्चय

2. तथापि, उदग्रहण लागू नहीं होगा जहां भारत में ई-वाणिज्य परिचालक का स्थायी स्थापन है और ई-वाणिज्य पूर्तियां या सेवाएं प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी स्थापन के साथ संबंधित है। उदग्रहण ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं से ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर लागू है जो निम्नलिखित के लिए बनाए या उपबंधित या सुकर किए जाते हैं:-

(i) भारत का निवासी व्यक्ति;

(ii) अनिवासी-

(क) विक्रय का विज्ञापन जो ग्राहक को लक्ष्य करता है, जो भारत का निवासी है या कोई ग्राहक जो भारत में स्थित आईपी पते के माध्यम से विज्ञापन तक पहुंचता है।

(ख) डाटा का विक्रय, जो किसी व्यक्ति से जो भारत का निवासी है या कोई व्यक्ति जो भारत में स्थित आईपी पते का उपयोग करता है, से संग्रहित; और

(iii) कोई व्यक्ति जो भारत में स्थित आईपी पते का उपयोग करते हुए माल या सेवाओं या दोनों का क्रय करता है।

3. कुछ पणधारियों ने चिन्ता जताई है कि समकारी उदग्रहण 2% का विस्तार अस्पष्ट है तथा उसके परिणामस्वरूप अनुपालन का बोझ बढ़ता है। इसको देखते हुए यह प्रस्तावित है कि 2% की दर यह समकारी उदग्रहण 1 अगस्त, 2024 को या के पश्चात ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल को लागू नहीं होंगे। कोई भी सेवा जो समकारी उदग्रहण के लिए दायी थी, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए धारा 10(50) में छूट प्राप्त थी। परिणामस्वरूप जैसे कि 2% का उदग्रहण अप्रोज्य बनाया जा रहा है, यह प्रस्तावित है कि 1 अप्रैल, 2020 को या के पश्चात् किन्तु 1 अगस्त, 2024 से पूर्व ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं से बनी या उपबंधित या सुकर हुई आय केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 50 के कार्यक्षेत्र में आएगी।

ये संशोधन 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4 और 157]

आयकर विवरणी में विदेशी आय तथा आस्ति के प्रकटन में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 42 तथा धारा 43 में संशोधन

काला धन (अप्रकटित/ विदेशी आय तथा आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम), विदेशी आय तथा आस्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति का उपबंध करता है। उक्त धारा निवासी के रूप में, भारत में जो साधारण निवासी नहीं है से भिन्न एक निर्धारिती के संबंध में लागू हैं, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गया है जब ऐसे निर्धारिती के पास आस्ति है या जो भारत के बाहर स्थित आस्ति का फायदाग्राही है या जिसके पास भारत से बाहर स्थित स्रोत से कोई आय है। इसी प्रकार, काला धन अधिनियम की धारा 43 आय की विवरणी प्रस्तुत करने में, भारत से बाहर किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) के बारे में गलत विशिष्टियां प्रस्तुत करने या सूचना देने में असफल रहने के लिए शास्ति का उपबंध करती है। उक्त धारा तब लागू होती है जब निर्धारिती भारत में साधारण निवासी न होने से भिन्न निवासी के रूप में भारत से बाहर स्थित आस्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, जिसके अंतर्गत यह भी पाया गया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी में भारत से बाहर स्थित स्रोत से कोई आय है या फायदाग्राही स्वामी के रूप में धारित है।

2.) उपरोक्त की दृष्टि में, प्रत्येक निवासी तथा साधारण निवासी, आय की विवरणी फाइल करते समय, सभी विदेशी आस्तियों (जिसके अंतर्गत शेयर और प्रतिभूतियों में विनिधान है) तथा ऐसी विदेशी आस्तियों पर आय आयकर विवरणी में प्रकटित करेगा। विदेशी आय आस्ति के संबंध में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में या आयकर विवरणी में भारत से बाहर स्थित विदेशी आय तथा आस्तियों की रिपोर्ट करने में असफल रहने पर, भारत से बाहर स्थित संपत्ति के मूल्य पर ध्यान दिए बिना दस लाख रुपये की रकम, काला धन अधिनियम की धारा 42 या धारा 43 के अधीन शास्ति को आकृष्ट कर सकेगा।

3.) और, काला धन अधिनियम की पूर्वोक्त उल्लिखित धाराओं के परंतुक कथन करते हैं कि इन धाराओं के उपबंध किसी आस्ति, जो एक या अधिक बैंक खातों के रूप में हैं जिनमें सकल अतिशेष पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय पांच लाख रुपये के समतुल्य मूल्य से अधिक नहीं होता है, के संबंध में लागू नहीं होंगे। विभिन्न पणधारियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि पांच लाख रुपये की अवसीमा सीमा बहुत निम्न है, जिसके परिणामतः बहुत शास्तियां होती हैं, जहां आस्ति मूल्य ही शास्ति रकम से भी कम है।

4.) यह प्रस्तावित है कि काला धन अधिनियम की धारा 42 तथा धारा 43 के परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धाराओं के उपबंध किसी आस्ति या आस्तियों (जंगम संपत्ति से भिन्न), जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होता है, के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5.) यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

[खंड 156]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276ख में उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण के लिए प्रस्तावित संशोधन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276ख (इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम') अध्याय 12-घ या 17-ख के अधीन केंद्रीय सरकार को कर प्रत्यय करने में असफल होने की दशा में अभियोजन के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा के उपबंध कथन करते हैं कि, अन्य बातों के साथ, यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को अध्याय 17-ख के उपबंधों के द्वारा या अधीन यथाअपेक्षित उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती संदेय करने में असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास की अवधि के साथ दंडनीय होगा जो तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु जो जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक की हो सकती है।

2. अधिनियम की धारा 276ख का संशोधन प्रस्तावित है जिससे उक्त धारा के खंड क के अधीन आने वाले व्यक्ति को अभियोजन से छूट के लिए उपबंध किया जा सके, यदि अधिनियम की धारा 200 की उपधारा 3 के अधीन किसी समय पर या ऐसी तिमाही का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विहित समय से पूर्व केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को तिमाही से संबंध में कर कटौती का संदाय किया जा चुका है।

3. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

व्यतिक्रमी निर्धारिती के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की समय-सीमा को कम करना ।

अधिनियम की धारा 201 और 206ग परिणामस्वरूप यह उपबंध करती है कि जब किसी व्यक्ति की कटौती/संग्रह नहीं करता है या संदाय नहीं करता है या उसके बाद ऐसी कटौती/संग्रहण करने में असफल रहता है तो कर का संपूर्ण या कोई भाग अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित है ।

2. अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (3) के अनुसार, इसमें कर के संपूर्ण या किसी भाग की कटौती करने में असफल होने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती को अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की समय सीमा 7 वर्ष है । जहां अदाता भारत का एक निवासी है तथापि इसमें कोई समय-सीमा नहीं है जब इसमें अप्रवासी से कर का संपूर्ण या कोई भाग कटौती करने के लिए असफल किया गया हो । यह अप्रवासी के मामले में अनिश्चितता उत्पन्न करती है ।

3. टीसीएस के लिए सामान्यतः, अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (6क) परिणामस्वरूप यह उपबंध करती है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या यथा अपेक्षित कर संदाय करने में/ संग्रह करने में असफल होने के बाद या कर के संपूर्ण या किसी भाग का संग्रह नहीं करता है तो वह व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा ।

4. इसमें अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (3) और धारा 206ग में नई उपधारा (7क) अंतःस्थापित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति से कर का संपूर्ण या भाग कटौती/संग्रहण के सफल होने पर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझे जाने पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा । वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समय पर जिसमें संदाय किया गया है या ऋण दिया गया या कर संग्रहित किया गया या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष जिसमें संशोधन विवरण दिया जाता है ।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभाव में आएंगे ।

[खंड 69 और 70]

उन कटौतीकर्ता के द्वारा फाइल किए जाने के अतिरिक्त विवरण की कार्यवाहियों के लिए अधिनियम की धारा 200क की परिधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 200क यह उपबंध करने के लिए जिसमें स्रोत पर कटौती कर का विवरण या संशोधन विवरण धारा 200 के अधीन किसी धनराशि की कटौती कर के किसी व्यक्ति से प्रक्रिया की जाएगी ।

2. यह विवरण ऐसे प्ररूप सं. 26थच रूप में हैं जिसको एक विनिमय द्वारा फाइल किया गया है, जिसमें कटौती कर्ता ने टैक्स के ब्यौरे फाइल किए हैं । इसमें अधिनियम की धारा 200क की परिधि का विस्तार करने का विवरण प्रस्तावित है कि विवरण के संबंध में जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है न कि किसी कटौतीकर्ता द्वारा, बोर्ड ऐसे विवरणों की प्रक्रिया के लिए योजना बना सकते हैं ।

3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभाव में आएंगे ।

[खंड 68]

स्रोत पर कर की निम्न कटौती/संग्रहण प्रमाण पत्र के लिए परिधि का विस्तारण

अधिनियम की धारा 197 उपबंध करती है कि अध्याय 17-ख की कतिपय धाराओं के अधीन ऐसे संदाय जिन पर कर की कटौती अपेक्षित है, निम्न दर पर कटौती के प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 206 ग की उपधारा (9) उपबंध करती है कि उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के अधीन वे राशि जिन पर कर संग्रहणित किया जाना है अपेक्षित है, निम्न दर पर कर संग्रहण के लिए पात्र हैं।

2. अधिनियम की धारा 194थ, क्रेता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति से जो विक्रेता के रूप में निवासी को किसी पूर्व वर्ष में क्रय किए गए माल, जिसका मूल्य या संकलित मूल्य पचास लाख या उससे अधिक है, संदाय करता है, तो ऐसी राशि जो पचास लाख से अधिक है, पर 0.1% की दर पर कर कटौती की अपेक्षा करता है।

3. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा(1ज) , विक्रेता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति से, जो किसी पूर्व वर्ष में, किसी माल के विक्रय के लिए, जिसका मूल्य या संकलित मूल्य पचास लाख रुपये या उससे अधिक प्राप्त करता है तो उसमें दी गई छूटों के सिवाय, 50 लाख से अधिक ऐसे प्रतिफल पर 0.1% की दर पर कर संग्रहण की अपेक्षा करता है।

4. अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे मौके भी हैं जहां करदाता को हानि हो रही है और अधिनियम की धारा 194थ के अधीन कर कटौती के कारण उनकी निधियाँ निरूद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में कटौती किए गए कर का प्रतिदाय किया जाना चाहिए। यह भी कथन किया जाता है कि टीसीएस के लिए दायी विक्रेता के रूप में अतिरिक्त अनुपालना है, जिसे यह भी सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्रेता द्वारा कर कटौती की गई है या नहीं।

5. इसलिए, कारबार की सुगमता को सुकर करने के लिए और निम्न कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विकल्प का उपबंध करने के लिए, ताकि निर्धारिती पर अनुपालना का भार कम किया जा सके, यह प्रस्तावित है कि:-

(क) धारा 197 की उपधारा(1) का संशोधन करके धारा 194थ को उसके कार्यक्षेत्र में लाया जाए।

(ख) धारा 206ग की उपधारा 9 का संशोधन करके धारा 206सी की उपधारा (1एच) को उसके कार्यक्षेत्र में लाया जाए।

6. संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 65 और 70]

टीसीएस से यथा छूट प्राप्त कतिपय व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग की अधिसूचना

अधिनियम की धारा 206ग शराब, वन उत्पाद, कबाड़ आदि में व्यापार के कारबार पर स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उपबंध करता है।

2. अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे आस्तित्व हो सकते हैं जिनकी आय कर से छूट प्राप्त है और उनसे आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। तथापि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके द्वारा किए गए संव्यवहारों पर कर संग्रहित किया जा रहा है। उनका कथन है कि अधिनियम में टीसीएस उपबंधों से छूट प्राप्त करने हेतु उनके लिए कोई उपबंध नहीं है।

3.)इसलिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिनमें, संस्था, संगम या निकाय या संस्थाओं के वर्ग या निकायों के वर्ग सम्मिलित है, विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में कोई कर संग्रहणित नहीं किया जाएगा या ऐसी कम दर पर कर संग्रहणित किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इसके निमित्त अधिसूचित किया जाएगा।

4.)संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 70]

टीडीएस/टीसीएस विवरण के संबंध में परिशुद्धि विवरण फाइल किए जाने की समय सीमा

अधिनियम की धारा 200 अध्याय 27-ख के उपबंधों के अधीन कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य को सूचीबद्ध करती है। इस धारा की उपधारा (3) अपेक्षा करती है कि केंद्रीय सरकार के लिए कटौती किए गए कर के संदाय के पश्चात कटौतीकर्ता टीडीएस कटौती के ब्यौरे बताने वाले विवरण तैयार करेगा और विहित प्राधिकारी को विहित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा। धारा 200 का परंतुक कथन करता है कि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई त्रुटि की परिशुद्धि दी या उसमें गई सूचना में जोड़ने, लोप करने या अद्यतन के लिए विहित प्राधिकारी को परिशुद्धि विवरण इस प्ररूप और उस रीति में सत्यापित हुआ भी दे सकेगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

2. अधिनियम की धारा 206ग शराब, वन उत्पाद , कबाड आदि में व्यापार के कारबार पर स्रोत पर कर के संग्रह टीसीएस के लिए उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (3) का परंतुक अपेक्षा करता है कि केंद्रीय सरकार के लिए संग्रह किए गए कर के संदाय के पश्चात कर संग्रह करने वाला व्यक्ति विहित समय के भीतर संग्रहित टीसीएस के ब्यौरे बताने वाले विवरण प्रस्तुत करेगा। उक्त धारा की उपधारा (3ख) अपेक्षा करती है कि संग्रह करने वाला व्यक्ति उपधारा (3) के परंतुक के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई त्रुटि की परिशुद्धि या उसमें दी गई सूचना में जोड़ने, लोप करने या अद्यतन के लिए विहित प्राधिकारी को परिशुद्धि विवरण, उस प्ररूप और उस रीति में सत्यापित हुआ भी दे सकेगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

3. जहाँ कि, टीडीएस/टीसीएस ब्यौरे बताने वाले विवरण को प्रस्तुत करने की समय सीमा है, तथापि परिशुद्धि विवरण को प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं है। अतः ऐसे विवरण अनिश्चित काल के लिए बहु समय पुनरीक्षित किए जा सकते हैं और इसलिए ऐसे उपबंधों का दुरुपयोग, कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता को कठिनाई कारित करते हुए, किया जा सकता है। तदनुसार, टीडीएस और टीसीएस विवरणों की फाइल करने की प्रक्रिया को निश्चितता और अंतिमता देने के लिए, यह उपबंध करने के लिए कोई परिशुद्धि विवरण ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण और धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट विवरण क्रमशः परिदत्त किये गये, की समाप्ति से छह वर्ष के पर्यवसान के पश्चात परिदत्त नहीं किया जाएगा।

4. संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

[खंड 67 और 70]

विवरण भेजने में असफल होने के लिए शास्ति

अधिनियम की धारा 271ज अन्य बातों के साथ-साथ देय तारीख के भीतर विवरणी/विवरण स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर संग्रह फाइल करने में असफल होने की शास्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 271ज की उपधारा (3) में कहा गया है कि यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि केंद्र सरकार को शुल्क और ब्याज के साथ टीडीएस/टीसीएस का संदाय करने के बाद, उसने टीडीएस/टीसीएस फाइल किया है तो कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी। ऐसा विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले विवरण विहित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

2. जब कि पूर्ववर्ती निर्धारिती द्वारा विवरण विलंबित फाइल करने की देय तिथि निर्धारण वर्ष की समाप्ति एक वर्ष की थी। वर्तमान समय सीमा उसी निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर है। यदि कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आयकर विवरणी की प्रक्रिया के दौरान टीडीएस/टीसीएस में विसंगति होती है और निरर्थक मांगे उठती हैं, तो कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

3. बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 271ज की उपधारा (3) में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि यदि व्यक्ति यह साबित करता है कि केंद्र सरकार के खाते में शुल्क और ब्याज के साथ टीडीएस/टीसीएस का संदाय करने के बाद कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी। उसने ऐसा विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण समय से एक मास की अवधि समाप्त होने से पहले टीडीएस/टीसीएस विवरण फाइल किया है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 को प्रभाव में आएंगे।

[खंड 81]

भारत में अनिवासी के संपर्क कार्यालय द्वारा कथन प्रस्तुत करना

अनिवासी जिसका भारत में संपर्क कार्यालय है वित्तीय वर्ष में उसके क्रियाकलापों के संबंध में कथन, अधिनियम की धारा 285 के अधीन ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को तैयार तथा परिदत्त करना अपेक्षित है। यह प्रस्तावित है कि अवधि जिसके भीतर ऐसा कथन फाइल किया जाना है अब से नियमों के अधीन विहित किया जाए।

2. और, इस संबंध में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि कथन प्रस्तुत करने में असफल रहना प्रतिदिन के लिए एक हजार रुपये की शास्ति तबतक जबतक वह असफलता जारी रहे, आकृष्ट हो सकेगी, यदि असफलता की अवधि 3 मास से अधिक नहीं होती है और अन्य मामलों में एक लाख रुपये। इस संबंध में एक नई धारा 271छग अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है।

3. तथापि, यह शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि निर्धारिती साबित कर दे कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था। इसके लिए उपबंध करने के लिए धारा 273ख का संशोधन प्रस्तावित है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

[खंड 80,82 और 86]

अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में आर्म लैंथ मूल्य का निर्धारण

अधिनियम की धारा 92गक यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के साथ आर्म लैंथ मूल्य (एएलपी) के निर्धारण के मामले को संदर्भित कर सकता है। अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (एसडीटी) के संबंध में जब एक बार टीपीओ का संदर्भ दिया जाता है तो टीपीओ एएलपी के निर्धारण और परिणामी समायोजन के लिए धारा 92ड. की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध सभी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन करदाता पर एक रिपोर्टिंग अपेक्षित है और करदाता निर्धारण अधिकारी (एओ) के समक्ष निर्धारण फार्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट फाइल करने के लिए बाध्य है जिसमें उसके द्वारा वर्ष के दौरान किए गए सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या एसटीडी का विवरण शामिल है।

2. यह लेखा रिपोर्ट एओ के साथ प्राथमिक दस्तावेज है जिसमें करदाता द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और या एसटीडी के ब्यौरे शामिल हैं। यदि निर्धारिती धारा 92ड. के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट में ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता है तो निर्धारण अधिकारी को सामान्यतः ऐसे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन/एसटीडी के बारे में जानकारी नहीं होगी। ताकि टीपीओ को संदर्भित किया जा सके।

3. धारा यह उपबंध करती है कि यदि उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन टीपीओ की जानकारी में आता है जिसे एओ द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो टीपीओ उसके संबंध में एएलपी निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया कर सकता है। यह टीपीओ द्वारा उन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के एएलपी की गणना का भी उपबंध करता है जिनका ब्यौरा ऊपर उल्लिखित लेखा रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उपबंध धारा 92गक की उपधारा (2क) और (2ख) में विद्यमान है।

4. तथापि, वर्तमान में धारा 92क की उपधारा (2क) और (2ख) के उपरोक्त उपबंध एसटीडी पर लागू नहीं होते हैं। टीपीओ को एसटीडी से निपटने में सक्षम बनाने के लिए धारा 92क की उपधाराओं की 2क और (2ख) में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे एओ द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है और/या जिसके संबंध में धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे। तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 के संबंध में और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 27]

आधार संख्यांक के स्थान पर आधार नामांकन आईडी के उत्कथन को अनुज्ञात करने के उपबंधों का विच्छेदन

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139कक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ आदेश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्यांक अभिप्राप्त करने के पात्र होंगे, 1 जुलाई, 2017 को या के पश्चात, निम्नलिखित में आधार संख्या उत्कथित करेंगे:-

(i) स्थाई खाता संख्या (पैन) के आबंटन के लिए आवेदन प्ररूप

(ii) आयकर विवरणी:

2. और, उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, नामांकन के समय उसे जारी आधार आवेदन प्ररूप का नामांकन आईडी स्थाई खाता संख्या या उसके द्वारा प्रस्तुत आय विवरणी में उत्कथित किया जाएगा।

3. उक्त उपबंध, जो पैन आबंटन के लिए आवेदन प्ररूप में या आय विवरणी में आधार नामांकन आईडी उत्कथित अनुज्ञात करने के लिए, 2017 में पुरःस्थापित किए गए थे। तब से, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डाटा के अनुसार, आधार संख्या की कवरेज बढ़ रही है तथा भारत में अधिकतम जनसंख्या इसमें सम्मिलित किया गया है। अतः, आवेदन प्ररूप में आधार का नामांकन आईडी उत्कथित करने का विकल्प विच्छेद करना अनिवार्य हो गया है, चूंकि नामांकन आईडी पर पैन के आबंटन से पैन का अनुलिपिकरण या दुरुपयोग हो सकता है।

4. अतः यह प्रस्तावित है कि धारा 139 कक की उपधारा (1) के परंतुक 1 अक्टूबर, 2024 से लागू नहीं होगा। और यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे आधार आवेदन प्ररूप के नामांकन आईडी के आधार पर स्थाई खाता संख्या आबंटित किया गया है, तत्पश्चात अधिसूचित तारीख से पूर्व उसकी आधार संख्या सूचित करेगा।

5. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 42]

अग्रिम विनिर्णय से संबंधित धारा 245थ और 245द में संशोधन

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अग्रिम विनिर्णय से संबंधित अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों का संशोधन किया गया था। वित्त अधिनियम, 2021 में यह उपबंधित था कि अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकार उस तारीख से लागू होना बंद हो जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाए। बाद में, केन्द्रीय सरकार ने तारीख एक सितम्बर, 2021 की अधिसूचना एस.ओ. 3562(इ) द्वारा तारीख 1 सितम्बर, 2021 उस तारीख के रूप में अधिसूचित की जिस तारीख से अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण लागू होना बंद हो जाएगा। इस अध्याय की धारा 245ड से 245ल में अग्रिम विनिर्णय के लिए एक बोर्ड का गठन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति, कार्यवाहियों के लिए ऐसे बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, प्राधिकरण की शक्तियां इत्यादि के लिए उपबंध किया गया है।

2. धारा 245थ की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि आवेदक, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन वापस ले सकता है। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के निष्प्रभावी होने के पश्चात्, तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए कतिपय आवेदनों, जिनमें धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, को धारा 245थ की उपधारा (4) के अधीन नए सिरे से गठित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पास स्थानांतरित किया गया था। अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पास स्थानांतरित किए गए उन सभी लंबित आवेदनों के मामले में तीस दिन की अवधि पहले ही व्यतीत हो गई है।

3. तथापि, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को बहुत सारे आवेदकों से यह इंगित करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके आवेदन अभी भी निपटारे के लिए लंबित हैं, और ये आवेदन संव्यवहारों की करदेयता पर एक समयबद्ध रीति में एक न्यायिक-कल्प प्राधिकरण से विनिर्णय प्राप्त करने के आशय से निश्चितता प्राप्त करने के आशय से अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए थे। तथापि, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के गठन में परिवर्तन, विनिर्णय की गैर-आबद्धकारी प्रकृति (चूंकि इसे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलनीय बनाया गया है), पर्याप्त समय बीत जाने और अन्य वाणिज्यिक कारणों जैसे विभिन्न कारणों से ये आवेदक अपने आवेदनों को वापस लेने के इच्छुक हैं।

4. पूर्वगामी को देखते हुए धारा 245थ के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे उन मामलों में जिनमें धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित नहीं किया गया है, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष (अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से) स्थानांतरित आवेदनों को तारीख 31 अक्टूबर, 2024 तक वापस लेने के लिए आवेदन को मंजूर किया जा सके। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों को धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन नामंजूर किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाए और नामंजूरी का उक्त आदेश तारीख 31 दिसम्बर, 2024 तक पारित किया जाएगा।

5. यह संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 74 और 75]

आयुक्त की शक्तियां(अपील)

आयकर अधिनियम की धारा 251 के विद्यमान उपबंध संयुक्त आयकर आयुक्त(अपील) या आयुक्त(अपील) की शक्तियां विहित करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि आयुक्त(अपील) को, अन्य बातों के साथ, अपील का निपटारा करने में निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(क) वह, निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, निर्धारण की पुष्टि, घटाना, बढ़ाना, अभिशून्य कर सकेगा।

(ख) वह, शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में, शास्ति आदेश की पुष्टि, निरस्त या घटाना या बढ़ाना कर सकेगा।

2. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 250 की उपधारा(4) उपबंध करती है कि आयुक्त (अपील) अपील का निपटारा करने से पहले, आगे जांच करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट मांग सकेगा।

3. यह पाया गया है कि इन सर्वोत्तम निर्णय के मामलों में, पहचानविहिन निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए पत्रों या नोटिस पर कर दाता प्रतिक्रिया विहीन रहते हैं। हालांकि सुसंगत निर्धारण आदेश के विरुद्ध वे आयुक्त(अपील) को सीधे ही अपील फाइल कर देते हैं।

4. आयुक्त(अपील) प्रक्रम पर अपील और विवादित कर मांग की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव है कि उन मामलों में, जहां निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 144 के अधीन सर्वोत्तम निर्णय के मामले में रूप में पारित किया गया है, वहां आयुक्त(अपील) को निर्धारण को अपास्त करने और नए सिरे से निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी को मामल वापस निर्देशित करने के लिए सशक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले जो आयुक्त(अपील) द्वारा अपास्त किए गए हैं, को निपटाने के लिए समय सीमा उपलब्ध करवाने के लिए, अधिनियम की धारा 153(3) में पारिणामिक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

5. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगा। यह आयुक्त(अपील) द्वारा 01.10.2024 को या उसके पश्चात् पारित अपील आदेशों पर लागू होगा।

[खंड 77]

सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के ढांचे (ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क) का पालन करने के लिए धारा 271चकक का संशोधन

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 271चकक की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि यदि अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे उस धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है,

विवरण में गलत जानकारी देता है, और जहां (क) ऐसी गलती धारा 285खक की उपधारा (7) के अधीन विहित अपेक्षित सम्यक् सावधानी का पालन करने में असफलता के कारण है या उस व्यक्ति की ओर से जानबूझकर की गई है ; या (ख) ऐसा व्यक्ति वित्तीय संव्यवहार की विवरणी या रिपोर्ट करने योग्य लेखा प्रस्तुत करने के समय पर उस गलती के बारे में जानता है, किन्तु विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है ; या (ग) ऐसे व्यक्ति को वित्तीय संव्यवहार की विवरणी या रिपोर्ट करने योग्य लेखा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ऐसी गलती का पता लगता है और धारा 385खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर इसके बारे में सूचना देने और सही जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तब विहित आय-कर प्राधिकारी धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के मद्दये पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

2. धारा 271चकक के उपबंध उस दशा में लागू होते हैं जब विनिर्दिष्ट व्यक्ति आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के अधीन विहित अनुसार वित्तीय संव्यवहारों/रिपोर्ट करने योग्य लेखा की गलत विवरणी प्रस्तुत करता है । सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के ढांचे (एईआईओ) के अधीन भारत के सीआरएस विधायी ढांचे का पुनर्विलोकन करे हुए कर प्रयोजनों के लिए सूचना की पारदर्शिता और आदान-प्रदान पर वैश्विक मंच में यह दृष्टिकोण बनाया है कि ऐसी गलतियों के लिए उक्त धारा के अधीन उपलब्ध दांडिक शास्ति का विस्तार सभी मामलों पर स्वयंमेव नहीं हो जाएगा जहां सम्यक् सावधानी सही रूप में नहीं बरती गई थी यदि ऐसी सूचना के परिणामस्वरूप गलत रिपोर्टिंग नहीं हुई थी ।

3. पूर्वगामी का देखते हुए धारा 271चकक में निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि किन्हीं भी निम्नलिखित परिस्थितियों में उपधारा के अधीन शास्ति दी जा सकती है-

i. विवरण में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा;

ii. विवरण में अपेक्षित सम्यक् सावधानी की अनुपालना में असफलता;

4. इसके अतिरिक्त, धारा 273ख में धारा 271चकक के निर्देश को जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निर्धारित साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था तो उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी ।

5. यह संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा ।

[खंड 79 और 82]

कर समाशोधन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के उद्देश्य के लिए काला धन अधिनियम, 2015 के निर्देश को सम्मिलित किए जाने के लिए संशोधन

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 230 की उपधारा (1क) के विद्यमान उपबंध विहित करते हैं कि अन्य, बातों के साथ, कोई व्यक्ति जो भारत में अधिवास करता है, तबतक भारत नहीं छोड़ेगा जबतक कि वह आयकर प्राधिकारी से यह कथन करने वाला प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता कि आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम 1957(1975 का 27), दान-कर अधिनियम, 1958(1958 का 18), या व्यय-कर अधिनियम, 1987(1987 का 35) के अधीन उसका कोई दायित्व नहीं है या वह, उसके द्वारा संदेय या संदेय हो सकने वाले सभी या ऐसे कर के किसी भुगतान के लिए समाधानप्रद इंतजाम कर देता है। ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की अपेक्षा वहां है जहां ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें, उसे अभिप्राप्त करना किसी आयकर प्राधिकारी की राय में, आवश्यक हो।

(2) उक्त उपधारा का परंतुक अतिरिक्त आदेश करता है कि की आयकर प्राधिकारी किसी व्यक्ति, जो भारत में अधिवासी है, के लिए उक्त प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना तबतक आवश्यक नहीं बनाएगा जब तक कि वह उन कारणों को अभिलेखबद्ध न कर ले और आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त न कर ले।

(3) इस संबंध में, यह पाया गया था कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन उद्भूत दायित्व के अतिरिक्त, कर समाशोधन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के उद्देश्य के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रशासित अधिनियमों के अधीन उद्भूत अधिकतर दायित्व, अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1क) के अंतर्गत हैं।

(4) इसी को ध्यान में रखते हुए, कर समाशोधन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1क) में काला धन(अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन दायित्व के निर्देश के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है।

(5) यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 71]

निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणन की पूर्णता के लिए समय सीमा संबंधी उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 153 के विद्यमान उपबंध अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणन की पूर्णता के लिए विभिन्न समय सीमाओं को विहित करते हैं। इस संबंध में उक्त धारा के उपबंधों के क्रियान्वयन में प्रक्रिया की कठिनाइयों से

संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उसी पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 153 में संशोधन के लिए निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित है:-

(i) उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि धारा 143 और 144 के अधीन निर्धारण उस निर्धारण वर्ष जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी, की समाप्ति से बारह मास के भीतर पूर्ण की जाएगी। इस संबंध नई उपधारा(1ख) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि उन मामलों के निर्धारण के आदेश जहां आय की विवरणी धारा 119(2)(ख) के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की जाती है, उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जाती है, की समाप्ति से बारह मास के भीतर पूर्ण किया जा सकेगा।

(ii) उक्त धारा की उपधारा(3), धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने का आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण आदेश पारित करने के लिए समय सीमा का उपबंध करती है। उक्त उपधारा उपबंध करती है कि ऐसा नया निर्धारण आदेश वित्तीय वर्ष जिसकी समाप्ति से यथास्थिति प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 250 या धारा 254 के अधीन प्राप्त आदेश, यथास्थिति प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन पारित आदेश, से बारह मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय पारित किया जाएगा। इस संबंध में, इस उपधारा में धारा 250 के निर्देश अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे मामले जो आयुक्त (अपील) द्वारा अपास्त किया जाना प्रस्तावित है, के निपटान के लिए समय सीमा उपबंधित की जा सके।

(iii) और उक्त धारा की उपधारा(8) उपबंध करती है कि किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन पुनःजीवित है, धारा 153ख की उपधारा(1) या उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसे पुनःजीवन के मास की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जाएगा। इस संबंध में उक्त धारा की उपधारा(8) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे अधिनियम के अध्याय 14-ख के अधीन ब्लाक निर्धारण के शून्यकरण के परिणामस्वरूप पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों के मामले में आदेश पारित करने की समयसीमा उपबंधित की जा सके।

(iv) उक्त धारा के स्पष्टीकरण (1) का खंड(xii) उपबंध करता है कि अवधि (एक सौ अस्सी दिन से अनधिक) खोज के प्रारंभ की तारीख से शुरू होकर तथा तारीख की समाप्ति जिस पर खाताबही/दस्तावेज/जब्तमाल निर्धारण अधिकारी को दिया गया, को परिसीमा की अवधि संगणित करने के दौरान उसमें से अपवर्जित कर दिया गया है। इस संबंध में उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1(xii) के उपबंध का संशोधन छठे परंतुक के अंतःस्थापन द्वारा प्रस्तावित है, जिससे कि स्पष्टीकरण में उपबंधित अपवर्जन को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसे मामलों में परिसीमा की तारीख मास के अंत में आए।

(2) और, धारा 139 के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ विहित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी या फर्म के रूप में या कंपनी या फर्म से भिन्न व्यक्ति के रूप में, जिसकी कुल आय अधिकतम रकम से अधिक है जो आयकर के प्रभार्य नहीं है, उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में उक्त धारा में परिणामिक संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि धारा 119 की उपधारा (2) के खंड(ख), धारा 139 के उपबंधों के अधीन आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत आय की विवरणी लागू होगी।

(3) यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 41 और 48]

धारा 80छ में संशोधन

धारा 80छ की उपधारा (1) के उपबंध यह उपबंध करते हैं कि निर्धारिती की कुल आय का संगणन करने में, धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उसी धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती की जाएगी।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) का उपखंड (iii)जछ) यह उपबंध करता है कि निर्धारिती की कुल आय का संगणन करने में, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल निधि को दान के रूप में पूर्व वर्ष में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई रकम की, इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए कटौती की जाएगी।

3.सरकार के उक्त निधि को 12.11.1998 से प्रभावी राष्ट्रीय खेल विकास निधि, के नाम से स्थापित किया है। इसलिए अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iii)जछ) का संशोधन कर प्रस्ताव, यह उपबंध करने का है कि निर्धारिती की कुल आय का संगणन करने में, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल विकास निधि को दान के रूप में पूर्व वर्ष में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई रकम की, इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, कटौती की जाएगी।

4.यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 26]

अधिनियम की धारा 43घ में राष्ट्रीय आवास बोर्ड के निर्देश हटाना

अधिनियम की धारा 43घ, प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसायटी, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विनिधान निगम और अधिसूचित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से भिन्न आवासीय वित्त, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में अंतर्वलित लोक वित्तीय संस्था, पब्लिक कंपनी की आय की दशा में विशेष उपबंध के लिए उपबंध करती है।

2. अधिनियम की धारा 43घ का खण्ड-ख कथन करता है कि आवासीय वित्त में अंतर्वलित पब्लिक कंपनी की दशा में, ऐसे प्रवर्गों के डूबंत ऋण या शंकास्पद ऋणों के संबंध में ब्याज के द्वारा आय जो ऐसे ऋणों के संबंध में राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाबत विहित की जाए, यथास्थिति पूर्व वर्ष जिसमें इसे पब्लिक कंपनी द्वारा उस वर्ष के उसके लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है या उस कंपनी द्वारा जिसमें इस वास्तविक रूप में प्राप्त किया गया था जो भी पूर्वतर हो, कर के लिए प्रभार्य होगा।

3. तथापि, वित्त(सं-2) अधिनियम 2019,(2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 का संशोधन किया है जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आवास वित्त कंपनियों के विनियमन के लिए शक्तियाँ प्रदत्त करता है। परिणामस्वरूप आवास वित्त कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के प्रवर्ग के रूप में आ गई है। आयकर अधिनियम 1961 में गैर-बैंककारी वित्त कंपनी के संबंध में धारा 43घ में पृथक उपबंध पहले से ही विद्यमान है।

4. अतः, अधिनियम की धारा 43घ के खंड (ख) और अधिनियम की धारा 43घ के स्पष्टीकरण के खंड (क) और खंड (ख) के लोप द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्देश को हटाये जाने का प्रस्ताव है।

5. संशोधन 1 अप्रैल, 2025 को प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

जब्त की गई आस्तियों के विरुद्ध काला धन अधिनियम, 2015 के अधीन दायित्व का समायोजन

आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 132ख के विद्यमान उपबंध विहित करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961, संपत्ति कर अधिनियम, 1957(1957 का 27), व्यय कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35), उपहार कर अधिनियम, 1958(1958 का 18) तथा ब्याज-कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) के अधीन विद्यमान दायित्व, तथा खोज या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण या पुनः निर्धारण के पूर्ण होने पर दायित्व की अवधारित रकम, धारा 132 के अधीन जब्त आस्तियों या धारा 132 के अधीन अध्यपेक्षित से करदाताओं से वसूला जा सकेगा।

2. और, काला धन (अप्रकटित/ विदेशी आय तथा आस्ति) तथा कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22), अप्रकटित विदेशी आय तथा अप्रकटित विदेशी आस्तियों के कराधान के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम के पुरःस्थापन के पश्चात, ऐसी अप्रकटित विदेशी आय तथा अप्रकटित विदेशी आस्ति के मूल्य पर आयकर 1961 के स्थान पर काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन कर लगाया जाता है।

3. इस संबंध में, यह देखा गया है कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन उद्भूत दायित्वों के सिवाय जब्त आस्तियों से वसूली द्वारा दायित्व के निर्वापन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रशासित अधिनियमों के अधीन उद्भूत बहुत से दायित्व अधिनियम की धारा 132ख के अधीन आते हैं।

4. उपरोक्त की दृष्टि में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132ख में काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 के निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन जब्त की आस्तियों में से विद्यमान दायित्वों को वसूला जा सके।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 40]

बेनामी संव्यवहार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 का संशोधन

(क). बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 24 का संशोधन

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 24 बेनामी संव्यवहार में अंतर्वलित संपत्ति की कुर्की और नोटिस से संबंधित है।

2. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम की उक्त धारा 24 की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंध, उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर के लिए बेनामीदार के लिए या उपधारा (2) के अधीन फायदाग्राही स्वामी को दिए गए उक्त नोटिस की प्रति पर उत्तर देने की कोई समय सीमा का उपबंध नहीं करता है।

3. उपधारा 2(क) को अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि उस मास जिसमें उपधारा (1) के अधीन बेनामीदार या फायदाग्राही स्वामी को उनका स्पष्टीकरण या उत्तर देने के लिए नोटिस जारी किया गया है, की समाप्ति से तीन मास की अधिकतम समय सीमा का उपबंध किया जा सके।

4. उक्त धारा की उपधारा (3) तथा उपधारा (4) के विद्यमान उपबंध, उस मास, जिसमें उपधारा (1) के अधीन अधिकारी को यथास्थिति अनंतिम रूप से संपत्ति कुर्क करना आरंभ करने या आदेश पारित करने के लिए कि अनंतिम रूप से कुर्की जारी रखने या अनंतिम कुर्की प्रतिसंहरण करने या संपत्ति कुर्क न करने का विनिश्चय करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, के अंतिम दिन से 90 दिन की समय सीमा का उपबंध करती है।

5. यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की उक्त धारा 24 की उपधारा (3) तथा उपधारा (4) का संशोधन किया जाए जिससे कि मास, जिसमें उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया जाता है, के अंत से चार मास की उक्त अवधि को बढ़ाया जा सके।

6. उक्त धारा 24 की उपधारा (5) के विद्यमान उपबंध आरंभिक अधिकारी को मामले का कथन तैयार करने के लिए तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निर्दिष्ट करने के लिए, कुर्की के आदेश की तारीख से 15 दिन की समय अवधि अनुज्ञात करती है।

7. उक्त उपधारा का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि मास, जिसमें बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 की धारा 24 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन या, खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन आदेश पारित किया गया है, के अंत से एक मास की उक्त अवधि को बढ़ाया जा सके।

8. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

[खंड 154]

(ख.) बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 में धारा 55क का अंतःस्थापन

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध(पीबीडीटी) अधिनियम, 1988 की धारा 53(2) के अनुसार, बेनामी संव्यवहार का अपराध, बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25% विस्तार तक के जुर्माने के साथ कम से कम एक वर्ष से अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास की शास्ति से दंडनीय है। यह शास्ति बेनामीदार या फायदाग्राही स्वामी या ऐसे व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति को बेनामी संव्यवहार करने के लिए दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करता है, के लिए समान है। शास्ति और अभियोजन की समान मात्रा, जैसा कि फायदाग्राही स्वामी और दुष्प्रेरक के मामले में अधिरोपणीय है, होने के कारण, बेनामीदार फायदाग्राही स्वामी के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, कई बेनामीदारों के गरीब साधन से और अशिक्षित होते हुए उन पर, ऐसे बेनामी संव्यवहार के फायदाग्राही स्वामी जैसी समान शास्ति अधिरोपित करना अननुपातिक प्रकृति का होगा। अनुकल्पतः, यदि ऐसे बेनामीदार इकबाली साक्षी बनते हैं, तो यह बेनामी संपत्तियों के निश्चित साक्ष्य और ब्यौरे एकत्रित करने में सहायता करेंगे और परिणामस्वरूप फायदाग्राही स्वामी की दोषसिद्धि होगा।

3. और इसके अतिरिक्त देश की विभिन्न अन्य विधि ऐसे मामलों में, जहां साक्षी विधि की सम्यक प्रक्रिया में सहायता करता है, अभियोजन/शास्ति में कमी से क्षमा/उन्मुक्ति देने का उपबंध करती है।
4. इसलिए पीबीपीटी अधिनियम, 1988 में धारा 55 को अंतःस्थापित कर प्रस्ताव, यह उपबंध करने के लिए है कि बेनामी संव्यवहार से संबंधित पूर्ण परिस्थितियों के उसके पूर्ण और सत्य प्रकटन किए जाने की शर्त पर, आरंभिक अधिकारी फायदाग्राही स्वामी से भिन्न, धारा 53 में निर्दिष्ट बेनामीदार या कोई अन्य व्यक्ति के साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, धारा 55 में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, धारा 53 के अधीन किसी अपराध के लिए शास्ति से ऐसे व्यक्ति उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा। संबद्ध व्यक्ति को की गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति, अधिनियम की धारा 53 के अधीन कोई शास्ति के अधिरोपण से और ऐसे अपराध, जिसके संबंध में उन्मुक्ति दी गई है, से उन्मुक्ति उस विस्तार तक जहां तक उन्मुक्ति विस्तारित है, देगी।
5. इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि यदि आरंभिक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई है, ने उन शर्तों, जिन पर उन्मुक्ति प्रदान की गई है, का अनुपालन नहीं किया है या जानबूझ कर कोई बात छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो वह आरंभिक अधिकारी इस संबंध में निष्कर्षों को अभिलेखाबद्ध कर सकेगा और तब धारा 55 में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उन्मुक्ति को वापिस लिया गया समझा जाएगा तथा ऐसा व्यक्ति, ऐसे अपराध, जिसके संबंध में उसे उन्मुक्ति दी गई है, के लिए या अन्य किसी अपराध के लिए जिसके संबंध में वह उसी मामले के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, विचारित किया जा सकेगा तथा अधिनियम के अधीन किसी शास्ति, जिसके लिए वह अन्यथा दायी होगा, के अधिरोपण के लिए भी दायी होगा।
6. यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 154]

सीमाशुल्क

टिप्पण:-

- (क) "मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)" से अभिप्रेत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्ग्रहीत सीमा शुल्क है ।
- (ख) "कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) " का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत लगाया जाता है।
- (ग) "सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) " का अर्थ सीमा शुल्क का एक अतिरिक्त शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 111 के तहत लगाया जाता है ।
- (घ) "स्वास्थ्य उपकर" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 141 के तहत लगाया जाता है।
- (ङ) "समाज कल्याण अधिभार (एसडब्लूएस)" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 के तहत लगाया जाता है ।
- (च) वर्ग कोष्ठक में खंड संख्या [] वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के प्रासंगिक खंड को इंगित करती है
- (छ) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2024 का खंड
	यह परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के अधिनियमित होने की तारीख से लागू होंगे।	
1.	धारा 28 डीए में संशोधन किया जा रहा है ताकि उक्त धारा को नए व्यापार समझौतों के साथ संरेखित करने के लिए व्यापार समझौतों में प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के प्रूफ ऑफ़ ओरिजिन को स्वीकार किया जा सके, जो स्व-प्रमाणन प्रदान करते हैं।	[100]

2.	धारा 65 की उप-धारा (1) में परन्तुक के माध्यम से एक प्रावधान शामिल किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार को माल के वर्ग संबंध में कुछ विनिर्माण और अन्य कार्यों को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जा सके जिन्हें वेयरहाउस में अनुमति नहीं दी जाएगी।	[101]
3.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 143कक में "आयातकों या निर्यातकों के एक वर्ग" के स्थान पर "आयातकों या निर्यातकों या किसी अन्य व्यक्तियों के एक वर्ग" के साथ संशोधन किया जा रहा है ताकि व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके और अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके।	[102]
4.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (एम) को "आयातकों या निर्यातकों के एक वर्ग" को "आयातकों या निर्यातकों या किसी अन्य व्यक्तियों के एक वर्ग" के साथ प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जा रहा है।	[103]

II. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2024 का खंड
1.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 6, जो टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में सुरक्षात्मक शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, को हटाया जा रहा है, क्योंकि टैरिफ आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जून 2022 के संकल्प द्वारा लोप कर दिया गया है। यह परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के अधिनियमित होने की दिनांक से लागू होगा।	[106]

III. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

संशोधन		
टैरिफ दर में परिवर्तन		
क.	टैरिफ दर में वृद्धि (24.07.2024 से प्रभावी होगी) * [वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 का खंड [107 क]], तृतीय अनुसूची के साथ पठित	शुल्क की दर

	* अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के तहत घोषणा के माध्यम से तुरंत प्रभाव से लागू होगा			
क्रमांक	शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		प्लास्टिक्स		
1.	3920, 3921	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्में (पीवीसी फ्लेक्स बैनर या पीवीसी फ्लेक्स शीट के रूप में भी जानी जाती हैं) (शीर्ष 3920 और 3921 के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी सामानों पर वर्तमान में लागू बीसीडी को प्रासंगिक अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन द्वारा बनाए रखा जाएगा।)	10%	25%
		उपभोक्ता वस्तुओं		
2.	6601 10 00	गार्डन अम्ब्रेला	20%	20% या रु. 60 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
		केमिकल्स		
3.	9802 00 00	प्रयोगशाला रसायन (शीर्ष 9802 में सभी रसायन, आर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं, 500 ग्राम या 500 मिलीलीटर से अनधिक पैकिंग में आयातित होते हैं और जिन्हें शुद्धता, चिह्नों या अन्य विशेषताओं के दर्शाने से पहचाने जा सकते हैं जो केवल प्रयोगशाला उपयोग के लिए बने हैं,)	10%	150%

ख.	टैरिफ दर में परिवर्तन (मूल सीमा शुल्क की प्रभावी दरों में बिना किसी बदलाव के) [01.10.2024 से प्रभावी होने के लिए] * [वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 का खंड [107 ख]] नोट: इन वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की वर्तमान में लागू दर को प्रासंगिक अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन द्वारा बनाए रखा जाएगा।			शुल्क की दर	
क्रमांक	शीर्षक, उप-शीर्षक, या टैरिफ मद	वस्तु	से	तक	
1.	2008 19 20	अन्य भुने हुए नट्स और बीज, जिनमें इस प्रकार का अरेका नट्स भी शामिल है	30%	150%	
2.	2008 19 30	अन्य नट्स, अन्यथा तैयार या संरक्षित, जिनमें इस प्रकार का अरेका नट्स भी शामिल है	30%	150%	

ग.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2024 का खंड
1.	टैरिफ लाइन्स को संशोधित करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची को 01.10.2024 से संशोधन किया जा रहा है।	[107 ख चौथी अनुसूची के साथ पढ़ें]

IV. अधिसूचनाओं में मूल सीमा शुल्क दरों में बदलाव से जुड़े अन्य प्रस्ताव

क.	मूल सीमा शुल्क में परिवर्तन (24.07.2024 से प्रभावी)		शुल्क की दर	
क्रमांक	शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
I.		कृषि उत्पाद		
1.	1207 99 90	शिया नट्स	30%	15%

II.		एक्वा फार्मिंग और समुद्री निर्यात		
1.	0306 36	जीवित एसपीएफ वन्नामेई श्रिम्प (लिटोपेनियस वन्नमेइ) ब्रूडस्टॉक	10%	5%
2.	0306 36	जीवित ब्लैक टाइगर श्रिम्प (पेनेअस मोनोडोन) ब्रूडस्टॉक	10%	5%
3.	0306 36 60	आर्टेमिया	5%	शून्य
4.	0511 91 40	आर्टेमिया सिस्ट्स	5%	शून्य
5.	0308 90 00	एसपीएफ पोलीकीट वर्म्स	30%	5%
6.	1504 20	जलीय आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए मछली का लिपिड तेल	15%	शून्य
7.	1504 20	जलीय आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा मछली का तेल	30%	शून्य
8.	1518	जलीय आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए शैवालीय तेल	15%	शून्य
9.	2102 20 00	जलीय आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए अल्गल प्राइम (आटा)	15%	शून्य
10.	2309 90 90	जलीय आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए मिनरल और विटामिन प्रीमिक्स	5%	शून्य
11.	2301 10 90	एक्वेटिक फीड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए, आर एंड डी के उद्देश्य से लाये गए इन्सेक्ट मील	15%	5%
12.	2309 90 90	एक्वेटिक फीड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए, आर एंड डी के उद्देश्य से लाये गए प्राकृतिक गैस से सिंगल सेल प्रोटीन	15%	5%
13.	2301 20	जलीय आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए क्रिल मील	5%	शून्य

14.	1901	समुद्री भोजन के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए प्री-डस्ट ब्रेडेड पाउडर	30%	शून्य
15.	2309 90 31	प्रॉन और श्रिम्प फीड	15%	5%
16.	2309 90 39	फिश फीड	15%	5%
III.		अयस्क एवं खनिज		
1.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट	5%	2.5%
2.	2505	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 26 में आने वाली धातु युक्त रेत के अलावा सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं	5%	शून्य
3.	2506	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्ट्जाइट, चाहे मोटे तौर पर काटा गया हो या नहीं, आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्गाकार सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो	5%	2.5%
4.	2530 90 91	स्ट्रान्शियम सल्फेट (प्राकृतिक अयस्क)	5%	शून्य
5.	2603 00 00	कापर अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
6.	2605 00 00	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
7.	2609 00 00	टिन अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
8.	2611 00 00	टंगस्टन अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
9.	2613	मालिब्डेनम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
10.	2615 10 00	जर्कोनियम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
11.	2615 90	हेफनियम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
12.	2615 90 10	वैनेडियम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
13.	2615 90 20	नायोबियम या टैंटेलम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
14.	2617	रेंटिमनी अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
15.	2804 50 20	टेल्यूरियम	5%	शून्य
16.	2804 61 00	सिलिकन, जिसमें सिलिकन का भार कम से कम 99.99% है	5%	शून्य

17.	2804 69 00	अन्य सिलिकन	5%	शून्य
18.	2804 90 00	सिलेनियम	5%	शून्य
19.	2805 30 00	क्षार या क्षारीय पृथ्वी धातुएं, दुर्लभ-पृथ्वी धातुएं, स्कैंडियम और येट्रियम, चाहे मिश्रित हों या नहीं	5%	शून्य
20.	2811 22 00	सिलिकन डाईक्साइड	7.5%	2.5%
21.	2815 20 00	पोटैशियम हाइड्रोक्साइड	7.5%	शून्य
22.	2816 40 00	स्ट्रान्शियम और बेरियम के आक्साईड्स, हाइड्रोक्साइड और पैरोक्साइड	7.5%	शून्य
23.	2822 00 10	कोबाल्ट आक्साइड	7.5%	शून्य
24.	2822 00 20	कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड	7.5%	शून्य
25.	2822 00 30	वाणिज्यिक कोबाल्ट आक्साईड	7.5%	शून्य
26.	2825 20 00	लिथियम आक्साईड और हाइड्रोक्साइड	7.5%	शून्य
27.	2825 30	वेनेडियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड	2.5%/7.5%	शून्य
28.	2825 60 10	जर्मनियम आक्साईड	7.5%	शून्य
29.	2825 70	मालिब्डेनम आक्साईड और हाइड्रोक्साइड	7.5%	शून्य
30.	2825 80 00	ऐंटीमनी आक्साइड	7.5%	शून्य
31.	2825 90 20	केडमियम आक्साइड	7.5%	शून्य
32.	2827 35 00	निकल के क्लोराइड	7.5%	शून्य
33.	2827 39 30	स्ट्रान्शियम क्लोराईड	7.5%	शून्य
34.	2833 24 00	निकल के सल्फेट	7.5%	शून्य
35.	2834 21 00	पोटैशियम के नाइट्रेट	7.5%	शून्य
36.	2836 91 00	लिथियम कार्बोनेट	7.5%	शून्य
37.	2836 92 00	स्ट्रान्शियम कार्बोनेट	7.5%	शून्य
38.	2841 90 00	ओक्सोमेटेलिक या पैरोक्सोमेटेलिक अम्ल के रिनियम या बेरीलियम साल्ट	7.5%	शून्य

39.	2846	दुर्लभ भू धातु के संघटक, अकार्बनिक या कार्बनिक	7.5%	शून्य
40.	2918 15 30	बिस्मथ सिट्रेट	7.5%	शून्य
41.	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट, कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट, पेस्ट, ब्लॉक के रूप में अन्य ग्रेफाइट या कार्बन पर आधारित ग्रेफाइट, प्लेट्स और अन्य सेमी-मनुफाक्चुरेस	7.5%	2.5%
42.	8001	अपरिष्कृत टिन	5%	शून्य
43.	8101 94 00	सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और छड़ों सहित अपरिष्कृत टंगस्टन	5%	शून्य
44.	8102 94 00	अपरिष्कृत मोलिब्डेनम, जिसमें बार और छड़ें भी शामिल हैं, केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त किए हुए	5%	शून्य
45.	8103 20	अपरिष्कृत टैंटलम, जिसमें केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त किये हुए बार और छड़ें भी शामिल हैं	5%	शून्य
46.	8105 20 20	अपरिष्कृत कोबाल्ट	5%	शून्य
47.	8106 10 10	अपरिष्कृत बिस्मथ	2.5%	शून्य
48.	8109 21 00	अपरिष्कृत जिंकोनियम, जिसमें वजन के हिसाब से 500 भाग जिंकोनियम पर 1 भाग से कम हेफ़नियम है	10%	शून्य
49.	8110 10 00	अपरिष्कृत ऐंटीमनी, पाउडर	2.5%	शून्य
50.	8112 12 00	अपरिष्कृत बेरिलियम, पाउडर	5%	शून्य
51.	8112 31	हेफ़नियम- अपरिष्कृत, अपशिष्ट और स्क्रैप, पाउडर	10%	शून्य
52.	8112 41 10	अपरिष्कृत रिनियम	10%	शून्य
53.	8112 69 10	अपरिष्कृत केडमियम, पाउडर	5%	शून्य
54.	8112 69 20	परिष्कृत केडमियम	5%	शून्य
55.	8112 92 00	अपरिष्कृत, अपशिष्ट और स्क्रैप, पाउडर:- (i) गेलियम (ii) जर्मेनियम (iii) इंडियम	5%	शून्य

		(iv) नायोबियम (v) वनेडियम		
IV.		स्टील उद्योग		
1.	7202 60 00	फेरो निकल	2.5%	शून्य
2.	7204	फेरस स्क्रैप	शून्य (30.09. 2024 तक)	शून्य (till 31.03. 2026 तक)
3.	7225	सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कुछ निर्दिष्ट कच्चे माल	शून्य (till 30.09. 2024 तक)	शून्य (till 31.03. 2026 तक)
V.		कॉपर		
1.	7402 00 10	ब्लिस्टर कॉपर	5%	शून्य
VI.		रसायन और प्लास्टिक		
1.	3102 30 00	अमोनियम नाइट्रेट, जलीय घोल में है या नहीं	7.5%	10%
2.	3920 (3920 99 99 के अलावा) या 3921	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मों के अलावा सभी सामान	25% (24.07. 2024 से प्रभावी)	10%
3.	3920 99 99	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मों के अलावा सभी सामान	25% (24.07. 2024 से प्रभावी)	15%

VII.		कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र		
1.	2929 10 90	स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण में उपयोग के लिए मेथिलीन डाईफिनाइल डाई-आइसोसाइनेट (एमडीआई)	7.5%	5% आईजीसी आर शर्तों के अधीन
2.	41	निर्यात के लिए, टेक्सटाइल या चमड़े के वस्त्र, चमड़े/सिंथेटिक जूते या अन्य चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए वेट वाइट, क्रस्ट और फिनिशड चमड़ा	10%	शून्य (अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 क्रमांक की संख्या आइटम 257 ख और 257 ग के अंतर्गत)
3.	38,48 या कोई अन्य अध्याय	निर्यात के लिए, चमड़े या सिंथेटिक जूते, टेक्सटाइल या चमड़े के वस्त्र या अन्य चमड़े के उत्पादों के विनिर्माण के लिए आयातित विशिष्ट सामान	जैसा हो	शून्य (अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017)

				क्रमांक की संख्या आइटम 257 ख और 257 ग के अंतर्गत)
4.	0505 10	बतख या गूस से प्राप्त रियल डाउन फिलिंग सामग्री, जो निर्यात के लिए टेक्सटाइल या चमड़े के कपड़ों के विनिर्माण में उपयोग होता है	30%	10%
VIII.		कैंसर औषधियाँ		
1.	30	(i) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, (ii) ओसिमटिनिब, (iii) इयूरवलुमैब	10%	शून्य
IX.		कीमती धातु		
1.	7108	गोल्ड बार	15%	6%
2.	7108	गोल्ड डोरे	14.35%	5.35%
3.	7106	चाँदी बार	15%	6%
4.	7106	चाँदी डोरे	14.35%	5.35%
5.	7110	प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम, इरिडियम	15.4%	6.4%
6.	7118	कीमती धातुओं के सिक्के	15%	6%
7.	7113	सोने/चाँदी की फाइनडिंग्स	15%	6%
8.	71	नोबल धातु सोल्यूशंस, नोबल धातु यौगिकों और कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के विनिर्माण के उपयोग के लिए प्लैटिनम और पैलेडियम	7.5%	5%
9.	84	प्लैटिनम और रोडियम मिश्र धातु से बनी बुशिंग जब	7.5%	5%

		भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली घिसी-पिटी या क्षतिग्रस्त बुशिंग के बदले आयात की जाती है		
X.		चिकित्सा उपकरण		
1.	39	उप-शीर्ष 9021 10 के अंतर्गत आने वाले आर्थोपेडिक इम्प्लान्ट्स के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी प्रकार की पोलिथीलीन	जैसा हो	शून्य
2.	39, 72, 81	उप-शीर्ष 9021 31 या 9021 39 के अंतर्गत आने वाले शरीर के अन्य कृत्रिम भागों के विनिर्माण में उपयोग के लिए विशेष ग्रेड स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, कोबाल्ट-क्रोम मिश्र धातु, और सभी प्रकार की पोलिथीलीन	जैसा हो	शून्य
3.	9022 30 00	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब	15%	5% (31.03.2025 तक) 7.5% (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) 10% (01.04.2026 से)
4.	9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फ्लैट पैनल डिटेक्टर (सिंटिलेटर सहित)	15%	5% (31.03.2025 तक) 7.5% (01.04.2025 से

				31.03.2026 तक) 10% (01.04.2026 से)
XI.		आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र		
1.	8517 13 00, 8517 14 00	सेलुलर मोबाइल फोन	20%	15%
2.	8504 40	सेल्यूलर मोबाइल फोन का चार्जर/एडाप्टर	20%	15%
3.	8517 79 10	सेलुलर मोबाइल फोन की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)	20%	15%
4.	28, 29, 38	कनेक्टर्स के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट पुर्जे	5%/7.5%	शून्य
5.	74	प्रतिरोधों के विनिर्माण में उपयोग के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबा	5%	शून्य
6.	40	सेल्यूलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट डाई-कट पुर्जे	जैसा हो	शून्य
7.	40, 70, 76	सेल्यूलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट यांत्रिकी	जैसा हो	शून्य
8.	8517 79 10	निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)।	10%	15%
XII.		नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र		
1.	84, 85 या कोई अन्य अध्याय	सौर सेल या सौर मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट पूंजीगत सामान, और ऐसे पूंजीगत सामान के निर्माण के लिए पुर्जे	7.5%	शून्य
2.	7007	सौर सेल या सौर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए सौर ग्लास	शून्य	10% (1.10.2024 से)

3.	74	सौर सेल या सौर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए टिनड कॉपर इंटरकनेक्ट	शून्य	5% (1.10.2024 से)
XIII.		नौवहन		
1.	कोई भी अध्याय	निर्दिष्ट जहाजों के विनिर्माण में उपयोग के लिए घटक और उपभोग्य वस्तुएं	जैसा हो	शून्य
2.	कोई भी अध्याय	युद्धपोतों के विनिर्माण में आवश्यक तकनीकी दस्तावेज और स्पेयर पार्ट्स	जैसा हो	शून्य
XIV.		पूंजीगत माल		
1.	कोई भी अध्याय	अधिसूचना संख्या 50/2017 सीमा शुल्क के क्रम संख्या 404 के तहत पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यों में उपयोग के लिए आयात किये जाने वाली वस्तुएं	जैसा हो	शून्य
ख.	निर्यात शुल्क में बदलाव (24.7.2024 से लागू होंगे) राँ हाईड, स्किन और चमड़े के लिए निर्यात शुल्क अनुसूची को सरल और तर्कसंगत बनाया जा रहा है। परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणामी दर परिवर्तन होते हैं -			शुल्क की दर
क्रमांक	अध्याय या शीर्षक	वस्तु	से	तक
1.	4101 से 4103	राँ हाईड और स्किन (भैंस की राँ हाईड और स्किन को छोड़कर)	40%	40%
2.	4101	भैंस की राँ हाईड और स्किन	30%	30%
3.	4104 से 4106	ई. आई. संस्कारित चर्म के अलावा गोजातीय या घोड़े या भेड़ या मेमने या अन्य जानवर की टैन या क्रस्ट खाल	40	20%
4.	4104 से 4106	ई. आई. संस्कारित चर्म	शून्य	शून्य
5.	41	बकरी, भेड़ और गोकुलीय पशुओं और उनके मेमनो के परिसज्जित चर्म	शून्य	शून्य

6.	4301	रॉ फरस्कन	60%/10%	40%
7.	4302	अन्य टैन या सजी हुई फरस्कन	60%	20%

V. अन्य विविध संशोधन

क. पूर्वव्यापी सत्यापन

यह परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के अधिनियमित होने की तारीख से लागू होंगे

क्र.सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2024 का खंड
1.	कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल पर लगने वाले बीसीडी और एआईडीसी शुल्क से छूट के लिए अधिसूचना संख्या 37/2023 - सीमा शुल्क, दिनांक 10 मई, 2023 का 1 अप्रैल 2023 से 10 मई, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए पूर्वव्यापी सत्यापन किया जा रहा है। यह छूट डीजीएफटी द्वारा अनुमत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टीआरक्यू प्राधिकरण में अप्रयुक्त कोटा की उपलब्धता और 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए लेडन बिल की शर्त पर उपलब्ध है।	[105]
2.	जीएसटी परिषद की 53 वीं मीटिंग में की गयी सिफारिश के अनुसार, प्राधिकृत परिचालन के लिए एसईजेड में, एसईजेड इकाई/डेवलपर द्वारा आयात पर लगाए जाने वाले जी एस टी प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना को 1 जुलाई, 2017 से पूर्वव्यापी सत्यापित किया जा रहा है।	[104]

B. शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग इयूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995

शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग इयूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 न्यू शिपर रिव्यू जांच करने के लिए एक प्रावधान शामिल किया जा रहा है। यह बदलाव 24.7.2024 से लागू होंगे।

C. अन्य अधिसूचना परिवर्तन

क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक	विषय
1	38/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.2024	विदेशी मूल के सामान को मरम्मत के लिए शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है, बशर्ते कि उनका छह महीने की अवधि के भीतर निर्यात कर दिया जाए जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए आयात किए जाने वाले विमानों और जहाजों के लिए यह समयावधि एक वर्ष की जा रही है (अध्याय 88 और 89 के तहत) और इसे एक साल तक और बढ़ाया जा सकता है।
2	39/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.2024	निर्यात प्रोत्साहन योजना का लाभ न लेने की स्थिति में, वस्तुओं को तीन वर्ष की अवधि तक शुल्क मुक्त पुनः आयात किया जा सकता है, जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को पांच साल तक बढ़ाया जा रहा है जिसे 2 वर्ष और विस्तार किया जा सकता है।
3	31/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.2024	कीमती धातुओं पर शुल्क दरों में परिणामी बदलाव के रूप में भारत-यू.ई. सीईपीए टैरिफ अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है।

VI. सीमा शुल्क रियायतों/छूट की समीक्षा:

क. सीमा शुल्क रियायतों/छूट की समीक्षा इन्हें 31 मार्च 2026 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है

(i) अधिसूचना के निम्नलिखित क्रम संख्या के तहत आने वाले माल के लिए बीसीडी छूट को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया जा रहा है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
1.	17	निर्दिष्ट रोपण सामग्री, अर्थात्, तिलहन, सब्जियों के बीज, कंद, आदि
2.	80क	जलीय भोजन के विनिर्माण के लिए शैवालीय तेल
3.	90	होम्योपैथिक दवा के निर्माण में उपयोग के लिए लैक्टोज
4.	104	समुद्री भोजन के प्रसंस्करण में प्रयुक्त निर्दिष्ट सामान
5.	133	सोने के अयस्क और सांद्रण
6.	139	बंकर ईंधन अर्थात्: (i). आईएफओ 180 सीएसटी; (ii). आईएफओ 380 सीएसटी; (iii). वीएलएसएफओ (सीटीएच 27)
7.	150	उर्वरकों के निर्माण के लिए नेफथा (छूट का दायरा केवल नेफथा तक कम किया जा रहा है)
8.	155	तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) एसईजेड में इकाई से प्राप्त की जाती हैं और डीटीए इकाई द्वारा एसईजेड इकाई को लौटाई जाती हैं
9.	164	एसईजेड इकाई से डीटीए को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की गई
10.	165	एसईजेड से डीटीए को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति
11.	172	सौर सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए सिलिकॉन वेफर्स या सौर वेफर्स के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट सामान
12.	183	रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में उपयोग के लिए चिकित्सा उपयोग विखंडन मोलिब्डेनम-99 (एमओ-99)।
13.	184	फार्मास्यूटिकल संदर्भ मानक
14.	188	एलिसा किट के निर्माण के लिए सामान
15.	191	डेफेरिप्रोन के निर्माण के लिए माल्टोल

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
16.	204	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड के निर्माण में उपयोग के लिए एन्थ्राक्विनोन या 2-एथाइल एन्थ्राक्विनोन
17.	237	ईवीए (एथिलीन विनाइल एसीटेट) शीट या बैकशीट के निर्माण के लिए निर्दिष्ट सामग्री, जिसका उपयोग सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है। (आयात की जा सकने वाली सामग्रियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है)
18.	253	ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) मोटर्स के निर्माण के लिए निर्दिष्ट सामान
19.	257	वास्तविक निर्यातकों द्वारा आयातित टैग, लेबल, स्टिकर, बेल्ट, बटन, हैंगर या मुद्रित बैग
20.	257A	वास्तविक निर्यातक द्वारा आयात किए जाने पर निर्यात के लिए हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली निर्दिष्ट वस्तुएं
21.	257B	वास्तविक निर्यातक द्वारा आयात किए जाने पर निर्यात के लिए कपड़ा या चमड़े के कपड़ों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली निर्दिष्ट वस्तुएं
22.	257C	वास्तविक निर्यातक द्वारा आयात किए जाने पर निर्यात के लिए चमड़े या सिंथेटिक जूते या अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली निर्दिष्ट वस्तुएं
23.	258	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा सिक्वोरिटी पेपर के निर्माण में उपयोग के लिए सिक्वोरिटी फाइबर, धागे, पेपर आधारित टैगमेंट, एम-फीचर।
24.	259	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्ति के लिए सिक्वोरिटी फाइबर और सिक्वोरिटी थ्रेड के निर्माण के लिए कच्चा माल। सिक्वोरिटी पेपर के निर्माण में उपयोग के लिए लिमिटेड, मैसूर
25.	260	निर्दिष्ट आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के निर्माण के लिए सामान (902110)

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
26.	261	कॉपर-टी गर्भनिरोधक के निर्माण के लिए कच्चा माल (i) अलाथियोन (ii) तांबे का तार
27.	265	कैपेसिटर ग्रेड प्लास्टिक के निर्माण के लिए कैपेसिटर ग्रेड पॉलीप्रोपाइलीन ग्रैन्यूल
28.	269	वयस्क डायपर और निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए सुपर अवशोषक पॉलिमर
29.	271	स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण में उपयोग के लिए पॉलीटेट्रामेथिलीन ईथर ग्लाइकोल, (पीटी एमईजी)
30.	276	इंसुलेटेड तार और केबल के निर्माण के लिए एथिलीन-प्रोपलीन-गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम)
31.	279	अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा आदि के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले विमानों की सर्विसिंग, रखरखाव की मरम्मत में उपयोग के लिए रबर के नए या पीछे के वायवीय टायर
32.	280	एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयातित या खरीदे गए विमानों की सर्विसिंग, मरम्मत या रखरखाव में उपयोग के लिए / उड़ान प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए / गैर-अनुसूचित (यात्री या चार्टर) सेवाओं के संचालन के लिए / उड़ान अंशांकन उद्देश्य के लिए एएआई के रबर के नए या पीछे के वायवीय टायर
33.	290	अखबारी कागज, कागज या पेपरबोर्ड के निर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी
34.	292	कागज, पेपर बोर्स, अखबारी कागज के निर्माण के लिए आयातित सामान
35.	293A	अखबारी कागज की छपाई के लिए अखबारी कागज और बिना लेपित कागज का आयात किया जाता है

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
36.	296A	पत्रिकाओं की छपाई के लिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा आयातित हल्का लेपित कागज
37.	326	हाइड्रोफिलिक/हाइड्रोफोबिक गैर-बुना, वयस्क डायपर के निर्माण में उपयोग के लिए आयातित
38.	329	खिलौनों के निर्माण के लिए कपड़ों का ढेर लगाएं
39.	333	इलेक्ट्रॉनिक घटकों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों के निर्माण के लिए सांचे, उपकरण और डाइज़
40.	334	(i) सिलिकॉन सिल्लियां उगाने के लिए ग्रेफाइट फेल्ड या ग्रेफाइट पैक (ii). सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए वायर आरी में पतले स्टील के तार का उपयोग किया जाता है
41.	345A	सीधे तौर पर काटे गए हीरे
42.	364A	खर्च किया गया उत्प्रेरक या राख जिसमें कीमती धातुएँ हों
43.	368	फेरस स्ट्रैप
44.	374	कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण में उपयोग के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) लेपित कोल्ड रोल्ड स्टील काँइल्स
45.	375	कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण के लिए निर्दिष्ट आइटम
46.	378	शीर्ष 8546 के अंतर्गत आने वाले विद्युत इंसुलेटर के निर्माण के लिए धातु के हिस्से
47.	379	बॉयलर के निर्माण में उपयोग के लिए पाइप और ट्यूब
48.	380	हवा से चलने वाले बिजली जनरेटर में उपयोग के लिए विशेष बीयरिंग के निर्माण के लिए जाली स्टील के छल्ले
49.	381	सौर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए फोटो वोल्टाइक रिबन के निर्माण में उपयोग के लिए फ्लैट तांबे के तार

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
50.	392	धातु खींचने के लिए मर जाता है, जहां विदेशों से मरम्मत के बाद आयात किया जाता है
51.	403	अपतटीय तेल अन्वेषण के लिए पुर्जे और कच्चा माल
52.	404	अपतटीय तेल अन्वेषण के लिए पूंजीगत सामान और कच्चे माल सहित निर्दिष्ट वस्तुएं
53.	415	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए पार्ट्स
54.	415A	नोबल मेटल कंपाउंड्स और नोबल मेटल सॉल्यूशंस के निर्माण के लिए प्लैटिनम या पैलेडियम
55.	416	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरिया ज़िरकोनिया यौगिक
56.	417	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरियम यौगिक
57.	418	कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए जिओलाइट
58.	422	सेमीकंडक्टर वेफर और एलसीडी में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण
59.	423	सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्किंग और पैकेजिंग में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण
60.	426	सेमीकंडक्टर उपकरणों, मेमोरी कार्ड, आईसी, सौर सेल के निर्माण के लिए निर्दिष्ट सामान
61.	435	मुद्रण उद्योग के लिए पूंजीगत सामान
62.	442	प्लैटिनम और रोडियम मिश्रधातु से बनी बुशिंग जब भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली घिसी-पिटी या क्षतिग्रस्त बुशिंग के बदले में आयात की जाती है
63.	446	सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्माण के लिए पुर्जे और घटक
64.	451	सौर वॉटर हीटर के निर्माण में उपयोग के लिए सौर चयनात्मक कोटिंग की तीन परतों वाली खाली ट्यूब

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
65.	462	सीएनसी लेथ के निर्माण में उपयोग के लिए बॉल स्कू
66.	463	सीएनसी लेथ के निर्माण में उपयोग के लिए लीनियर मोशन गाइड
67.	464	सीएनसी लेथ के निर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी सिस्टम
68.	464A	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के निर्माण के लिए सामान
69.	467	नकद डिस्पेंसर या स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर के भाग और घटक
70.	468	माइक्रो एटीएम, फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर, आइरिस स्कैनर, लघु पीओएस के निर्माण के लिए पार्ट्स (छूट का दायरा केवल कच्चे माल के आयात तक सीमित किया जा रहा है)
71.	471	एलईडी लाइट के निर्माण में उपयोग के लिए सभी हिस्से
72.	472	एलईडी लाइटों के लिए एलईडी ड्राइवर या एमसीपीसीबी के निर्माण में उपयोग के लिए सभी इनपुट
73.	476	फिल्में लेने के लिए टेलीविज़न उपकरण, कैमरे आदि, किसी विदेशी फिल्म इकाई या टेलीविज़न टीम द्वारा आयातित
74.	477	विदेशी मूल के फिल्मों के उपकरण यदि वहां से निर्यात किए जाने के बाद भारत में आयात किए जाते हैं।
75.	480	निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों में परीक्षण के लिए आयातित सामान
76.	489B	माइक्रोफोन के निर्माण के लिए सामान
77.	504	डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरे के भाग और घटक
78.	509	डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के निर्माण के लिए हिस्से, घटक और सहायक उपकरण
79.	510	टेलीविज़न के लिए रिसेप्शन उपकरण के निर्माण में उपयोग के लिए हिस्से, घटक और सहायक उपकरण
80.	511	सीसीटीवी कैमरे के निर्माण के लिए पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण
81.	512	निर्दिष्ट हिस्से, घटक और लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
82.	512A	मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली के निर्माण में उपयोग के लिए इनपुट, भाग या उप-भाग
83.	515A	टीवी पैनल के निर्माण के लिए ओपन सेल
84.	516	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी)/एलईडी टीवी पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान
85.	517	घरेलू माइक्रोवेव ओवन के निर्माण के लिए मैग्नेट्रॉन
86.	519	ई-रीडर के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल या हिस्से
87.	523A	लिथियम आयन कोशिकाओं के निर्माण में उपयोग के लिए भाग, उप-भाग, इनपुट या कच्चा माल
88.	527	लिथियम आयन सेल का उपयोग बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में किया जाता है
89.	527A	सेलुलर मोबाइल की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल
90.	527B	ईवी की बैटरी या बैटरी पैक का लिथियम आयन सेल निर्माण
91.	534	विमान के ग्लाइडर या सिमुलेटर के हिस्से (ग्लाइडर के रबर टायर और ट्यूब को छोड़कर)
92.	535	विमान और विमान के हिस्सों के निर्माण के लिए कच्चा माल
93.	535A	रक्षा मंत्रालय के तहत पीएसयू द्वारा विमान के निर्माण के लिए या विमान के हिस्सों के निर्माण के लिए विमान के हिस्से
94.	536	विमान, घटकों या विमानों के हिस्सों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए हिस्से, परीक्षण उपकरण, उपकरण और टूल-किट
95.	537	शीर्षक 8802 के सभी सामान (88026000-अंतरिक्ष यान को छोड़कर)
96.	538	शीर्ष 8802 के विमान के इंजन सहित घटक या हिस्से
97.	539	(क) उपग्रह और पेलोड; (ख) ग्राउंड उपकरण (क) के परीक्षण के लिए लाए गए
98.	539A	प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण आदि

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
99.	540	अनुसूचित हवाई ट्रांसपोर्टर द्वारा आयातित निर्दिष्ट सामान
100	542	एयरो क्लब, उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयातित निर्दिष्ट सामान
101	543	गैर-अनुसूचित हवाई ट्रांसपोर्टर द्वारा आयातित निर्दिष्ट सामान
102	544	शीर्षक 8802 के विमान के हिस्से (रबर ट्यूब के अलावा)
103	546	शीर्षक 8802 के विमान के हिस्से (रबर ट्यूब के अलावा)
104	548	जहाजों के साथ बजरे या पॉटून का आयात किया जाता था
105	551	कूज जहाज़, भ्रमण जहाज़
106	553	मछली पकड़ने के जहाज, टग और पुशर शिल्प, जहाजों को छोड़कर हल्के जहाज और ब्रेक अप के लिए आयातित फ्लोटिंग संरचना
107	555	युद्धपोतों, जीवनरक्षक नौकाओं और जहाजों को छोड़कर जीवनरक्षक नौकाओं जैसे जहाजों को ब्रेक-अप के लिए आयात किया जाता है
108	567	कोरोनरी स्टेंट/कृत्रिम वाल्व के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब और तार
109	569	ओस्टोमी उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक हिस्से
110	570	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, उपकरण और उपकरण जिनमें स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण शामिल हैं
111	575	निर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग के लिए निर्दिष्ट अस्पताल उपकरण
112	578A	कॉक्लियर इम्प्लांट के निर्माण के लिए कच्चा माल
113	580	एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली और उसके हिस्से
114	581	पोर्टेबल एक्स-रे मशीन/सिस्टम
115	583	ब्रेल घड़ियों के निर्माण के लिए ब्रेल घड़ियों के हिस्से और केस
116	591	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के हिस्से
117	593	वीडियो गेम के निर्माण के लिए वीडियो गेम के भाग

(ii) अधिसूचना के निम्नलिखित क्रम संख्या के तहत आने वाले माल के लिए बीसीडी छूट को 31 मार्च, 2029 तक बढ़ाया जा रहा है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

क्रमांक	50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक	छूट सूची का संक्षिप्त विवरण
1.	212A	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), रेड क्रॉस आदि द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली दवाएं/दवाएं/टीके
2.	213	औषधियाँ एवं सामग्रियाँ
3.	428	मान्यता प्राप्त प्रेस कैमरामैन द्वारा आयातित निर्दिष्ट सामान
4.	429	निर्दिष्ट सामान, मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा आयातित
5.	549	समुद्र में जाने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए पूंजीगत सामान, कच्चा माल और पुर्जे
6.	550	भारत में पंजीकृत समुद्रगामी जहाजों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं
7.	577	व्यक्तिगत उपयोग के लिए जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरण
8.	607	जीवन रक्षक दवाएं जैसे कीडूडा आदि
9.	607A	व्यक्तिगत उपयोग के लिए जीवनरक्षक औषधियाँ/दवाएँ
10.	611	संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए पुरातात्विक कलाकृतियाँ
11.	612	खेल के सामान के लिए निर्दिष्ट कच्चा माल

ख. अन्य अधिसूचना के द्वारा सीमा शुल्क रियायतों/छूट की समीक्षा:

(i) निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत आने वाले माल के लिए बीसीडी छूट को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया जा रहा है।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	विवरण
1	30/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	मीडिया पर मुद्रित या रिकॉर्ड किए गए गेमिंग कंसोल में उपयोग के लिए मोशन पिक्चर, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर को छूट

2	05/2017-सीमा शुल्क दिनांक 2 फरवरी 2017	अपशिष्ट से ऊर्जा पर आधारित ईंधन सेल स्थापित करने के लिए मशीनरी, घटकों को अपशिष्ट से ऊर्जा पर छूट
3	113/2003-सीमा शुल्क दिनांक 22 जुलाई 2003	एसईजेड में इकाई द्वारा स्वदेशी संयंत्र और मशीनरी पर स्वदेशी अरंडी तेल के बीज से निर्मित और डीटीए में लाए गए अरंडी तेल केक और अरंडी डी-तेलयुक्त केक को छूट
4	81/2005-सीमा शुल्क दिनांक 8 सितंबर 2005	गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन संयंत्रों की प्रारंभिक स्थापना के लिए मशीनरी/घटकों को छूट
5	26/2011-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2011	संग्रहालय या आर्ट गैलरी में कला, प्राचीन वस्तुओं के काम की छूट
6	248/1976-सीमा शुल्क दिनांक 2 अगस्त 1976	'अनुमोदन या वापसी' के आधार पर डाक द्वारा आयातित कीमती पत्थरों को छूट
7	24/2001-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2001	कॉपर रिवर्ट्स से निर्मित कॉपर कैथोड, वायर बार और वायर रॉड को छूट
8	25/2001-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2001	कॉपर एनोड स्लाइम से उत्पादित सोने और चांदी पर छूट, जिन्हें टोल गलाने और प्रसंस्करण के लिए भारत से बाहर निर्यात किया गया था
9	32/1997-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 1997	जॉबिंग के लिए निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित माल पर छूट

(ii) निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत आने वाले माल के लिए बीसीडी छूट को 31 मार्च, 2029 तक बढ़ाया जा रहा है।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	विवरण
1	16/1965-सीमा शुल्क दिनांक 23 जनवरी 1965	भारत सरकार के शो-रूम में प्रदर्शन के लिए विदेशों में निर्यात किए गए सामान को छूट
2	80/1970-सीमा शुल्क 29 अगस्त 1970	पहले आयातित सामानों के बदले दोषपूर्ण सामानों के प्रतिस्थापन के रूप में वारंटी के तहत मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं।
3	207/89-सीमा शुल्क दिनांक 17 जुलाई 1989	विदेशियों द्वारा खाद्य पदार्थ और प्रावधान (फल उत्पाद, तंबाकू, शराब को छोड़कर)।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	विवरण
4	147/94-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994	आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद जब किसी प्रसिद्ध शूटर द्वारा उपयोग के लिए आयात किया जाता है
5	48/94-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994	निर्दिष्ट उपहार; द्विपक्षीय समझौते के तहत मुफ्त उपहार में दिया गया सामान; भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयातित सामान, राहत और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए सामान;
6	152/94-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994	अंधों और बधिरों के लिए संस्थान द्वारा आयातित नेत्रहीन/विकलांगों के लिए उपकरण/सहायक उपकरण; और सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा आयातित अन्य निर्दिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री
7	153/94-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994	मरम्मत और वापसी के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुएं, नाट्य उपकरण और वेशभूषा, पर्वतारोहण अभियान उपकरण, फोटोग्राफिक, फिल्मोंकन रिकॉर्डिंग आदि
8	134/94-सीमा शुल्क दिनांक 22 जून 1994	निर्दिष्ट पूंजीगत सामान, और मरम्मत के लिए आयातित अन्य सहायक वस्तुएँ
9	39/96-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996	रक्षा, आंतरिक सुरक्षा बलों और वायु सेना से संबंधित निर्दिष्ट आयात।
10	50/96-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996	निर्दिष्ट उपकरण, यंत्र, कच्चा माल, घटक, पायलट प्लांट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए आयात किया जाता है
11	51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996	सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान द्वारा आयात किए जाने पर निर्दिष्ट उपकरण, उपकरण, कच्चे माल, घटक, पायलट प्लांट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
12	25/1998-सीमा शुल्क दिनांक 2 जून 1998	सेमीकंडक्टर वेफर्स के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान/मशीनरी/माप उपकरण।
13	23/2016-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2016	विमान के हिस्से जब मानक विनिमय योजना के तहत भारत में आयात किए जाते हैं
14	32/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	कलाकृति और प्राचीन पुस्तकों का आयात

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	विवरण
15	37/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों के संबंध में आयात जिसमें पदक, अलंकरण, रक्षा कर्मियों के व्यक्तिगत सामान, विदेशी दानदाताओं से वास्तविक उपहार, परीक्षण, प्रदर्शन के लिए भंडार और सामान शामिल हैं।
16	16/2017-सीमा शुल्क दिनांक 20 अप्रैल, 2017	जब निर्दिष्ट रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत आपूर्ति के लिए आयात किया जाता है, तो संपूर्ण सीमा शुल्क से निर्दिष्ट दवाएं
17	25/1999-सीमा शुल्क दिनांक 28 फरवरी 1999	आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुएं/मशीनरी, वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति के अधीन।
18	25/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2002	निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल, इनपुट और हिस्से
19	35/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	भारतीय एयरलाइन या भारतीय वायु सेना के विमानों के टैंक में एविएशन टर्बाइन ईंधन

(iii) अधिसूचनाएँ जहाँ अंतिम तिथि का लोप किया जा रहा है:

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	विवरण
1	49/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के निर्दिष्ट वस्तुओं पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट
2	52/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	अध्याय 27 के तहत माल के लिए अतिरिक्त शुल्क की प्रभावी दर
3	29/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017	शिक्षण उद्देश्यों के लिए नमूने, मॉडल, दीवार चित्र और आरेखों को छूट
4	46/1974-सीमा शुल्क दिनांक 25 मई 1974	शैक्षिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सामग्री

VII. सीमा शुल्क रियायतों/छूट जो कि समाप्त किये जा रहे हैं

(i) 50/2017-सीमा शुल्क के अंतर्गत प्रविष्टियाँ जो 30 सितंबर 2024 की अंतिम तिथि पर समाप्त हो रहे हैं:

क्रमांक	50/2017- सीमा शुल्क के क्रमांक	विवरण
1	478	लाइसेंस प्राप्त शौकिया रेडियो ऑपरेटर द्वारा आयातित सूची 29 में निर्दिष्ट वायरलेस उपकरण, सहायक उपकरण और हिस्से
2	353	विदेशी मुद्रा के सिक्के जब किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारत में आयात किये जाते हैं
3	387	ऐसी प्रक्रियाओं के लिए भारत से निर्यात किए गए जस्ता सांद्रण से टोल प्रगलन या टोल प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त जस्ता धातु
4	441	भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले घिसे-पिटे या क्षतिग्रस्त स्पिनरनेट के बदले आयात किए जाने पर सोने, प्लैटिनम और रोडियम या इनमें से किसी एक या अधिक धातुओं से बने स्पिनरनेट का उपयोग किया जाता है।
5	238	विद्युत इस्पात के निर्माण के लिए कार्बनिक/अकार्बनिक कोटिंग सामग्री
6	254	पवन चालित विद्युत जनरेटर के कास्ट घटकों के निर्माण के लिए उत्प्रेरक
7	255	पवन चालित विद्युत जनरेटर के कास्ट घटकों के निर्माण के लिए राल
8	277A	अध्याय शीर्ष 8523 के तहत स्मार्ट कार्ड के निर्माण के लिए कैलेंडर वाली प्लास्टिक शीट
9	339	सौर तापीय कलेक्टरों या हीटर्स के निर्माण में उपयोग के लिए कम लौह सामग्री और न्यूनतम 91% और उससे अधिक की संप्रेषण क्षमता वाले कड़े ग्लास के आयात पर रियायती दर
10	421	बुनियादी टेलीफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, इंटरनेट सेवा या बंद उपयोगकर्ताओं के समूह 64 केबीपीएस घरेलू डेटा नेटवर्क के लिए इन्सैट उपग्रह प्रणाली सेवा और भागों के माध्यम से आवश्यक निर्दिष्ट सामान, सामान के निर्माण के लिए
11	479	मोनो या द्वि ध्रुवीय झिल्ली इलेक्ट्रोलाइज़र और उसके हिस्से जिनमें माध्यमिक ब्राइन शुद्धिकरण घटक, जम्पर स्विच, कास्टिक सोडा या पोटाश इकाइयों के लिए हाइड्रोजन फिल्टर के लिए फिल्टरिंग तत्व शामिल हैं; कास्टिक सोडा या पोटाश इकाइयों के लिए झिल्ली और उसके हिस्से या अन्य हिस्से;

12	475	स्क्रेम्बलर, डिस्क्रेम्बलर, एनकोडर, डिकोडर, जैमर, नेटवर्क फ़ायरवॉल, नेटवर्क स्निफ़र, स्कैनर और मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा मॉनिटरिंग के लिए जांच और एसएमएस/एमएमएस मॉनिटरिंग सिस्टम सहित निर्दिष्ट सामान
13	482	समाचार पत्र पृष्ठ प्रसारण और रिसेप्शन प्रतिकृति प्रणाली या उपकरण; और टेलीफोटो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन सिस्टम या उपकरण
14	495	दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों सहित विद्युत चालित वाहनों के लिए बैटरियां
15	497	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (आरपीएस) इनवर्टर के निर्माण में उपयोग के लिए सक्रिय ऊर्जा नियंत्रक (एईसी)।
16	579	सर्वेक्षण (डीजीपीएस) उपकरण, अयस्क बॉडी सिमुलेशन सह खदान योजना और अन्वेषण (भूभौतिकी और भूरसायन) के लिए 3डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, खनिजों के सर्वेक्षण और पूर्वक्षण के लिए आवश्यक उपकरण
17	419	कैटेलिटिक कनवर्टर के वॉशकोट के निर्माण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड
18	420	उत्प्रेरक कनवर्टर के लिए सिरेमिक सबस्ट्रेट में उपयोग के लिए क्ले 2 पाउडर
19	340	सोलर टेम्पर्ड ग्लास या सोलर टेम्पर्ड (एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटेड) ग्लास
20	565	लचीले मेडिकल वीडियो एंडोस्कोप के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामान [शीर्षक 9018]
21	566	सीरिज, सुई, कैथेटर और कैनुला के निर्माण के लिए विशिष्ट इनपुट सामान
22	568	ब्लड प्रेशर मॉनिटर और रक्त ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर) के निर्माण के लिए हिस्से और घटक

(ii) अन्य अधिसूचना जो 30 सितंबर 2024 की अंतिम तिथि पर समाप्त हो रहे हैं:

क्रमांक	अधिसूचना	विवरण
1	97/99-सीमा शुल्क दिनांक 21 जुलाई 1999	आरबीआई अधिकृत बैंक द्वारा आयातित मानक सोने की छड़ों पर धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत बीसीडी और अतिरिक्त शुल्क से छूट देता है।
2	30/2004-सीमा शुल्क दिनांक 28 जनवरी 2004	स्कूलों, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दान के रूप में प्राप्त सेकेंड-हैंड कंप्यूटर/सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों को बीसीडी से पूर्ण छूट प्रदान करता है।

3	102/2007-सीमा शुल्क दिनांक 14 सितंबर 2017	जब आयातक द्वारा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का भुगतान किया जाता है, तो बाद की बिक्री के लिए आयातित सभी सामानों पर सीटीए की धारा 3(5) के तहत लगाए गए विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से छूट प्रदान की जाती है
4	45/2005-सीमा शुल्क दिनांक 16 मई 2005	एसईजेड से डीटीए को मंजूरी दिए गए माल पर सीटीए की धारा 3(5) के तहत लगाए गए विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करता है।
5	151/94-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994	बाहरी उड़ान के दौरान लिए गए विमानों पर शुल्क-भुगतान वाले ईंधन और चिकनाई वाले तेल के आयात पर छूट प्रदान करता है; यूनाइटेड अरब एयरलाइंस द्वारा माल आयात; विमान के इंजन, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा आयातित पुर्जे। <i>पुनः आयात प्रविष्टियाँ पुनः आयात अधिसूचना 45/2017-सीमा शुल्क से संचालित होंगी</i>
6	26-सीमा शुल्क दिनांक 19 फरवरी 1962	विदेशी उड़ानों से इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन के विमानों द्वारा पुनः आयात पर खानपान केबिन उपकरण, भोजन और पेय पर समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है।

VIII. सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस)

क.	अधिसूचना संख्या में संशोधन 11/2018 - सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018 (24.07.2024 से)
क्र.सं.	विवरण
	मूल सीमा शुल्क दर संरचना के युक्तिकरण के कारण कुल प्रभावी शुल्क को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी जा रही है:
(1)	प्राकृतिक ग्रेफाइट
(2)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 26 में आने वाली धातु युक्त रेत के अलावा सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं
(3)	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्ट्जाइट, चाहे मोटे तौर पर काटा गया हो या नहीं, आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्गाकार सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो

(4)	स्ट्रान्शियम सल्फेट (प्राकृतिक अयस्क)
(5)	कापर अयस्क और सांद्र
(6)	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र
(7)	टिन अयस्क और सांद्र
(8)	टंगस्टन अयस्क और सांद्र
(9)	मालिब्डेनम अयस्क और सांद्र
(10)	जर्कोनियम अयस्क और सांद्र
(11)	हेफनियम अयस्क और सांद्र
(12)	वैनेडियम अयस्क और सांद्र
(13)	नायोबियम या टैंटेलम अयस्क और सांद्र
(14)	रेंटिमनी अयस्क और सांद्र
(15)	टेल्यूरियम
(16)	सिलिकन, जिसमें सिलिकन का भार कम से कम 99.99% है
(17)	अन्य सिलिकन
(18)	सिलेनियम
(19)	क्षार या क्षारीय पृथ्वी धातुएं, दुर्लभ-पृथ्वी धातुएं, स्कैंडियम और येट्रियम, चाहे मिश्रित हों या नहीं
(20)	सिलिकन डाईक्साइड
(21)	पोटैशियम हाइड्रोक्साइड
(22)	स्ट्रान्शियम और बेरियम के आक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और पैरोक्साइड
(23)	कोबाल्ट आक्साइड
(24)	कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड
(25)	वाणिज्यिक कोबाल्ट आक्साइड
(26)	लिथियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड
(27)	वेनेडियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड
(28)	जर्मेनियम आक्साइड
(29)	मालिब्डेनम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड
(30)	रेंटिमनी आक्साइड
(31)	केडमियम आक्साइड
(32)	निकल के क्लोराइड
(33)	स्ट्रान्शियम क्लोराइड
(34)	निकल के सल्फेट

(35)	पोटैशियम के नाइट्रेट
(36)	लिथियम कार्बोनेट
(37)	स्ट्रान्शियम कार्बोनेट
(38)	ओक्सोमेटेलिक या पेरोक्सोमेटेलिक अम्ल के रिनियम या बेरीलियम साल्ट
(39)	दुर्लभ भू धातु के संघटक, अकार्बनिक या कार्बनिक
(40)	बिस्मथ सिट्रेट
(41)	कृत्रिम ग्रेफाइट, कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट, पेस्ट, ब्लॉक के रूप में अन्य ग्रेफाइट या कार्बन पर आधारित ग्रेफाइट, प्लेट्स और अन्य सेमी-मनुफाक्तुरेस
(42)	अपरिष्कृत टिन
(43)	सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और छड़ों सहित अपरिष्कृत टंगस्टन
(44)	अपरिष्कृत मोलिब्डेनम, जिसमें बार और छड़ें भी शामिल हैं, केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त किए हुए
(45)	अपरिष्कृत टैंटलम, जिसमें केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त किये हुए बार और छड़ें भी शामिल हैं
(46)	अपरिष्कृत कोबाल्ट
(47)	अपरिष्कृत बिस्मथ
(48)	अपरिष्कृत जिंकोनियम, जिसमें वजन के हिसाब से 500 भाग जिंकोनियम पर 1 भाग से कम हेफ़नियम है
(49)	अपरिष्कृत ऐंटीमनी, पाउडर
(50)	अपरिष्कृत बेरिलियम, पाउडर
(51)	हेफ़नियम- अपरिष्कृत, अपशिष्ट और स्क्रैप, पाउडर
(52)	अपरिष्कृत रिनियम
(53)	अपरिष्कृत केडमियम, पाउडर
(54)	परिष्कृत केडमियम
(55)	अपरिष्कृत, अपशिष्ट और स्क्रैप, पाउडर:- (i) गेलियम (ii) जर्मेनियम (iii) इंडियम (iv) नायोबियम (v) वनेडियम

IX. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)

अधिसूचना संख्या 11/2021 - सीमा शुल्क, दिनांक 01.02.2021 को निम्नलिखित वस्तुओं पर एआईडीसी दरों को संशोधित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है (24.07.2024 से):				
क.	एआईडीसी दर में बदलाव (सीमा शुल्क की प्रभावी दर में बदलाव के साथ)		शुल्क की दर	
क्रमांक	शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
1.	7108	गोल्ड बार	5%	1%
2.	7108	गोल्ड डोरे	4.35%	0.35%
3.	7106	चाँदी बार	5%	1%
4.	7106	चाँदी डोरे	4.35%	0.35%
5.	7110	प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम, इरिडियम	5.4%	1.4%
6.	7118	कीमती धातुओं के सिक्के	5%	1%
7.	7113	सोने/चाँदी की फाइनडिंग्स	5%	1%

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण:

- (क) “मूल उत्पाद-शुल्क” से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।
- (ख) “एनसीसीडी” से वित्त अधिनियम, 2001 के अधीन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क अभिप्रेत है
- (ग) गुरुकोष्ठक [] में खंड संख्याक वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करते हैं।
- (घ) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 द्वारा किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

क्रम.सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2024 का खंड
	उत्पाद शुल्क अधिसूचना की संशोधन यह परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के अधिनियमित होने की तारीख से लागू होंगे	
1.	अंतिम मेगा पावर प्रोजेक्ट प्रमाणपत्र जमा करने की समय अवधि को 120 महीने से बढ़ाकर 156 महीने करने के लिए अधिसूचना संख्या 12/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 17.3.2012 में संशोधन किया जा रहा है।	[108] पांचवीं अनुसूची के साथ पढ़ें

	<p>स्वच्छ पर्यावरण उपकर से छूट</p> <p>यह परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 के अधिनियमित होने की तारीख से लागू होंगे</p>	
2.	<p>30 जून 2017 को या उससे पहले उत्पादित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर, जिनकी 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद सप्लाई की हो, वित्त अधिनियम 2010 की धारा 83 के तहत लगाए जाने वाले स्वच्छ पर्यावरण उपकर से छूट देने के लिए अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 30 जून 2017 में पूर्वव्यापी संशोधन किया जा रहा है, बशर्ते ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी पर उचित जीएसटी मुआवजा उपकर का भुगतान किया जाता है</p>	[109]

माल और सेवा कर

टिप्पण:

- (क) सीजीएसटी अधिनियम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
- (ख) आईजीएसटी अधिनियम से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
- (ग) यूटीजीएसटी से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
- (घ) उपकर अधिनियम से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर उपकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 में खंड 110 से 153 द्वारा किए गए संशोधन, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, उस तारीख से प्रभावी होंगे जब इन्हें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विधान के साथ पारित इसी प्रकार के अधिनियमों में तत्समान संशोधन करने पर यथासंभव, साथसाथ-अधिसूचित किया जाएगा।

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक का 2024 खंड
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली गैर-विकृत अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल पर केंद्रीय कर न लगाया जा सके।	[110]
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त उपधारा में प्रस्तावित नई धारा 74ए का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[111]
3.	धारा 11क को सीजीएसटी अधिनियम में शामिल किया जा रहा है, ताकि सरकार को केंद्रीय कर की गैर-उगाही या कम उगाही को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जहां यह संतुष्ट है कि ऐसी गैर-उगाही या कम लेवी सामान्य अभ्यास का परिणाम थी।	[112]
4.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उन मामलों में सेवाओं की आपूर्ति का समय निर्दिष्ट किया जा सके जहां रिवर्स चार्ज आपूर्ति में सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा चालान जारी करना आवश्यक है।	[113]

<p>5.</p>	<p>उप-धारा (5) को सीजीएसटी की धारा 16 में डाला जा रहा है, ताकि मौजूदा उप-धारा (4) में एक अपवाद निकाला जा सके और उक्त उप-धारा के तहत चालान या डेबिट नोट के संबंध में यह प्रावधान किया जा सके। अनुभाग, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए, पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 के तहत किसी भी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो 30 नवंबर, 2021 तक दाखिल किया गया है।</p> <p>उप-धारा (6) को उक्त धारा में डाला जा रहा है ताकि पंजीकरण रद्द करने की तारीख या प्रभावी तिथि से अवधि के लिए दाखिल रिटर्न में चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सके। पंजीकरण रद्द करना, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख तक, पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर दायर किया गया, इस शर्त के अधीन कि उक्त चालान या डेबिट नोट के संबंध में क्रेडिट प्राप्त करने की समय-सीमा पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख को उक्त धारा की उप-धारा (4) के तहत पहले ही समाप्त नहीं होनी चाहिए।</p> <p>उपरोक्त संशोधन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो गए हैं।</p> <p>इसके अलावा, जहां कर का भुगतान कर दिया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलट दिया गया है, उसका कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा।</p>	<p>[114]</p>
<p>6.</p>	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की मांगों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 74 के तहत भुगतान किए गए कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुपलब्धता को प्रतिबंधित किया जा सके। .</p> <p>यह उक्त उपधारा में धारा 129 और 130 के संदर्भ को भी हटा देता है।</p>	<p>[115]</p>

7.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[116]
8.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) में एक नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है, ताकि पंजीकरण रद्द करने के लिए शर्तों और प्रतिबंधों को निर्धारित करने के लिए एक सक्षम खंड प्रदान किया जा सके।	[117]
9.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (च) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि रिवर्स चार्ज तंत्र आपूर्ति के मामले में प्राप्तकर्ता द्वारा चालान जारी करने की समय अवधि निर्धारित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान शामिल किया जा सके। उक्त धारा की उप-धारा (3) में स्पष्टीकरण भी डाला गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को इस उद्देश्य के लिए उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) का पंजीकृत व्यक्ति नहीं माना जाएगा।	[118]
10.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[119]
11.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, ताकि स्रोत पर कर कटौती के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक महीने के लिए रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को अनिवार्य किया जा सके, भले ही उस महीने में इसमें कोई कटौती की गई हो या नहीं। यह सरकार को नियमों के अनुसार फॉर्म, तरीके और समय निर्धारित करने का भी अधिकार देता है जिसके भीतर ऐसा रिटर्न दाखिल किया जाएगा।	[120]

12.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[121]
13.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[122]
14.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (7) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[123]
15.	उप-धारा (3) में संशोधन किया जा रहा है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 में एक नई उप-धारा (15) डाली जा रही है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां माल की शून्य रेटेड आपूर्ति माल पर निर्यात शुल्क लगता है वहां अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या एकीकृत कर का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।	[124]
16.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (3) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[125]
17.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[126]
18.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 63 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[127]
19.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[128]
20.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (7) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	[129]
21.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (6) में संशोधन	[130]

	किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।	
22.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 में उपधारा (1क) डाली जा रही है, ताकि उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन के अनुपालन में एक अधिकृत प्रतिनिधि को बुलाए गए व्यक्ति की ओर से उचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में सक्षम बनाया जा सके।	[131]
23.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 में उप-धारा (12) डाली जा रही है, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए उक्त धारा की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित किया जा सके।	[132]
24.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 में उप-धारा (12) डाली जा रही है, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए उक्त धारा की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित किया जा सके।	[133]
25.	धारा 74क को सीजीएसटी अधिनियम में शामिल किया जा रहा है, ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी भी कारण से भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए या गलती से वापस किए गए या गलत तरीके से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण किया जा सके। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे की मांगों के संबंध में मांग नोटिस और आदेश जारी करने के लिए समान सीमा अवधि का भी प्रावधान करता है, भले ही धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतबयानी, या तथ्यों को दबाने के आरोप लगाए गए हों या नहीं एवं जहाँ धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतबयानी, या तथ्यों को दबाने के आरोप हो वहाँ पर ज्यादा जुरमाना लगाया जायेगा।	[134]
26.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 75 में उपधारा (2क) डाली जा रही है, ताकि प्रस्तावित धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के तहत दंड प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस में मांगे गए दंड का पुनर्निर्धारण प्रदान किया जा सके। उक्त अधिनियम उन मामलों में, जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतबयानी, या तथ्यों को दबाने के आरोप स्थापित नहीं होते हैं, उक्त धारा की उप-धारा	[135]

	<p>(5) के खंड (i) के अनुसार दंड को फिर से निर्धारित करने के लिए कहा गया है।</p> <p>यह उक्त अधिनियम की धारा 75 में भी संशोधन करता है, ताकि इस धारा की प्रासंगिक उपधाराओं में धारा 74ए की उपधारा (2) और (7) या उसकी उपधारा का संदर्भ शामिल किया जा सके।</p>	
27.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।</p>	[136]
28.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि केंद्रीय कर में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि को पच्चीस करोड़ रुपये से घटाकर बीस करोड़ रुपये किया जा सके।</p> <p>यह उक्त की उपधारा (11) में भी संशोधन करता है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।</p>	[137]
29.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि सरकार को उन प्रकार के मामलों को अधिसूचित करने का अधिकार दिया जा सके जिनकी सुनवाई केवल अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा की जाएगी।</p>	[138]
30.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (1) और (3) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि सरकार को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की तारीख को सूचित करने और अपील या आवेदन दाखिल करने के लिए एक संशोधित समय सीमा प्रदान करने का अधिकार दिया जा सके। उक्त संशोधन 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी किया गया है।</p> <p>उक्त धारा की उप-धारा (6) में भी संशोधन किया जा रहा है ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण छह महीने की निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने में सक्षम हो सके।</p>	[139]

	<p>उक्त धारा की उप-धारा (8) में भी संशोधन किया जा रहा है ताकि अपीलिय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि को विवाद में कर के मौजूदा बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया जा सके और अधिकतम राशि को केंद्रीय कर में पूर्व-जमा के रूप में देय राशि पचास करोड़ रुपये से बीस करोड़ रुपये तक कम किया जा सके।</p>	
31.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त उपधारा की प्रयोज्यता को उन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों तक सीमित किया जा सके, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।</p> <p>उक्त संशोधन 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी हो गया है जब उक्त उपधारा लागू हुई थी।</p>	[140]
32.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 127 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।</p>	[141]
33.	<p>सीजीएसटी अधिनियम में धारा 128 क शामिल की जा रही है, ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी मांग नोटिस के संबंध में, त्रुटिपूर्ण रिफंड के संबंध में मांग नोटिस को छोड़कर ब्याज और जुर्माने की सशर्त छूट प्रदान की जा सके।</p> <p>ऐसे मामलों में जहां उक्त वित्तीय वर्षों के लिए किसी भी मांग के संबंध में ब्याज और जुर्माना पहले ही भुगतान किया जा चुका है उसके लिए कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा।</p>	[142]
34.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा (7) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि नियत दिन से पहले इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं के कारण पात्र सेनवैट क्रेडिट के संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ उठाया जा सके, जिसके लिए चालान नियत तिथि से पूर्व भी प्राप्त हो गये थे।</p> <p>उक्त संशोधन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी किया गया है।</p>	[143]

35.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) में प्रावधान और स्पष्टीकरण शामिल किया जा रहा है, ताकि सरकार को उस तारीख को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिसके बाद उक्त धारा के तहत प्राधिकरण मुनाफाखोरी विरोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।</p> <p>उक्त धारा की उप-धारा (3क) में स्पष्टीकरण डाला जा रहा है, ताकि उक्त धारा के तहत प्राधिकरण में अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ को शामिल किया जा सके ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण को प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके।</p>	[144]
36.	<p>पैराग्राफ 8 को सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III में डाला जा रहा है, ताकि यह प्रदान किया जा सके कि प्रमुख बीमाकर्ता और सह-द्वारा संयुक्त रूप से आपूर्ति की जाने वाली बीमा सेवाओं के लिए सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के विभाजन की गतिविधि प्रदान की जा सके। सहबीमा समझौतों में बीमाधारक को बीमाकर्ता को न तो वस्तुओं की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि प्रमुख बीमाकर्ता बीमाधारक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की पूरी राशि पर कर देयता का भुगतान करता हो।</p> <p>पैराग्राफ 9 को सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III में डाला जा रहा है, ताकि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काट लिया जाता है। , को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि पुनर्बीमा कमीशन या सीडिंग कमीशन सहित सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर कर देयता पुनर्बीमाकर्ता द्वारा भुगतान की जाती है।</p>	[145]
37.	<p>यह और उपबंध करने के लिए है की उक्त कर का या फिर उलट दिया गए कर का कोई भी प्रतिदाय नहीं दिया जायेगा जिसका संग्रहण किया जा चुका है, अगर धारा 114 हर समय पर लागू थी।</p>	[146]

II. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2024का खंड
1.	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 में उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर एकीकृत कर न लगाया जा सके।	[147]
2.	धारा 6क को आईजीएसटी अधिनियम में शामिल किया जा रहा है, ताकि सरकार को एकीकृत कर की गैर-उगाही या कम उगाही को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जहां यह पाया जाता है कि ऐसी गैर-उगाही या कम उगाही सामान्य अभ्यास का परिणाम थी।	[148]
3.	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में उप-धारा (4) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उन व्यक्तियों के वर्ग की अधिसूचना प्रदान की जा सके जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड आपूर्ति कर सकते हैं या उन वस्तुओं या सेवाओं के वर्ग की शून्य रेटेड आधार पर आपूर्ति की जा सकती है, और जिसके संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी शर्तों, सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं के अधीन एकीकृत कर की वापसी का दावा किया जा सकता है। उप-धारा (5) को उक्त धारा में शामिल किया जा रहा है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या माल की शून्य रेटेड आपूर्ति के कारण भुगतान किए गए एकीकृत कर का कोई रिफंड उन मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी जहां माल की शून्य रेटेड आपूर्ति निर्यात शुल्क के अधीन है।	[149]
4.	आईजीएसटी अधिनियम में धारा 20 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए देय पूर्व जमा की अधिकतम राशि को पचास करोड़ रुपये से घटाकर एकीकृत कर के चालीस करोड़ रुपये किया जा सके। इसके अलावा, इसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा के रूप में देय अधिकतम राशि को सौ करोड़ रुपये से घटाकर एकीकृत कर के चालीस करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।	[150]

III. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम.सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक का 2024 खंड
1.	यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 में उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है, ताकि मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर केंद्र शासित प्रदेश कर न लगाया जा सके।	[151]
2.	यूटीजीएसटी अधिनियम में धारा 8क शामिल की जा रही है, ताकि सरकार को केंद्र शासित प्रदेश कर की गैर-उगाही या कम उगाही को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जहां यह पाया जाता है कि ऐसी गैर-उगाही या कम उगाही सामान्य अभ्यास का परिणाम थी।	[152]

IV. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर उपकर) अधिनियम, 2017 से संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक का 2024 खंड
1.	धारा 8 क को जीएसटी (राज्यों को प्रतिकर उपकर) अधिनियम में शामिल किया जा रहा है, ताकि सरकार को उपकर की गैर-उगाही या कम उगाही को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जहां यह पाया जाता है कि ऐसी गैर-उगाही या कम उगाही सामान्य अभ्यास का परिणाम थी।	[153]
